Monday, 21 December, 1964

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र
Tenth Session

Preservation
27-5-92
Fumigated
On 14-12-83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U.
Parliament Library Buil.
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

## विषय-सूची

**अंक 26, सोमवार, 21 दिसम्बर, 1964/30 अग्रहायण, 1886 (शक)**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर--


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 588 | संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर का मामला वापस लेना . . . | 2283-85 |
| 589 | अफ्रीकी-एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजना . . . | 2286-87 |
| 591 | गोदी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना . . . | 2287-89 |
| 592 | विदेशों से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता . | 2289-90 |
| 593 | अश्लील फिल्मों तथा पोस्टर्स का प्रदर्शन . . . . | 2290-93 |
| 594 | अणु शक्ति के बारे में जानकारी न देने तथा उस का अर्जन न करने के बारे में करार . . . . . . . | 2293-97 |
| 595 | चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट . . . | 2297-2301 |


### अल्प सूचना प्रश्न—


| संख्या | | |
|---|---|---|
| 8 | संयुक्त अरब गणराज्य में पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधिमण्डल . | 2301-03 |
| 9 | राजधानी में टेलीफोन दलालों का गिरोह . . | 2303 |


### प्रश्नों के लिखित उत्तर—


| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| 590 | वैदेशिक प्रचार सम्बन्धी शैलवंकर प्रतिवेदन . | 2304 |
| 596 | आक्जिलियरी कैडट कोर योजना . . . | 2304 |
| 597 | भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन | 2304 |
| 598 | डाक और तार विभाग में शक्ति का विकेन्द्रीकरण | 2305 |
| 599 | छावनियों में भूमि का अर्जन . . | 2305 |
| 600 | नेहरू स्मारक निधि के लिए मनीआर्डर . . | 2306 |
| 601 | पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हाथियों का प्रयोग | 2306 |
| 602 | नागालैंड में युद्ध विश्रान्ति . . . | 2306 |
| 603 | राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन (1964) . . | 2307 |
| 604 | टेलीफोन प्रशुल्क . . . | 2307 |
| 605 | वार्षिक रेडियो सप्ताह तथा संगीत सम्मेलन . . | 2307-08 |
| 607 | पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना . . . . | 2308 |


---

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

*Volume* 26, *Monday, December* 21, 1964/*Agrahayana* 30, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—


| *Starred Question Nos.* | *Subject* | *Pages* |
|---|---|---|
| 588. | Withdrawal of Kashmir Case from U.N.O. . | 2283–85 |
| 589. | Economic Development Plan of Afro-Asian Countries | 2286–87 |
| 591. | Incentive Scheme for Dock Workers | 2287–89 |
| 592. | Indian Citizenship for Migrants from Abroad . | 2289–90 |
| 593. | Exhibition of Obscene Films and Posters | 2290–93 |
| 594. | Pact for Non-dissemination and New-acquisition of Nuclear Power . . . . . . . | 2293–97 |
| 595. | Auxiliary Cadet Corps Scheme . | 2297–2301 |


SHORT NOTICE QUESTIONS—


| *No.* | | |
|---|---|---|
| 8. | Pakistani Military delegation in U. A. R. . | 2301–03 |
| 9. | Gang of Telephone Brokers' in the Capital | 2303 |


WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—


| *Starred Question Nos.* | | |
|---|---|---|
| 590. | Shelvankar Report on External Publicity | 2304 |
| 596. | Auxilliary Cadet Corps Scheme . | 2304 |
| 597. | Indo-Pak. Home Ministers' Conference . | 2304 |
| 598. | Decentralisation of Powers in the P. & T. Department . | 2305 |
| 599. | Acquisition of Land in Cantonments . | 2305 |
| 600. | Money Orders for Nehru Memorial Fund | 2306 |
| 601. | Use of U. S. Arms by Pakistan | 2306 |
| 602. | Truce in Nagaland . . | 2306 |
| 603. | Commonwealth Prime Ministers' Conference (1964). | 2307 |
| 604. | Telephone Tariff . | 2307 |
| 605. | Annual Radio Week and Sangeet Sammelan . | 2307–08 |
| 607. | Firing by Pakistanis . . . | 2308 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः


| तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 608 | युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन | 2308–09 |
| 609 | चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार | 2309 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| 1610 | सैनिक सहकारी आवास समितियां | 2309 |
| 1611 | उड़ीसा में सैनिकों के लिए भूमि | 2310 |
| 1612 | आकाशवाणी के कटक तथा संबलपुर केन्द्रों में कर्मचारी तथा स्टाफ आर्टिस्ट्स | 2310 |
| 1613 | जवानों की सेवाओं की समाप्ति | 2311 |
| 1614 | भारत और उगांडा के बीच संयुक्त उपक्रम | 2311 |
| 1615 | केन्द्रीय नाटक मण्डली | 2312 |
| 1616 | भारतीय नेताओं के जीवन पर चलचित्र | 2313 |
| 1617 | आन्ध्र प्रदेश में रोजगार कार्यालय | 2313 |
| 1618 | आन्ध्र प्रदेश में डाकघर | 2313–14 |
| 1619 | जवानों और आफिसरों के सम्बन्ध | 2314 |
| 1620 | दिल्ली में दूकान कर्मचारियों के लिए उपदान तथा भविष्य निधि | 2314 |
| 1621 | उपभोक्ता मूल्य देशनांक | 2315 |
| 1622 | पश्चिम दिल्ली मुख्य डाकघर के लिए इमारत | 2315 |
| 1623 | भारत भू संचालक | 2315 |
| 1624 | नागालैंड में साधुओं का प्रवेश | 2315–16 |
| 1625 | सन्त फतेह सिंह को पारपत्र दिया जाना | 2316 |
| 1626 | भारतीय तथा अमरीकी प्रतिरक्षा पदाधिकारियों के पारस्परिक दौरे | 2316 |
| 1627 | अवध के राजकुमार यूसफ मिर्जा | 2317 |
| 1628 | उत्तरखण्ड (उत्तर प्रदेश) में बेतार के तार के स्टेशन | 2317 |
| 1629 | मण्डले जेल, बर्मा | 2317 |
| 1630 | बर्लिन के सम्बन्धी प्रदर्शनी | 2318 |
| 1631 | पूर्वी क्षेत्र में विमान दुर्घटना | 2318 |
| 1632 | ब्रिटिश गियाना के प्रधान मंत्री की अपील | 2319 |
| 1633 | वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारी | 2319–20 |
| 1634 | पूर्वी पाकिस्तान में नागा विद्रोहियों का प्रशिक्षण | 2320 |
| 1635 | श्रमिक शिक्षा केन्द्र, भीलवाड़ा (राजस्थान) | 2320 |
| 1636 | भीलवाड़ा अभ्रक खनन क्षेत्रों में औषधालय | 2321 |
| 1637 | गाजियाबाद के निकट असालतपुर-फरकनगर सड़क का बन्द किया जाना | 2321 |
| 1638 | भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे के लिए गाजियाबाद के पास जमीन का अर्जन | 2322 |
| 1639 | जालन्धर रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम में गड़बड़ | 2322 |

| *Starred Question Nos.* | *Subject* | *Pages* |
|---|---|---|
| 608. | Cease-fire Line Violations | 2308–09 |
| 609. | Anti-Indian Propaganda by China | 2309 |
| *Unstarred Question Nos.* | | |
| 1610. | Sainik Co-operative Housing Societies | 2309 |
| 1611. | Land for soldiers in Orissa | 2310 |
| 1612. | Employees and staff artistes in Cuttack and Sambalpur Radio Stations | 2310 |
| 1613. | Termination of services of Jawans | 2311 |
| 1614. | Joint Ventures between India and Uganda | 2311 |
| 1615. | Central Drama Troupe | 2312 |
| 1616. | Films on the Lives of Indian Leaders | 2313 |
| 1617. | Employment Exchanges in Andhra Pradesh | 2313 |
| 1618. | Post Offices in Andhra Pradesh | 2313–14 |
| 1619. | Relations between jawans and officers | 2314 |
| 1620. | Gratuity and P. F. Benefits for Shop Employees in Delhi | 2314 |
| 1621. | Consumers' Price Index | 2315 |
| 1622. | Building for West Delhi H. P. O. | 2315 |
| 1623. | Bharat Earth Movers | 2315 |
| 1624. | Entry of Sadhus into Nagaland | 2315–16 |
| 1625. | Grant of Passport to Sant Fateh Singh | 2316 |
| 1626. | Reciprocal tours by the Indian and U. S. Defence Officers | 2316 |
| 1627. | Prince Yusuf Mirza of Oudh | 2317 |
| 1628. | Wireless Station in Uttarkhand (U.P.) | 2317 |
| 1629. | Mandalay Jail, Burma | 2317 |
| 1630. | Exhibition on India in Berlin | 2318 |
| 1631. | Air Crash in Eastern Sector | 2318 |
| 1632. | Appeal by the Prime Minister of British Guiana | 2319 |
| 1633. | Employees in the Ministry of External Affairs | 2319–20 |
| 1634. | Training of Naga Hostiles in East Pakistan | 2320 |
| 1635. | Workers' Education Centre, Bhilwara (Rajasthan) | 2320 |
| 1636. | Dispensaries in Bhilwara Mica Mining Areas | 2321 |
| 1637. | Closure of Asalatpur-Faraknagar Main Road near Ghaziabad | 2321 |
| 1638. | Acquisition of land near Ghaziabad for I. A. F. Airport | 2322 |
| 1639. | Disturbance of Programme of Jullundur Radio Station | 2322 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः


| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1640 | आकाशवाणी में चीनी भाषा अनुभाग | 2323 |
| 1641 | महिला अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल कालिज | 2323–24 |
| 1642 | सी० ओ० डी० दिल्ली छावनी के कर्मचारियों के लिए अधिक समय तक काम करने का भत्ता | 2324 |
| 1643 | विदेशों के लिए प्रसारण | 2324–25 |
| 1644 | केरल सर्किल में डाक तथा तार क्वार्टर | 2325 |
| 1645 | केरल में सैनिक स्कूल | 2325–26 |
| 1646 | उचित मूल्य वाली दुकानें | 2326 |
| 1647 | दिल्ली छावनी में भूमिगत नालियां | 2326–27 |
| 1648 | दिल्ली छावनी में जमाखोरी के लिए लाइसेंस | 2327 |
| 1649 | दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला सफाई शुल्क | 2327 |
| 1650 | छावनी बोर्डों का काम | 2327–28 |
| 1651 | नागालैंड के बारे में माइकेल स्काट की पुस्तक | 2328 |
| 1652 | कोटा में सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र | 2328 |
| 1653 | भारत सरकार मुद्रणालय के लिए आप्रेटर | 2328–29 |
| 1654 | ईसाई धर्म पर प्रकाशन | 2329 |
| 1655 | बर्मा से आये भारतीय प्रत्सावासित | 2329–30 |
| 1656 | भारतीय सेना या नौसेना में ईसाई धर्म का प्रचार | 2330 |
| 1657 | वारंगल में डाक तार कर्मचारियों के क्वार्टर | 2330–31 |
| 1658 | चीन से नाभिकीय हथियारों का प्रभाव | 2331 |
| 1659 | भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव पर गोली चलाया जाना | 2331 |
| 1660 | बंगलौर के भारतीय टेलिफोन कारखाने द्वारा माइकरो वेव उपकरणों का निर्माण | 2331–32 |
| 1661 | अमरीकी कम्बोडिया वार्ता | 2332 |
| 1662 | साइप्रस | 2332 |
| 1663 | भूतपूर्व सैनिकों की पंशन दर | 2332–33 |
| 1664 | डाक तथा तार विभाग में अतिरिक्त विभागी कर्मचारीगण | 2333 |
| 1665 | कोयला खनिकों के लिए आवास योजना | 2333 |
| 1666 | सिंगरैनी कोयला खनिकों के लिए सेफटी बूट | 2334 |
| 1667 | प्रसारण केन्द्र | 2334 |
| 1668 | जंजीवार से आये पेंशनर | 2334–35 |
| 1669 | नेफा का विकास | 2335 |
| 1670 | देहू रोड का प्रतिरक्षा भण्डार | 2335–36 |
| 1671 | पाकिस्तान चौक वाला निमंत्रण कार्ड | 2336 |
| 1672 | मौसमी राकेट का छोड़ा जाना | 2336–37 |
| 1672-क | मैक्स मूलर भवन | 2337 |

| *Unstarred Questions Nos.* | *Subject* | *Pages* |
|---|---|---|
| 1640. | Chinese Section in A. I. R. | 2323 |
| 1641. | N. C. C. College for Lady Officers | 2323–24 |
| 1642. | Overtime allowance for Employees of C. O. D. Delhi Cantonment | 2324 |
| 1643. | Foreign Broadcasts | 2324–25 |
| 1644. | P. & T. Quarters in Kerala Circle | 2325 |
| 1645. | Sainik School in Kerala | 2325–26 |
| 1646. | Fair Price Shops | 2326 |
| 1647. | Underground Drainage in Delhi Cantt. | 2326–27 |
| 1648. | Licence for Hoarding in Delhi Cantonment | 2327 |
| 1649. | Scavenging Fee charged by Delhi Cantt. Board | 2327 |
| 1650. | Functioning of Cantonment Boards | 2327–28 |
| 1651. | Michael Scott's Book on Nagaland | 2328 |
| 1652. | Military Training Centre in Kotah | 2328 |
| 1653. | Lino operators of G. O. I. Press | 2328–29 |
| 1654. | Publication on Christianity | 2329 |
| 1655. | Indian Repatriates from Burma | 2329–30 |
| 1656. | Propagation of Christianity in Indian Army or Navy | 2330 |
| 1657. | P. & T. Staff Quarters at Warangal | 2330–31 |
| 1658. | Impact of Chinese Nuclear Weapons | 2331 |
| 1659. | Firing on Indian Fishing Boat | 2331 |
| 1660. | Manufacture of Micro-wave Equipment by the I. T. I., Bangalore | 2331–32 |
| 1661. | U. S. Cambodia Talks | 2332 |
| 1662. | Cyprus | 2332 |
| 1663. | Pension Rates of Ex-servicemen | 2332–33 |
| 1664. | Extra Departmental Staff in P. & T. Department | 2333 |
| 1665. | Housing Scheme for Coal Miners | 2333 |
| 1666. | Safety Boots for Singareni Coal Miners | 2334 |
| 1667. | Broadcasting Stations | 2334 |
| 1668. | Pensioners from Zanzibar | 2334–35 |
| 1669. | Development of N.E.F.A. | 2335 |
| 1670. | Dehu Road Defence Depot | 2335–36 |
| 1671. | Invitation Card Bearing "Pakistan Chowk" | 2336 |
| 1672. | Launching of a Weather Rocket | 2336–37 |
| 1672.A. | Max Mueller Bhavans | 2337 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| गुजरात में गम्भीर खाद्य स्थिति का समाचार | |
| श्री सं० मो० बनर्जी | 2347–38 |
| श्री चि० सुब्रह्मण्यम | 2337–39 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न | 2339–40 |
| सदस्य का निलम्बन (डा० राम मनोहर लोहिया) | 2340–44 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | 2344–45 |
| राज्य-सभा से संदेश | 2346 |
| विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति | 2346 |
| इंडिनय टेलिफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर के औद्योगिक विवाद के बारे में वक्तव्य— | |
| श्री भगवती | 2346–47 |
| अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमय और सिफारिशों पर की गई कार्यवाही बतानें वाले विवरण को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य— | |
| श्री र० कि० मालवीय | 2347 |
| समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक | |
| संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव | |
| श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा | 2348 |
| श्री काशी राम गुप्त | 2348–49 |
| श्री मा० ल० जाधव | 2349–50 |
| श्री ति० त० कृष्णमाचारी | 2350–53 |
| भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक | |
| विचार के लिये प्रस्ताव | |
| श्री सें० वें० रामस्वामी | 2354–56 |
| श्री सोलंकी | 2356 |
| खण्ड 2 तथा 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | |
| श्री सें० वें० रामस्वामी | 2356–57 |
| सरकारी प्रन्यासी (संशोधन) विधेयक— | |
| राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | |
| श्री जगन्नाथ राव | 2357–58 |

| *Subject* | *Pages* |
|---|---|
| CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE— | |
| Report of Serious Food situation in Gujarat | |
| Shri S. M. Banerjee . . . . . | 2337–38 |
| Shri C. Subramaniam . . . . . . | 2337–39 |
| RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query) | 2338–40 |
| SUSPENSION OF MEMBER (Dr. Ram Manohar Lohia). | 2340–44 |
| PAPERS LAID ON THE TABLE | 2344–45 |
| MESSAGES FROM RAJYA SABHA . | 2346 |
| PRESIDENT'S ASSENT TO BILL— | |
| STATEMENTRE : INDUSTRIAL DISPUTE IN INDIAN TELEPHONE INDUSTRIES, BANGALORE-- | |
| Shri Bhagavati . . . | 2346–47 |
| STATEMENT RE : DELAY IN LAYING STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN ON CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS OF INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE— | |
| Shri R. K. Malviya | 2347 |
| COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL— | |
| Motion to refer to Joint Committee | |
| Shrimati Lakshmikanthamma | 2348 |
| Shri Kashi Ram Gupta | 2348–49 |
| Shri M. L. Jadhav . . | 2349–50 |
| Shri T. T. Krishnamachari . . . . | 2350–53 |
| INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL— | |
| Motion to consider | |
| Shri S. V. Ramaswamy | 2354–56 |
| Shri Solanki | 2356 |
| Clauses 2 and 1 | |
| Motion to pass | |
| Shri S. V. Ramaswamy . . . | 2356–56 |
| OFFICAL TRUSTEES (AMENDMENT) BILL— | |
| Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | |
| Shri Jaganatha Rao | 2357–58 |

सरकारी प्रन्यासी (संशोधन) विधेयक—क्रमशः


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री सोलंकी . . . . . . | 2358 |
| श्री म० प० स्वामी . . . | 2358 |
| खण्ड 2 से 14 तथा 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | |
| श्री जगन्नाथ राव . . . . . . | 2358–59 |
| **निरसन और संशोधन विधेयक** | |
| राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | |
| श्री जगन्नाथ राव . . . . . . | 2359–60 |
| श्री सोलंकी . . . . . . | 2360 |
| श्री शिवमूर्ति स्वामी . . . . | 2360 |
| खण्ड 2 से 5 तथा 1 | |
| पारित करने का प्रस्ताव | |
| श्री जगन्नाथ राव . . . | 2360–61 |
| **स्वर्ण नियंत्रण विधेयक—** | |
| संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव | |
| श्री ति०-त० कृष्णमाचारी . . . . | 2361–64 |
| श्री मी० रु० मसानी . | 2367–69 |
| श्री सिंहासन सिंह . . . . | 2369 |
| श्री पु० र० पटेल . | 2369–70 |
| श्री स० मो० बनर्जी | 2370–71 |
| श्रीमती सहोदरा बाई राय . | 2372 |
| श्री अल्वारेस . . . | 2372 |
| **पाकिस्तान में हिन्दुओं के धर्म-परिवर्तन के बारे में आधे घंटे की चर्चा—** | |
| श्रीमती सावित्री निगम . . . | 2373–74 |
| श्रीमती लक्ष्मी मेनन . . . | 2374–75 |

| *Subject* | *Pages* |
| --- | --- |
| Shri Solanki . . . . | 2358 |
| Shri M. P. Swamy . . | 2358 |
| Caluses 2 to 14 and 1 | |
| Motion to pass | |
| Shri Jaganatha Rao . . . . . | 2358–59 |
| REPEALING AND AMENDING BILL— | |
| Motion to consider, as passed by Rajya Sabha | |
| Shri Jaganatha Rao . . . . . | 2359–60 |
| Shri Solanki . . . | 2360 |
| Shri Sivamurthi Swamy . . | 2360 |
| Clauses 2 to 5 and 1 | |
| Motion to pass | |
| Shri Jaganatha Rao | 2360–61 |
| GOLD CONTROL BILL— | |
| Motion to consider, as reported by Joint Committee | |
| Shri T. T. Krishnamachari . . . | 2361–64 |
| Shri M. R. Masani . . . | 2367–69 |
| Shri Sinhasan Singh . | 2369 |
| Shri P. R. Patel . . . . | 2369–70 |
| Shri S. M. Banerjee . . . . | 2370–71 |
| Shrimati Sahodrabai Rai | 2372 |
| Shri Alvares | 2372 |
| HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : CONVERSION OF HINDUS IN PAKISTAN— | |
| Shrimati Savitri Nigam | 2373–74 |
| Shrimati Lakshmi Menon | 2374–75 |

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इस में अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—15 Lok Sabha/65.

# लोक-सभा

# LOK-SABHA

**सोमवार, 21 दिसम्बर, 1964/30 अग्रहायण, 1886 (शक)**
*Monday, December* 21, 1964/*Agrahayana* 30, 1886 (*Saka*)

---

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
[The Lok Sabha met at Eleven of the clock.]

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
**Mr. Speaker in the Chair**]

## सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
## MEMBER SWORN

**अध्यक्ष महोदय :** सचिव उस सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के लिए आये हैं।

**सचिव :** श्री लाटन चौधरी ।

**अध्यक्ष महोदय :** संसद् कार्य मंत्री सभा से सदस्य का परिचय करायें।

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** अध्यक्ष महोदय, मैं संसद्-कार्य मंत्री की ओर से श्री लाटन चौधरी का परिचय आप से और आप के द्वारा सभा से कराता हूं । वह श्री बी० एन० मंडल का निर्वाचन अवैध घोषित किये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर बिहार में सहरसा निर्वाचन क्षेत्र से लोक-सभा के लिए चुने गये हैं ।

श्री लाटन चौधरी (सहरसा)

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### Withdrawal of Kashmir Case from U.N.O.

+

*588. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government propose to withdraw the Kashmir case from the United Nations; and

(b) if so, when ?

**The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Shri Prakash Vir Shastri :** This Kashmir case has been pending in the U. N. O. for the last 17 years. Whenever the question was taken up in U.N.O. the sympathies of the nations dominating the U.N.O. were with Pakistan. Keeping this in view how long does the Government of India intend to keep this case pending in the U. N. O.? Has any decision been taken in that connection ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** श्रीमन्, यह प्रश्न 1952 से उठाया जा रहा है और भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने स्पष्ट उत्तर दिया था कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची से वापिस लेना संभव नहीं है। उन्होंने बताया था कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे एक बार कार्य सूची पर रखे गये मामले को वापिस लिया जा सके और भारत के लिए इसका एक मात्र विकल्प संयुक्त राष्ट्र से निकल आना होगा।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Have the Government of India intimated U.N.O. about the changes brought about by Pakistan recently in Azad Kashmir by arresting their leaders and legally occupying it by removing its flag etc. regarding which the Government of India had sent a protest note to Pakistan and to which she has not replied ? If so, what is the reaction of the U. N. O. thereto ?

**Mr. Speaker :** This does not relate to the main question.

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत की है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को जम्मू तथा काश्मीर में लागू करने के निर्णय के भीषण परिणाम होंगे। यदि हां, तो क्या सरकार का यह विचार है कि संयुक्त राष्ट्र से काश्मीर का मामला वापिस लिए बिना उन अनुच्छेदों को लागू करना तथा काश्मीर का शेष भारत के साथ एकीकरण सम्भव होगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** अब वह अपने प्रश्न के अन्तिम शब्दों का प्रयोग करके उसे मूल प्रश्न से सम्बन्धित करना चाहते हैं।

**श्री भागवत झा आजाद :** श्रीमान, भारत पाकिस्तान के आक्रमण के विरूद्ध शिकायत लेकर संयुक्त राष्ट्र में गया था। अब क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों ने पिछले 17 वर्षों में शिकायत का सारा स्वरूप ही बदल दिया है, अतः क्या भारत सरकार के विचार में इस मामले को समाप्त प्रायः समझा जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना है कि ऐसा करना सम्भव नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र से निकल सकते हैं परन्तु मामले को वापिस नहीं लिया जा सकता।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या भारत सरकार का पहले ही यह मत नहीं है कि इस प्रश्न को भारत तथा पाकिस्तान के बीच पारस्परिक बातचीत से हल किया जा सकता है ? यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार का यह भी मत है कि उस प्रश्न को निपटाने में संयुक्त राष्ट्र कोई उपयोगी अंशदान नहीं कर सकता ?

**अध्यक्ष महोदय :** तो फिर हम क्या कर सकते हैं ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं नहीं कहता कि हम यह करें। मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सरकार का मत है या नहीं।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** यह समझा जाता है कि पारस्परिक बातचीत द्वारा देशों के बीच सभी विवादों को मित्रभाव से हल किया जा सकता है। इस मामले को हमने संयुक्त राष्ट्र में भेजा था।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में निर्दिष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री भागवत झा आजाद :** क्योंकि हमने इसे संयुक्त राष्ट्र में निर्देशित किया है हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारा यह विचार है कि इसे संयुक्त राष्ट्र में रखने से कोई लाभ नहीं होगा ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अब यह पूछने में कोई लाभ नहीं कि हमने इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में क्यों भेजा और मैं यह समझता हूं कि इसे वापिस लेना अब सम्भव नहीं है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह केवल भारत और पाकिस्तान में बातचीत द्वारा ही हल हो सकता है और इसके निपटारे में संयुक्त राष्ट्र संघ किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकता और यदि सरकार का यह विचार है तो क्या उसने पाकिस्तान तथा अन्य शक्तियों को यह बता दिया है।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत के सिलसिले से माननीय सदस्य को यह विश्वास हो गया होगा कि सरकार का निष्कर्ष यही है कि भारत तथा पाकिस्तान में चल रहे झगड़ों को केवल पारस्परिक बातचीत द्वारा ही मैत्रीभाव से निपटाया जा सकता है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे लिए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य-सूची से निकालना सम्भव है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti:** Does it not show the hollowness of the policy of the Government of India ?

**Mr. Speaker :** That is your opinion.

**श्री हरि विष्णु कामत :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह मामला बारह वर्षों से अधिक समय से अनिश्चित पड़ा है क्या सरकार को कोई सूचना प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान के चीन के साथ नापाक गठजोड़ के कारण सुरक्षा परिषद् और महासभा के बहुत से सदस्य देशों का काश्मीर के मामले में रवैय्या भारत के पक्ष में और पाकिस्तान के विरुद्ध हो गया है ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** प्रश्न क्या है ?

**श्री हरि विष्णु कामत :** आप इसे समझ नहीं सकीं ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर दिया जा सकता है परन्तु इसका मामले को वापिस लेने से सम्बन्ध नहीं है। अगला प्रश्न।

**श्री हरि विष्णु कामत :** आपने उन प्रश्नों की अनुमति दे दी है जिनका काश्मीर के मामले को वापिस लेने से ठीक सम्बन्ध नहीं है। यह मामला अनिश्चित पड़ा है और यह और दस वर्षों तक अनिश्चित पड़ा रह सकता है। इस प्रश्न का यही अभिप्राय है।

**अध्यक्ष महोदय :** हम कुछ नहीं कर सकते।

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि पाकिस्तान के चीन के साथ नापाक गठजोड़ के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत से सदस्य देश इस मामले पर भारत के पक्ष में हो गये हैं ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हमें कोई सूचना नहीं है।

**अफ्रीकी-एशियाई देशों की आर्थिक विकास योजना**

*589. **श्री० नारायण दास :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री पें० वेंकटासुब्बया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकासशील देशों की आवश्यकताओं को आंकने के लिये नियुक्त की गई अन्तर-मंत्रालय समिति ने इन देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव पेश किये हैं और यह कहा है कि इन प्रस्तावों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**उप विदेश मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) तकनीकी और आर्थिक सहयोग के विषय पर अंतर-मंत्रालय समन्वयन समिति (इन्टर-मिनिस्ट्रीयल कोआर्डिनेशन कमेटी) स्थापित कर दी गई है कि वह--

(क) एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के अल्प-विकसित देशों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को उनके व्यापार तथा विकास संबंधी कार्यक्रमों को दृष्टि में रखकर आंके ।

(ख) भारत और उपर्युक्त (क) में लिखित क्षेत्रों के बीच वाणिज्यिक संबंधों के विकास से संबद्ध चुनी हुई समस्याओं का अध्ययन करें।

(ग) भारत और एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों की सिफारिश करे ।

(ख) विभिन्न उपायों पर अभी विचार हो रहा है ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या यह सच है कि भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य ने अफ़रीका के विकासशील देशों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायतार्थ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ? यदि हां, तो क्या इस समझौते को कहीं कार्यान्वित भी किया गया है ; यदि हां, तो किस प्रकार से ?

**श्री दिनेश सिंह :** हम ने संयुक्त अरब गणराज्य से ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ कि अफ़रीकी-ऐशियाई देशों की सहायता की जाय ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सरकार को इस बात की जानकारी है वहां पर चीन प्रयत्नशील है कि वे देश भारत से कोई तकनीकी अथवा वित्तीय सहायता न लें बल्कि उस से घृणा करें?

**श्री दिनेश सिंह :** मुझे मालूम नहीं कि चीन ऐसा कोई प्रयत्न कर रहा है कि वे देश भारत से सहायता स्वीकार न करें परन्तु वे देश चीन से सहायता लेने के बड़े इच्छुक हैं ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या इन देशों को आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के लिये कोई समझौता किया जा रहा है ताकि इन देशों को हमारे देश से तकनीकी विशेषज्ञ जायें और वहां आर्थिक मामलों में प्रगति करायें ?

**श्री दिनेश सिंह :** जब कोई देश हमें तकनीकी विशेषज्ञों की मांग भेजता हम उन्हें भेजते हैं ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों को कच्चे माल के मूल्य के घटने तथा तैयार माल के मूल्यों बढ़ने आर्थिक हानि उठानी पढ़ रही है। इस को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी चर्चा हुई है या नहीं ?

**श्री दिनेश सिंह :** मैंने किसी सम्मेलन के बारे में नहीं कहा।

**Shri Yashpal Singh :** Whether Indian industrialists have been asked to establish their industries in these countries ?

**Mr. Speaker :** It was an inter-ministry committee.

**श्रीमती सावित्री निगम :** मेरा आशय दूसरी मंत्रालयों की समिति से था। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस प्रश्न पर चर्चा हुई है या नहीं ? उन्हें मेरा आशय समझ लेना चाहिये था।

**श्री दिनेश सिंह :** मैंने इस समिति के प्रयोजन बताये हैं और मूल्यों का इस समिति से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। वह तो इन देशों में केवल सहयोग का विस्तार करने के लिये है।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** क्या माननीय मंत्री जानते है कि चीन इस के लिये बहुत उत्सुक है कि वे देश उस से अधिक तकनीकी सहायता लें, यदि हां, तो क्या इन देशों की भारत से मांगों में कोई कमी आयी है और इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया अनुभव की गई है।

**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं।

**Shri Bhagwat Jha Azad :** Is it a fact that China has given substantial long term economic and technical assistance to Afro-Asian countries or has promised to do so ? In that background do the Government of India have considered their requirements ?

**Shri Dinesh Singh :** It is said that China has promised to do a lot. How much has been given is not exactly known to us. It appears that not much has been done. I have just now submitted what we are doing.

## गोदी कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन योजना

*591. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी श्रणियों के गोदी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रोत्साहन योजना के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) कलकत्ता बन्दरगाह पर अनाज के जहाजों में काम करने वाले "बैगर्स" की तदर्थ प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिक काम करने के कारण कितनी आय बढ़ गई है ; और

(ग) इस नई योजना के प्रति 'स्टेवेडोर्स" की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवय्या) :** (क) कलकत्ता में खाद्यान्न और नमक कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना चालू करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अधिक काम करने के कारण प्रति पारी प्रति बैगर औसत आय साढ़े तीन (3.50 रु०) से बढ़कर 4 रु० हो गई है।

(ग) स्टेवेडोर्स प्रोत्साहन योजनाओं को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं।



2—14 Lok Sabha/65

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार "स्टेवेडोर्स" की भर्ती के वर्तमान तरीके में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

**श्री संजीवय्या :** इसमें परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** इस सम्बन्ध में जो मजूरी बोर्ड स्थापित किया गया है उसको क्या विशिष्ट निर्देश दिये गये हैं ?

**श्री संजीवय्या :** मजूरी बोर्ड एक अलग चीज़ है । मैं उत्तर नहीं दे सकता ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं जान सकती हूं कि योजना के स्वीकृत हो जाने पर क्या प्रोत्साहन दिया जाय, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

**श्री संजीवय्या :** पूरी योजना की जांच की जा रही है । हमने बहुत से कार्मिक संघों के संगठनों से उनके विचार पूछे हैं । हमें आशा है कि अगले वर्ष 1 फरवरी तक यह योजना चालू हो जायेगी ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** कार्मिक संघों के संगठनों की बैठक बुलाने में तथा उनके विचार जानने में कितना समय लगेगा ?

**श्री संजीवय्या :** इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत हो चुकी है और उन्होंने अपने विचार इस माह के अन्त तक लिखकर भेजने का आश्वासन दिया है जैसा मैंने पहले कहा कि अगले वर्ष 1 फरवरी तक इस योजना के चालू होने की हमें आशा है ।

**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार एक ऐसी योजना तैयार करने के लिये, जिससे श्रमिकों तथा "स्टेवेडोर्स" सन्तुष्ट हों, संसद् सदस्यों व अन्य अधिकारियों की एक समिति बनाने पर विचार कर रही है ?

**श्री संजीवय्या :** ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्रम मन्त्रालय को मालूम है कि बर्मा से निकालें हुये 16,000 गोदी-कर्मचारी विशाखापटनम् में ठहरे हुये हैं, और यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय उनकी सहायता करने के लिये किसी योजना पर विचार कर रहा है ?

**श्री संजीवय्या :** श्रम मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

**Shri Yashpal Singh :** Whether the Labour Ministry have noticed that as long as contractors are there, they will neither let them settle their disputes with the Government nor allow them to progress further? Therefore, this system should be abolished.

**Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment (Shri R. K. Malviya) :** There is no contract system but stevedore system, which has been discussed fully but there is no proposal to abolish it.

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know the names of the Unions as work there at present and the names of the unions from whom proposals have been invited?

**Shri R. K. Malviya :** INTUC and Dock Workers Federation are active there. In some parts communists are also there.

**Shri Tulsidas Jadhav :** How many recognised unions are there and whether unrecognised unions are consulted?

**Shri R. K. Malviya :** There is nothing like it. We neither take cognisance of unrecognised unions nor obtain their views or encourage them to offer their views. But it they are affiliated to some federation, the views of the federation are obtained.

**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** मैं जान सकती हूं कि मशीनों द्वारा जहाजों से सामान उतारने के सम्बन्ध में श्रमिक संगठनों के विरोध के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि ऐसा करने से बहुत से श्रमिक बेकार हो जायेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है ।

**श्री ओझा :** क्या मैं जान सकता हूं कि कार्यभार आंकने के लिये क्या किसी विशेषज्ञ की सलाह ली है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रोत्साहन योजनाओं के कारण कार्यभार में अनावश्यक रूप से वृद्धि होने से श्रमिकों को हानि तो नहीं होती ?

**श्री संजीवय्या :** जीजीभाई समिति नामक एक सदस्यीय समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था ?

**Shri Sheo Narain :** May I know how much time it will take to examine the memorandum received by this Ministry?

**Shri R. K. Malviya :** The Hon. Minister just now said that the views of the unions are expected to be received by the end of this month and the scheme will be introduced *w.e.f.* 1st February.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** I want to know whether the suggestions made by the unions will be accepted in full or with amendments and if accepted how much time it will take to implement those?

**Shri R. K. Malviya :** It was just now told that these will be considered and introduced *w.e.f.* 1st February.

## विदेशों से प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के लिये भारतीय नागरिकता

*592. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे शरणार्थियों को, जो पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले भारतीय हों तथा बर्मा व अन्य अफ्रीकी देशों से प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों, नागरिकता के पूर्ण अधिकार देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको ये अधिकार कब तक दे दिये जायेंगे तथा ये शरणार्थी कितने हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में नागरिकता के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हें पूरा कर लेने पर ये लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं ।]

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** I want to know the number of refugees who are being considered for grant of citizenship?

**Shri Dinesh Singh :** I do not know whether anybody has submitted application in accordance with the rules or not. They have to apply in accordance with the present rules.

**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या सरकार बता सकती है कि अभी तक ऐसे कितने शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार दिये जा चुके हैं ?

**श्री दिनेश सिंह :** मेरी जानकारी में किसी को भी नहीं ।

**श्री हिम्मत सिंहजी :** पूर्वी अफ्रीका से सम्भावता आने वाले लोगों की संख्या के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय का क्या अनुमान है ?

**श्री दिनेश सिंह :** हमें आशा है कि वहां से कोई नहीं आयेगा ।

**श्री कपूर सिंह :** भारतीयोंसे प्रव्रजन करनेवालोंकी दिशा वापिस भारतकी ओर पलट जाना क्या बाहरी दुनियां में भारत के शीघ्रता से गिरते हुई प्रतिमूर्ति का द्योतक है या इसके कोई और कारण हैं ?

**श्री दिनेश सिंह :** मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य वास्तव में क्या चाहते हैं । वे लोग इन देशों में कार्य कर रहे थे, इनमें से कुछ देशों में राष्ट्रीयकरण हो गया है; उनका रोज़गार समाप्त हो गया है इसलिये वे भारत लौट आये हैं ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** I want to know whether it is not a fact that in the background of the weak-kneed agreement arrived at by the Government of India with Ceylon such a situation has arisen in case of Indians residing in other countries, specially Zanzibar and Tanganyika that they are being asked to leave? Whether they have addressed the Government of India in this matter?

**Shri Dinesh Singh :** It is not like this as in case of Zanzibar. Mr. Speaker knows that people had already come back from there whereas we had discussions with Ceylon recently.

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार यात्रा लेख्यों सहित या इनके बिना आनेवाले सभी शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार देने का विचार कर रही है ?

**श्री दिनेश सिंह :** क्या मैं इस सम्बन्ध में चंद शब्द कह सकता हूँ ? भारत वापस आने वाले मूल भारतीय दो श्रेणी के हैं । उनमें से काफी पहले ही भारतीय नागरिक हैं व उनके पास भारतीय पार पत्र हैं और उनकी नागरिकता का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता । इसके बाद काफी ऐसे मूल भारत के लोग हैं जो राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपने आपको भारतीय नागरिकों के रुपमें पंजीबद्ध करा सकते हैं । पंजीबद्ध कराने का काम उनका है और फिर नागरिकता मिलेगी ।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** क्या मैं जान सकती हूँ कि भंडारनायक सरकार के पतन के बाद क्या हमारा श्रीलंका के साथ हुआ समझौता आप से आप निरर्थक हो जाता हैं ? या कोई अन्तरिय प्रबन्ध है ?

**श्री दिनेश सिंह :** नहीं श्रीमान् । यह निरर्थक नहीं होता । पिछली बार मैंने इसकी व्याख्या की थी ।

## Exhibition of Obscene Films and Posters

*593. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Bade :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**
**Shri Omkar Singh :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state the steps taken by Government to prevent the public exhibition of films and posters which tend to lower the moral standards of those who see them?

**The Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi):** Under the Cinematograph Act, 1952, no film can be exhibited in public unless it has been certified as suitable for public exhibition by the Board of Film Censors. The Board ensures that no picture shall be exhibited which will lower the moral standards of those who see it.

As regards posters there is at present an Informal Committee for pre-censorship of film material including film posters submitted to it voluntarily. The Controller of Films Division is the Chairman of the Committee and representatives from the film industry are its members. Government have written to the State Governments requesting them to take suitable action against offending posters under the existing laws. It is also being examined whether it is necessary to amend the existing laws on the subject.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Whether the attention of the hon. Minister has been drawn to some films containing obscene songs which are used by the students for girls? In view of several incidents of this kind published in newspapers, in which the students were even punished for their mischiefs, whether Government propose to ban such songs?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : फिल्मों की स्थिति; जिसमें गाने भी सम्मिलित हैं, पोस्टर्स से भिन्न है। चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत उनका नियमित सेंसर होता है और उसमें अनेक उपबन्ध हैं जिन्हें बताकर मैं सभा को व्यर्थ थकाना नहीं चाहता। जहां तक पोस्टर्स का सम्बन्ध है यह सच है कि उनमें कुछ ऐसे चित्र होते हैं जो आपको फिल्म में भी देखने को नहीं मिलेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि उन पर किसी प्रकार नियंत्रण नहीं है इसलिये हम अधिनियम में संशोधन करने पर भी विचार कर सकते है। जब तक हम इस पर विचार करें, हमने विभिन्न राज्य सरकारों को लिखा है और जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया सात सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति है जो समय-समय पर इन पोस्टर्स की जांच करती है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya**: The hon. Minister told us that a committee of seven members has been appointed. Then who are its members and are they looking into posters containing nude pictures, which create dirty sentiments in the minds of people? In this connection, are Government considering over giving severe punishment so that film producers may not produce such pictures.

**Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi):** As I said we thought it proper to let the film industry have its own censorship rather than to impose it from outside. However, we have written to all the State Governments to look into this matter and if they think that the present rules are inadequate we may consider over making amendments in the Act.

**Shri Onkar Lal Berwa:** Since the formation of the Censor Board which films have been banned by it?

**Shrimati Indira Gandhi:** I do not have all these details with me but in almost all the films some part is censored and in some cases a sizable part is censored.

**श्री शं० ना० चतुर्वेदी:** क्या मैं जान सकता हूँ कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील पोस्टर्स के प्रदर्शन के विरुद्ध श्री विनोबा भावे द्वारा आन्दोलन आरम्भ करने के बाद क्या कोई कार्यवाही की गई है?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** अभी बता चुकी हूँ कि हमने राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देने के लिय लिखा है ।

**Shri R. S. Pandey :** Since obscene Indian films, posters, language and acting can be banned as is being considered, I want to know whether display of foreign pictures, which are obscene from the Indian point of view though not indecent from the point of view of foreigners, is also being looked into?

**Shrimati Indira Gandhi :** They are also sent to the Censor Board. No film is shown in India unless it is censored. It can also take action in case of posters if it feels that they are obscene and undesirable.

**श्री कपूर सिंह :** मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया है कि किस प्रकार के या किन श्रेणियों के चित्र दर्शकों को नैतिक स्तर से नीचे गिराते है या यह ऐसा प्रश्न है जिसके दोनों पक्षों में बहुत कुछ कहा जा सकता है ?

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनका मैं आपकी अनुमति से उल्लेख करता हूँ वे इस प्रकार है :— .

कोई फिल्म वयस्कों के लिये अनिर्बन्धित अथवा निर्बन्धित रूपसे सार्वजनिक प्रदर्शन के योग्य प्रमाणित नहीं की जायेगी यदि उसमें अपराध अथवा अनैतिकता का इस ढंग से वर्णन हो कि जो (1) बुरे और अनतिक कार्यों को बढ़ा चढाकर दिखाये; (2) शिष्टता के मान्य नियमों की अवहेलना करे ; (3) बुराई और अनैतिकता को आकर्षक रूपमें दिखाये या (4) अनैतिकता और बुराई के चारों ओर ज्योति और सफलता का दीप्तिमंडल दिखाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** इसके बाद भी दोनों पक्षों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** The hon. Minister has stated that improvements in regard to obscene films and posters would be considered. As far as I recollect Dr. Keskar, formerly incharge of this Ministry gave an assurance to this House to make the Censor Board more effective. I want to know what decisions were made earlier in this regard, and what are the reasons for rethinking on this issue ?

**Shrimati Indira Gandhi :** It is always an open issue as the films go on changing. It is not a matter to be decided once for all. I am sorry I do not know the orders of Dr. Keskar.

**Shri Bibhuti Mishra :** I want to know why the members of Government and Ministers in Delhi should not carryout a sample survey of the English and Hindi films displayed at least in Delhi instead of this 7 member a Committee looking into this matter and taking a decision in regard to the Standard of films to be produced so that the morale of children and youths of the country is raised ?

**Shrimati Indira Gandhi :** It is only a suggestion.

**Shri Yashpal Singh :** Is it not a fact that even months before the films are sent to the Censor Board, their half naked pictures are displayed in the market and on the crossings.

**Shrimati Indira Gandhi :** I have not heard of it.

**श्री नम्बियार :** क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार का ध्यान उन बहुत गन्दी अमरीकी फिल्मों की ओर दिलाया गया है, जो भारत में दिखाई जा रही हैं और यदि हां, तो ऐसे फिल्मों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सब फिल्में सेंसर बोर्ड के पास जाते हैं ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि सेन्सर बोर्ड और मंत्रणा समिति के परीक्षण के बाद कुछ फिल्मों और पोस्टरों को काट दिया जाता है और उनमें कुछ नये भाग जोड दिये जाते हैं ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मैंने इसके बारे में नहीं सुना है।

**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या यह सच है कि कुछ चलचित्र जो केवल युवकों के लिये होते हैं, वृद्धों द्वारा भी देखे जाते हैं . . . (हास्य)

**श्री हेम बरुआ :** इस तथ्य को देखते हुए कि हमारी प्राचीन धार्मिक संस्कृति में यह पूर्ण रूप से प्रमाणित कर दिया गया है कि जीवन मे कुछ भी अश्लील नहीं है और पुरी और खजुराहों के मन्दिरों में तथाकथित अश्लील हावभाव दर्शकों के लिए शरीर-शुद्धि का काम करती हैं, और श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार भी अर्धनग्न वेषभूषा का प्रारम्भ भी भारत में हुआ, भारत सरकार चलचित्रों में कुछ नग्न चीजों पर इतनी व्यग्र क्यों है।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री कपूर सिंहने भी यहीं प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर मिल गया है।

**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हिन्दी चलचित्रों का स्तर, उत्पादन के और नैतिक दृष्टिकोण से बंगाली, तेलगू और तामिल चलचित्रों की तुलनामें नीचे गिर गया है, और यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी :** मेरे विचार में यह कथन सत्य नहीं है।

**Shri P. L. Barupal :** Some hon. members while referring to English pictures have stated that they are obscene. I want to know whether those pictures are better or worse than those inscribed in Khajuraho in our ancient culture.

### अणु शक्ति के बारे में जानकारी न देने तथा उस का अर्जन न करने के बारे में करार

*594. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अणु बम तैयार न करने के भारतीय निर्णय का समर्थन करते हुए ब्रिटेन के निःशस्त्रीकरण मंत्री, लार्ड चेलफोंट ने इन दो बातों का सूझाव दिया है कि (1) आणविक शक्तियां अणु शक्ति के बारे में जानकारी न देने के बारे में एक करार करें, तथा (2) गैर-आणविक शक्तियां अणु शक्ति प्राप्त न करने के बारे में एक करार करें; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) भारत सरकार ने इस प्रकार के एक वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं जो ब्रिटेन के निःशस्त्रीकरण मंत्री ने दिया है।

(ख) परमाणु अस्त्र तैयार न करने का भारत सरकार का जो निर्णय है, वह इन अस्त्रों के निर्माण और विस्तार के प्रति सरकार के विरोध के अनुकूल ही है। सरकार निरंतर इसकी आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित कराती रही है कि परमाणु-अस्त्रों का उत्पादन न करने का करार तत्काल संपन्न हो, जिसमें परमाणु देशों की यह स्वीकृति हो कि वे परमाणु अस्त्रों की अदला-बदली नहीं करेंगे और न उससे संबद्ध तकनीकी ज्ञान की ही; साथ ही जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, उनपर भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे परमाणु अस्त्रों को न बनाएं और न प्राप्त करें तथा उससे संबद्ध तकनीकी ज्ञान को भी ग्रहण न करें।

**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हैरोल्ड विलसन के इस नवीनतम कथन की ओर दिलाया गया है, जिसमें नाटो क्षेत्र के बाहर पुलिस कार्य करने के लिये आणविक

हथियारों से सज्जित वी-बमवर्षकों के बेड़े का सुझाव दिया गया है, और यदि हां, तो क्या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का यह सुझाव हमारे प्रधान मंत्री के हमारे लिये आणविक ढाल के सुझाव से कहां तक संगत है, और यदि यह संगत नहीं है, तो सरकार की ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के इस नये प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सरकार ने इस कथन को देखा है। प्रधान मंत्री ने आणविक ढाल के बारे में कभी कोई वक्तव्य नहीं दिया ।

**श्री हेम बरुआ :** मैं यह निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने वी-बमवर्षकों के बेड़े का सुझाव दिया है......

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया सीधा तथा सरल प्रश्न पूछें ।

**श्री हेम बरुआ :** मैं इसे सरल रीति से पूछूंगा । ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हैरोल्ड विलसन ने अपने वक्तव्य में नाटो क्षेत्र के बाहर पुलिस कार्य करने के लिये आणविक हथियारों से सज्जित वी-बमवर्षक बेड़े की बात कही है । यह एक नया परिवर्तन है । अतः मैं यह जानना चाहता था कि ब्रिटेन की प्रधान मंत्री के इस नवीनतम कथन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान हाउस आफ कामन्स में श्री हैरोल्ड विलसन द्वारा विरोधी नेता से पूछे गये इस प्रश्न की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने विरोधी नेता से पूछा है कि चीनी खतरे को देखते हुये भारत के आणविक राष्ट्र बनने के बारे में वह क्या राय देंगे और साथ ही यह भी पूछा 'यदि आप भारत को आणविक राष्ट्र बनने की राय देंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा' ?

**अध्यक्ष महोदय :** इतना बड़ा संदर्भ दिया गया है कि मंत्री महोदय को उत्तर देते समय प्रत्येक चीज़ को याद रखना कठीन हो जाता है ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** आपने कई बार कहा है कि प्रश्नों में माननीय सदस्यों की टिप्पणियां बहुत लम्बी होती हैं । परन्तु मेरे विचार में वह कभी भी 100 शब्दों से अधिक नहीं होती । नियमों में यह उपबन्ध है कि एक प्रश्न में 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि वह कभी कभी 150 शब्दों से अधिक भी हो सकता है । मैने यह उसलिये कहा है क्योंकि पिछली बार जब मैंने आण्विक हथियारों के बारे में एक प्रश्न पूछा था तो आपने ऐसी टिप्पणी की थी । मेरा निवेदन है कि प्रश्न नियमानुकूल हैं । यदि मंत्री महोदय उनको समझ नहीं सकते या याद नहीं रख सकते, तो उनकी त्रुटि है ।

**अध्यक्ष महोदय :** नियमों में जो उपबन्ध है वह यह है कि कोई भी सदस्य 150 शब्दों की सीमा से अधिक कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, यह नहीं कि साधारणतया 150 शब्दों के अनुपूरक प्रश्न पूछें जायें ।

**श्री कपूर सिंह :** श्री हेम बरुआ कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैने यह नहीं कहा । मैने कई बार यह अनुभव किया कि प्रश्न बहुत जटिल होते हैं और उनका सीधा और सरल उत्तर देना संभव नहीं होता । मैं उनको चुपचाप सुनता रहता हूं, क्योंकि यदि मैं हस्तक्षेप करुंगा तो अधिक समय नष्ट होगा । मैं माननीय सदस्यों से पुनः प्रार्थना करुगा कि यदि प्रश्न सीधे और आसानी से समझ आने वाले होंगे तो मैं मंत्रियों को भी संक्षिप्त और सीधे रुप में उत्तर देने के लिये बाध्य कर सकता हूं ।

**श्री रंगा :** वह बिना किसी प्रकार की सूचना दिये "हां" या "नां" कह कर अपना पीछा छुड़ा सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** उससे मैं संतुष्ट नहीं हो सकता ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** नियम में केवल यही शब्द हैं "यह साधारणतया 150 शब्दों से अधिक नहीं होगा"। मैं यह समझता हूं कि प्रश्न जटिल नहीं होना चाहिये परन्तु इसकी लम्बाई पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

**श्री दी० चं० शर्मा :** यह मूल प्रश्न पर लागू होता है, न कि अनुपूरक प्रश्नों पर।

**अध्यक्ष महोदय :** यह केवल 150 शब्द ही नहीं हैं। नियम में यह भी कहा गया है कि इसमें तर्क, अभ्यारोप और मानहानिकारी वाक्य नहीं होंगे। कई प्रश्नों में मैंने देखा है कि ये सभी होते हैं।

**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री हैरोल्ड विलसन द्वारा हाउस आफ कामन्स में विरोधी नेता से पूछे गये इस प्रश्न की ओर दिलाया गया है कि क्या वह चीनी खतरे को देखते हुये भारत के आण्विक राष्ट्र बनने की राय देंगे और यदि वह यह राय देंगे तो "पाकिस्तान का क्या होगा"? क्योंकि इस कथन से आण्विक शक्ति के एकाधिकारियों की मनोवृत्ति का पता चलता है कि इन राष्ट्रों के एकाधिकार को कोई और न तोड़ सके। क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये कारणों में एक कारण यह भी है कि आण्विक शक्तियों को नाराज़ न किया जाये, जिसकी वजह से हमारी सरकार अणु बम नहीं बनाना चाहती ?

**श्री स्वर्ण सिंह (वैदेशिक-कार्य मंत्री) :** इसका उत्तर सीधा "नहीं" है।

**श्री दी० चं० शर्मा :** जहांतक आण्विक हथियारों के अर्जन तथा निर्माण के एकाधिकार का सम्बन्ध है, क्या यह कुछ राष्ट्रों के लिये रक्षित है या सरकार इस एकाधिकार को तोडने का प्रयत्न कर रही है, और यदि कुछ कर रही है तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** आण्विक हथियारों के अर्जन न करने के प्रश्न पर सरकार ने पहले ही एक प्रारुप संकल्प संयुक्त राष्ट्र मे प्रस्तुत कर दिया है।

**श्री शिंकरे :** माननीय राज्य मंत्री ने कुछ समय पहले आण्विक हथियारों के सम्बन्ध में सरकार की नीति बताई थी, और प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था उसकी पुष्टी करते हुए उन्होंने कहा कि वह नीति आण्विक हथियार न बनाने की है। हाल ही में वाशिंगटन में हमारे राजदूत ने कहा था कि यदि और शक्तियों ने भी आण्विक हथियार बनाना शुरू कर दिया तो हम भी इस दौड़ में शामिल हो जायेंगे। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि बहुत से पापी हों तो हमारी सरकार को भी पापी बनने में कोई आपत्ति न होगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप तर्क कर रहे हैं।

**श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहता हूं। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह अमरीकनों के हिन्द महासागर में गस्त लगाने के सम्बन्ध में उदासीन है। अब ब्रिटेन आगे आया है। हम इस संबंध में उदासीन नहीं रह सकते। क्या मैं सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह भिन्न प्रश्न है।

**श्री हेम बरुआ :** मैंने भी यही प्रश्न पूछा था।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस पर आपत्ति कर रहा हूं।

**श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा :** आप कैसे कर सकते हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

**श्री हेम बरुआ :** यह बहुत ही गंभीर विषय है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह अनुपूरक प्रश्न सूचना प्राप्त करने के लिये होते हैं न कि मंत्रियों से उनकी नीतियों में परिवर्तन करने के लिये तर्क करने के लिए होते हैं। उसके लिये यह अवसर नहीं है। इसके लिये और भी कई अवसर मिल सकत हैं। परन्तु अब माननीय सदस्यों को चाहिये कि वह जितनी सूचना एकत्र कर सके उतनी कर लें, और विभिन्न अवसरों पर जब भी यह चर्चा हो तो उसका उपयोग करें।

**श्री हेम बरुआ :** परन्तु हमें सूचना नहीं दी गई।

**श्री नम्बियार :** वह केवल भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

**श्री शिकरे :** मैं अपने प्रश्न द्वारा यह सूचना प्राप्त करना चाहता था कि सरकार की नीती में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं।

**श्री कृ० चं० पंत :** क्या सरकार ने रुसी सरकार को इस सुझाव के बारे में बता दिया है कि जिन शक्तियों को परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं हैं उनके विरुद्ध यदि परमाणु आक्रमण होगा तो सभी परमाणु शक्तियां उनकी सुरक्षा का संयुक्त उत्तरदायित्व लेंगी, यदि हां, तो रुसी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी नहीं; हमने रुसी सरकार को कोई सूचना नहीं दी है।

**श्री हरि विष्णु कामत :** एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्रों के लिये रुस और पश्चिमी शक्तियों द्वारा संयुक्त परमाणु ढाल की कल्पना पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ चर्चा करने के पश्चात्, जैसा कि प्रधान मंत्री ने गत सप्ताह सदन में स्वीकार किया, क्या प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से दोबारा इस सम्बन्ध में बातचीत की थी कि क्या उन्होंने अमरीका के राष्ट्रपति से इस विशिष्ट विषय पर चर्चा की थी, और क्या प्रधान मंत्री ने एशिया और अफ्रीका के अन्य राष्ट्रों से, जिनके लिये यह ढाल है, इस सम्बन्ध में बातचीत की है?

**श्री स्वर्ण सिंह :** सर्वप्रथम, ढाल के लिये इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं है। प्रधान मंत्री ने एक समस्या सामने रखी थी––कुछ देश परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहे हैं और परमाणु शक्तियों के लिये यह बहुत ही गंभीर विषय है कि वह क्या उपाय करें कि वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हैं अरक्षित अनुभव न करें। भारत या किसी अन्य देश के लिये ऐसी कोई गारंटी नहीं मांगी गई थी। प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में भारत के प्रधान मंत्री या ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के बीच कोई परामर्श, चर्चा या सूचना का आदानप्रदान नहीं हुआ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री रा० गि० दुबे।

**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला।

**अध्यक्ष महोदय :** जब मैंने एक सदस्य से अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये कहा है तो बाकी सदस्यों को बैठ जाना चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत :** वदेशिक-कार्य मंत्री अधिक स्पष्ट हो सकते थे, क्योंकि मेरा प्रश्न विशेष रूप से यह था कि हमारे प्रधान मंत्री और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के बीच हुई वार्ता पर और भी विचार हुआ था जब ब्रिटेन के प्रधान मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति से मिले थे। दूसरे, क्या हमारे प्रधान मंत्री अथवा वदेशिक-कार्य मंत्री ने एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्रों से इस विषय पर पत्र व्यवहार किया है, क्योंकि यह ढाल उन्हीं के लिये है?

**श्री स्वर्ण सिंह :** जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, समाचार पत्रों के अनुसार, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने यह विचार अमरीका के राष्ट्रपति के सामने रखा था ; इससे अधिक कुछ नहीं हुआ है। जहाँ तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम किसी भी तटस्थ राष्ट्र से पत्र-व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

**श्री रा० गि० दुबे :** इस गंभीर समस्या को देखते हुये, क्या सरकार का तटस्थ राष्ट्रों का एक आपात कालीन सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हम इस समस्या को महत्वपूर्ण समझते हैं। यह एक गंभीर विषय है। परन्तु तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## चीन द्वारा अणुबम का विस्फोट

*595. **श्री हरीश्चद्र माथुर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा किये गये अणुबम के विस्फोट से उत्पन्न स्थिति तथा उसके प्रभाव के बारे में "टैस्ट बैन ट्रीटी (मास्को)" पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के विचार तथा उनकी प्रतिक्रिया मालूम की है ;

(ख) इन देशों में और अधिक आणविक हथियार बनाने पर रोक लगाने के लिये किस प्रकार के और प्रयास किये गए हैं तथा क्या निश्चित् कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या अमरीका और रूस कोई प्रभावी संयुक्त कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सरकार इस सवाल के बारे में विभिन्न सरकारों के विचार मालूम कर रही है।

(ख) भारत के अनुरोध पर, परमाणु अस्त्रों का उत्पादन न करने से संबद्ध विषय को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19 वें सत्र की कार्यसूची में शामिल कर दिया गया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा में, 18 राष्ट्रों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन में और दूसरे समुचित संगठनों में इस बात का बराबर प्रयत्न करते रहने का इरादा रखती है कि परमाणु-अस्त्रों का उत्पादन न करने के विषय पर तत्काल ही एक अंतर्राष्ट्रीय करार संपन्न हो।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने कहा है कि वे परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने के हक़ में हैं। लेकिन, वे इस उद्देश्य की संधि के मसौदे की शर्तों पर अभी सहमत नहीं हो सके हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैंने यह प्रश्न प्रधान मंत्री से पूछा था क्योंकि प्रधान मंत्री अपने व्यक्तिगत ज्ञान से इस विषय पर अधिक प्रकाश डाल सकते थे। यह मेरी समक्ष में नहीं आया कि यह वैदेशिक-कार्य मंत्री को क्यों दे दिया गया है।

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** प्रधान मंत्री यहां नहीं हैं। वह बाहर गये हुए हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** संसद् का अधिवेशन चल रहा है और महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिये जा रहे हैं। प्रधान मंत्री को यहां होना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय :** आपका प्रश्न क्या है ?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : परमाणु शक्तियों द्वारा संयुक्त कार्यवाही के बारे में हमारे प्रधान मंत्री के सुझाव के जो बिलकुल अलग अलग अर्थ निकाले गये हैं क्या उस की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है? भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने इसे बिलकुल विसंगत कहा है और हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने न्यूयार्क में कहा कि उन्हें प्रधान मंत्री के ऐसे किसी वक्तव्य के बारे में जानकारी नहीं है और उनके विचार से उन शक्तियों द्वारा जिनको परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं हैं, संयुक्त कार्य सम्भव भी नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि ठीक ठीक स्थिति क्या है और क्या संयुक्त कार्य के वास्तविक अर्थ के संबंध में देश और विदेश में उत्पन्न भ्रम दूर किया जायगा और हमारे प्रधान मंत्री का वक्तव्य वैदेशिक कार्य मंत्री के वक्तव्य और ब्रिटिश प्रधान मंत्री की कार्यवाही से किस प्रकार संगत होगा?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने स्वयं संसद् में इस विषय पर वक्तव्य दिया था और उसके बाद कोई भ्रम नहीं रहना चाहिये था। जहां तक न्यूयार्क में मेरे वक्तव्य का सम्बन्ध है, मेरी राय से उसमें कोई भी परस्पर विरोध नहीं था। कुछ संवाददाताओं ने जो प्रश्न मुझसे पूछा था वह यह है कि क्या मेरे विचार से सुरक्षा सन्धि की कोई सम्भावना है। कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था—वास्तव में मैंने देखा नहीं कि यह भारतीय समाचार-पत्रों में किस प्रकार प्रतिवेदित हुआ था— वहां मैंने कुछ समाचार देखे थे। मैंने कहा था कि वातावरण को देखते हुए ऐसी सन्धि व्यवहार्य नहीं है, और दोनों परमाणु शक्तियों के दृष्टिकोण को देखते हुए, क्या ऐसी सर्व-व्यापक सन्धि हो सकती है जो सब राष्ट्रों को रक्षा प्रदान कर सके। अतः मेरी विचार से कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिये। प्रधान मंत्री ने भी स्पष्ट रूप से यह प्रश्न उठाया था कि जब तक मुख्य परमाणु शक्तियां, अर्थात्, रुस और अमरीका, उन राष्ट्रों को जिनको परमाणु अस्त्र प्राप्त नहीं है सुरक्षा का आश्वासन नहीं देतीं, प्रगुणन का भय हमेशा बना रहेगा, अतः, परमाणु शक्तियों को भी जो प्रगुणन की नीति के पक्ष में नहीं हैं, इस पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिये, और उन राष्ट्रों की रक्षा का उपाय करना चाहिये जिनको पास परमाणु अस्त्र नहीं है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय प्रधान मंत्री संयुक्त कार्य की बात करते हैं और माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री नैतिक वातावरण की बात करते हैं......

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है?

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य लंदन में किया था उसमें "नैतिक वातावरण" शद्ध के प्रयोग की बात कही गयी है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं जानता हूं मैंने क्या कहा था। मैंने इस शद्ध का प्रयोग नहीं किया था।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विदेश मंत्री से हमारा कोई प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं हैं। हम समाचार पत्रों में ही सब कुछ पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में नैतिक वातावरण का उल्लेख था। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार किस प्रकार यह विश्वास कर रही है कि वातावरण बनाने के उसके दुर्बल प्रयासों का कोई परिणाम निकलेगा, विशेषतया इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकतर अफ्रीकी एशियाई देश चीन द्वारा विस्फोट के संबंध में या तो संदिग्ध हैं या विभाजित हैं और रुस और अमरीका कुछ नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी सरकार को ठीक तरह से समझ नहीं सके हैं और सरकार ने विश्व के समक्ष जो प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ सार है?

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह ठीक नहीं कि हमारा प्रयास दुर्बल है।

हम इस बारे पूर्णरूपेण स्पष्ट हैं और हम अस्त्रों की वृद्धि रोकने और निशस्त्रीकरण के लिये बहुत परिश्रम से कार्य कर रहे हैं। अतः इस बारे में कमज़ोर रवैये का प्रश्न ही

नहीं है। गुटों से अलग रहने वाले देशों ने भी काहिरा सम्मेलन के फलस्वरूप हुई घोषणा में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उन सभी देशों को मास्को परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने चाहिये। घोषणा में यह भी कहा गया है कि उन देशों को, जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है, इस का अर्जन नहीं करना चाहिये अथवा विकास नहीं करना चाहिये और जिन के पास है उन्हें इस में प्रगुणन को रोकना चाहिये। अतः अस्त्रों की वृद्धि के विपक्ष में बहुमत है और यह कहना गलत होगा कि संसार के देश अस्त्रों में प्रगुणन में छिपे खतरे से अवगत नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिये यह बात, जो कि उन के लिये आश्चर्य-जनक होगी, बताना चाहता हूं। परसों जब मैं मेरठ कालिज में 'कृत्रिम-संसद' (मॉक पार्लमेन्ट) की अध्यक्षता कर रहा था तब उन्होंने भी, जब वे वैदेशिक-कार्य पर चर्चा कर रहे थे, यही बताया था कि इसमें कोई त्रुटि है। मुझे भी इस बारे में परेशानी हुई थी। मंत्री महोदय इस बात का पता लगाने के लिये प्रकाशित समाचारों को देखें कि क्या उन के वक्तव्य को ठीक प्रकार से प्रकाशित किया गया है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** श्रीमन्, मैं ऐसा ही करूंगा। हम 'कृत्रिम-संसद' से भी सीख सकते हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** अफ्रीकी-एशियाई देशों के सम्मेलन के सचिव ने भी यही कहा था।

**श्री हेम बरुआ :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है। श्रीमन्, आप इस संसद के माननीय अध्यक्ष हैं और हमारे अधिकारों, विशेषाधिकारों और अन्य बातों के अभिरक्षक हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप ने 'कृत्रिम-संसद' की अध्यक्षता क्यों की ?

**अध्यक्ष महोदय :** क्योंकि इस सभा ने शनिवार को अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान नहीं किया था।

**एक माननीय सदस्य :** आप के लिये 5 दिन की कार्यवाही पर्याप्त है।

**श्री रंगा :** क्या मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि मैं अपने माननीय मित्र, श्री हेम बरुआ से सहमत हूं कि हमारे अध्यक्ष को कृत्रिम संसद की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिये थी।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हमें कालिजों के युवकों तथा युवतियों को प्रशिक्षित करना है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हमें उन्हें उन स्तरों तक पहुंचने में मदद देनी चाहिये जिन की हम उन से आशा रखते हैं, क्योंकि वे हमारे देश के भावी नागरिक हैं।

**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि अब जब आप को अध्यक्षता के लिये आमंत्रित किया जाये तो आप उन्हें कृत्रिम शब्द के बजाय किसी अन्य शब्द का प्रयोग करने की मंत्रणा दें।

**श्री रंगा :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अभी यह कहा है कि वह संसद में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से सहमत हैं, क्या उस परिवर्तित अवस्था और वातावरण को, जो उन्होंने राष्ट्र संघ में विभिन्न सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलने के पश्चात पाया था, ध्यान में रखते हुए ऐसा कहने से, इस देश, संसद और प्रधान मंत्री के लिये एक उलझन नहीं पैदा हो जायगी ? क्या यह उन के लिये अधिक अच्छा न होता, प्रधान मंत्री से मिलने से पूर्व उन्होंने अपने विचारों को प्रकट न किया होता, उन के साथ चर्चा की होती और फिर इस सदन में उन्हें अपना वक्तव्य देने में सहायता की होती ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि इस में उलझन की कोई बात थी। मेरा प्रधान मंत्री से सम्पर्क बना रहा था और इस में अकुलता की कोई बात नहीं थी। जब मैं बाहर जाता हूं और मुझसे प्रश्न पूछें जाते हैं तो उनके उत्तर में मुझे कुछ कहना ही पड़ता है......

**श्री रंगा :** प्रत्येक अवसर पर उत्तर देना आवश्यक नहीं है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** ....और यह अस्वाभाविक नहीं है कि जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मुझे प्रतिक्रिया बतानी पड़ती है । यह हो सकता है कि जो कुछ मैं कहता हूं उस को ठीक रूप से प्रकाशित न किया जाये........

**श्री हरि विष्णु कामत :** ऐसा प्रायः होता है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मेरा अनुभव यह है कि इन मामलों में सामान्यतया हम अपने कुछ पत्रकारों की शिकायत करते हैं, लेकिन वास्तव में विदेशी पत्रकार वफादार नहीं होते हैं और कभी कभी तो वे गलत समाचार देते हैं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** सभी तो नहीं; केवल उन में से कुछ ही ऐसा करते होंगे ।

**Shri Madhu Limaye :** With reference to the atomic bomb explosion by China, does the Minister of Foreign Affairs not think it necessary to reiterate that they would not compromise with China even on an inch of land ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह यहां संगत नहीं है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह बिलकुल संगत नहीं है । परन्तु हम ने इस विषय में कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ।

**Shri Bibhuti Mishra :** In view of the decision taken by the Government that they would not manufacture atomic weapons, may I know whether this decision has been taken in the light of the opinions held by the public who enjoy the right of adult suffrage or whether the Government is planning to assess their opinion ?

**Shri Swaran Singh :** What can I say about it ?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह नीति जनता की सलाह से बनाई गई है अथवा अब जनता की सलाह लेने का विचार है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** ऐसे मामलों में सरकार, जो जनता तथा संसद का प्रतिनिधित्व करती है, निर्णय करती है । अतः हम उन महत्वपूर्ण मामलों में भी इस बात को अत्याधिक महत्वपूर्ण समझते हैं । यह कोई नया निर्णय नहीं है, यह तो हमारी मूल नीति रही है कि हम अशान्ति बढ़ाने के लिये परमाणु शक्ति का विकास नहीं करेंगे । इस में कोई विशेष सलाह लेने का प्रश्न नहीं है । निर्णय करते समय हम ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाते ।

**Shri Bibhuti Mishra :** May I know whether public opinion has been assessed in this matter after atomic explosion by China ?

**Mr. Speaker :** Order, Order. He says that they are representatives of people and they are supposed to take decision.

**श्री शं० न० चतुर्वेदी :** क्या अस्त्रों की वृद्धि न करना और परमाणु शस्त्रों का अर्जन न करने की नीति परमाणु शक्ति रहित देशों के लिये स्थायी रूप से अलाभकारी नहीं होगी और इस से उनको परमाणु शक्ति प्राप्त देशों की दयालुता पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा ? क्या सरकार ने प्रश्न को इस पहलू पर विचार किया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** अस्त्रों में वृद्धि न करना प्रत्येक व्यक्ति के हित में है अर्थात् उन देशों के हित में है जिन के पास परमाणु शस्त्र नहीं हैं और उन के भी हित में जिन के पास ऐसे शस्त्र हैं।

**श्री शं० न० चतुर्वेदी :** उन की सुरक्षा के लिये क्या गारंटी है ?

**अध्यक्ष महोदय :** अल्प सूचना प्रश्न।

---

## अल्प सूचना प्रश्न

### संयुक्त अरब गणराज्य में पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधिमंडल

8. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के कमान्डर-इन-चीफ जनरल मूसा की अध्यक्षता में पाकिस्तान का एक सैनिक प्रतिनिधिमंडल इस समय काहिरा में है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसकी संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच प्रस्तावित जेट संबंधी करार स्थगित कर दिया गया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने पहली बार पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधि-मंडल को आमंत्रित किया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि राजनयिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गत 10 वर्षों से पाकिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य एक दूसरे से बहुत दूर थे और गत वर्ष पाकिस्तान द्वारा सऊदी अरब के बीच से यमन के राजतंत्रवादियों को सैनिक सहायता भेजने पर राष्ट्रपति नासिर ने पाकिस्तान की कटु आलोचना की थी, यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच मित्रता के वातावरण के पीछे राजनैतिक मनोविज्ञान को जानने का प्रयत्न किया है और इसका संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारे सम्बन्धों पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

**श्री दिनेश सिंह :** संयुक्त अरब गणराज्य का यह दौरा वहां की सैनिक टीम के पाकिस्तान के दौरे के उत्तर में था। इससे कोई राजनैतिक प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

**श्री हेम बरुआ :** इस की पृष्ठभूमि में क्या है ? पिछले 10 वर्षों में इन दोनों देशों के बीच मैत्री नहीं थी ?

**अध्यक्ष महोदय :** हम आगे देखें, पृष्ठभूमि जानना बहुत कठिन है।

**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच जब यह आकस्मिक सैनिक मित्रता हुई उस समय इसकी सूचना देने के लिये काहिरा में हमारा राजदूत नहीं था और हमारे राजदूत (चार्ज-द-अफेअर्स) ने सरकार को जानकारी नहीं भेजी जब तक कि उसे वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने ऐसा करने के लिये नहीं कहा, यदि हा तो सरकार ने राजनयिक कार्यप्रणाली को सक्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाये हैं जिससे इस तरह की परिस्थितियों को रोका जा सके ?

**श्री दिनेश सिंह :** मैं नहीं कह सकता कि इस में हमारे राजदूत ने कोई असावधानी की है ।

**अध्यक्ष महोदय :** उनका कहना यह है कि पहले तो हमारा राजदूत वहां नहीं था और दूसरा कि हमारे चार्ज-द-अफअर्स ने प्रतिवेदन तब तक नहीं भेजा जब तक कि उसे ऐसा करने के लिये नहीं कहा गया ।

**श्री दिनेश सिंह :** मैं अभी यह नहीं बता सकता कि उस समय हमारा राजदूत वहां था या नहीं । यह भी आवश्यक नहीं है कि जिस समय कोई सैनिक प्रतिनिधिमण्डल वहां जाये तो वह उस जगह हो । राजदूतावास वहां पर है और कार्य कर रहा है और हमें वहां से प्रतिवेदन भी मिल गया है । मैं यह नहीं कहूंगा कि यह आवश्यक रूप से एक बार के उत्तर में आया है । यह एक नियमित प्रतिवेदन के रुप में आया है ।

**श्री हेम बरुआ :** श्रीमन् एक औचित्य प्रश्न है । हमें कहा जाता है कि जानकारी सरकार से प्राप्त करनी चाहिये । जब हम कोई जानकारी मांगते हैं तो सरकार जानकारी देने में असफल रहती है । हमारे मंत्री जी को पता नहीं है कि हमारे राजदूत उस समय वहां उपलब्ध थे या नहीं । उन को यह भी पता नहीं कि हमारे निसृष्ट दूत ने प्रतिवेदन तब भेजा जब उसे ऐसा करने के लिय कहा गया । इस प्रकार हमें जानकारी नहीं दी जाती है । जब मंत्री जानकारी देने से इन्कार कर दें तो हम इस बारे में क्या करें ?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे परन्तु इस समय उन के पास वह नहीं है ।

**श्री नाथ पाई :** संयुक्त अरब गणराज्य में दोनों चीन और पाकिस्तान द्वारा संगठित प्रयत्नों और जनरल मूसा के स्वागत और अब सम्भवत: चौ-एन-लाइके जो पाकिस्तान के तीसरे दौरे पर हैं उसी प्रश्न के स्वागत को ध्यान में रखते हुए क्या हम जान सकते हैं कि क्या सरकार यह बता सकती हैं कि संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच अब भी सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध जारी हैं अथवा पेकिंग और कराची से आक्षेपों द्वारा इन को समाप्त किया जा रहा है ?

**श्री दिनेश सिंह :** हमारे सम्बन्ध संयुक्त अरब गणराज्य के साथ बहुत अच्छे हैं । एक देश मे अन्य देशों से लोगों को आमंत्रित करने की प्रथा है । हमारे सैनिक प्रधान तथा प्रधान मंत्री भी वहां गये थे । मैं नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी सैनिक प्रतिनिधि मण्डल के दौरे से हमारे सम्बन्ध को क्षति पहुंची है या नहीं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** श्री हेम बरूआ के प्रश्न के संदर्भ में मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे मास्को स्थित राजदूत भी उस समय मास्को में नहीं थे जब क्रेमलिन में 15 अक्तूबर को तख्ता उलटा गया था ।

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के बारे में अर्थात् क्या समझौते पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वह कहते हैं, 'नहीं' । जब से इस पर हस्ताक्षर किये गये थे तब से इस समझौते को क्रियान्वित करने में, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**श्री दिनेश सिंह :** हमारे विशेषज्ञों की एक टीम अगले दिन वहां बातचीत करने के लिये गयी थी और संयुक्त अरब गणराज्य के विशेषज्ञों की एक टीम जल्द ही भारत आने वाली है ।

**Shri Prakash Vir Shastri :** Is it a fact that the ambassador of Pakistan in Cairo is the brother of our ambassador there ?

**Shri Dinesh Singh :** Our ambassador's brother is not the ambassador of Pakistan there.

**Shri Swarn Singh :** Haksar Saheb is our ambassador there. It is not known how the hon. Member has come to know that his brother is an ambassador of Pakistan. If any of his brother is an ambassador of Pakistan, he would be a Hindu. If there are any relatives of Haksar Saheb, they would also be Hindus.

**Mr. Speaker :** It appears that the hon. Member has misunderstood that Haksar Saheb is a Muslim.

**Gang of Telephone Brokers in the Capital**

9. **Shri Rameshwar Tantia :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of telephone brokers has been discovered in the Capital and that the Telephones Department has been cheated of about Rs. 25,000 for telephone connections sanctioned under 'Own Your Telephone Scheme';

(b) if so, whether any investigation has been ordered ;

(c) whether it is also a fact that some employees of the P & T Department are also involved in this gang ; and

(d) whether all the persons engaged in this gang have been arrested ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) एक व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। उसके बारे में यह पता चला है कि उसने 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दस चैक जारी किये थे। 20,768 रुपये की रकम के इन चैकों को बैंक ने स्वीकार नहीं किया। इन दस कनेक्शनों में से दो कनेक्शनों को कभी खोला ही नहीं गया, दो ने रकम अदा कर दी है और तीन काट दिये गए हैं। इन दस में से तीन टेलीफोनों को काटना संभव नहीं हो सका है क्योंकि न्यायालय ने उनके सम्बन्ध में अंतरिम हुक्मनामें जारी किये हैं जिनके विरुद्ध विभाग अपने पक्ष की पैरवी कर रहा है।

(ख) विभागीय साथ ही पुलिस जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) जांच-पड़ताल की इस स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता किन्तु एक डाक-क्लर्क पुलिस की हिरासत में है।

(घ) इस मामले की अभी जांच हो रही है।

**Shri Rameshwar Tantia :** For how many days has this type of cheating been going on and why it came to the knowledge of the government so late ?

**श्री भगवती :** यह जानकारी हमें गत नवम्बर में मिली थीं। इस से पहले हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी।

**Shri Rameshwar Tantia :** Are Government aware of the fact that there are queues for telephone connections in all the big cities of the country except Delhi, but the telephone brokers get the telephones installed immediately on some payment ; if so, what action is being taken by the Government in this matter ?

**श्री भगवती :** मैं समझता हूं यह गलत है। हमें कोई जानकारी नहीं है और न ही कोई इस प्रकार की शिकायत ही मिली है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** May I know whether there are any employees of the Telephone, P. & T. Department or other Government servants.

**श्री भगवती :** इस बारे में डाक विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** May I know the number of applications received every year for telephone connections and the percentage of the telephones installed ? Have Government received any complaint that the officers do not pay any heed unless their palmes are greased ?

**श्री भगवती :** यह बिलकुल ही पृथक प्रश्न है। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि दिल्ली में 'अपना टेलीफोन लगवाइये' योजना के अधीन हर महीने 250 से 300 टेलीफोन कनेक्शन दिये जाते हैं।

---



3—14 L. S./65

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## वैदेशिक प्रचार सम्बन्धी शेलवंकर प्रतिवेदन

***590. महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक प्रचार के बारे में शैलवंकर प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) से (ग) विदेश प्रचार प्रभाग की संगठनात्मक व्यवस्था में सुधार करने और विदेश-स्थित हमारे प्रचार केन्द्रों के कार्य को समुन्नत करने से संबद्ध सिफारिशों पर इस मंत्रालय की वर्तमान वित्तीय और प्रशासनिक सीमाओं के भीतर रहकर क्रमिक रूप से अंमल किया जा रहा है ।

## आक्जिलियरी कैडट कोर योजना

***596. श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आक्जिलियरी कैडट कोर योजना समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान योजना के स्थान पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) जी हां । 1 अप्रैल, 1965 से ।

(ख) शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन तथा युवक कल्याण क्षेत्र में, परिचालन हो रही, योजनाओं के समन्वय तथा समाकलन के लिए, डा० हृदयनाथ कुंज़रू की अध्यक्षता में, सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने सिफारिश की थी, कि शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में केवल एक समाकलित कार्यक्रम होना चाहिए, जिसे शिक्षा प्रणाली ढांचे में ढाल दिया जाए, और कि एक बार, उन कार्यक्रम के पुरस्थापित किए जाने पर, सहायक छात्रदल सहित, वर्तमान कार्यक्रम अलग योजनाओं के रूप में जारी न रखा जाए । समिति की यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

(ग) वर्तमान सभी, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा सहायक छात्रदल कार्यक्रमों को बदलने के लिए, राष्ट्रीय स्वस्थता अनीकिनी योजना पुरस्थापित करने का विचार है ।

## भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

***597. श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के गृह मंत्रियों के सम्मेलन के लिये कोई अन्तिम तिथि निश्चित हो गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जी नहीं ।

## डाक और तार विभाग में शक्ति का विकेन्द्रीकरण

***598.** { **श्री दे० द० पुरी :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**
**श्रीमती सावित्री निगम :** }

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार सर्किलों के प्रमुखों के हाल में हुए सम्मेलन में दिये गये अपने भाषण में उन्होंने जिन बुराइयों को बताया था उनको दूर करने के लिये डाक और तार विभाग में शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लिये क्या कोई निश्चित उपाय सोचे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनकी क्रियान्विति किस प्रकार होगी ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग) : इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

## छावनियों में भूमि का अर्जन

***599. श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों की वह छावनियां कौन-कौन सी है जहां पर सरकार ने 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि का अर्जन किया था ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितना-कितना क्षेत्र अर्जित किया गया तथा उन के अर्जन के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गयी थीं ;

(ग) क्या सरकार को सम्बन्धित पार्टियों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिन में उन्होंने प्रार्थना की है कि या तो उन जमीनों का वर्तमान बाजार दरों के हिसाब से मुआवजा दिया जाय या जमीन के बदले में जमीन दी जाय ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) दक्षिणी राज्यों में ऐसी कोई छावनी नहीं, जहां भूमि क्षेत्र 99 वर्ष के लिए पट्टे पर अर्जित किए गए थे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वेलिंग्टन छावनी में, मद्रास के नीलगिरि जिले के जगथल गांव के कुछ वासियों से 2000 एकड़ भूमि क्षेत्र की वापसी के लिए, आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें उनके दावे के अनुसार, 100 वर्ष के लिये, उनके पूर्वजों से अर्जित किया गया था । इसके बदले, उन्होंने भूमि-क्षेत्र का वर्तमान बाजार दर पर मूल्य दिए जाने की प्रार्थना की है, अथवा प्रतिबदल में भूमिक्षेत्र दिए जाने की ।

(घ) संबंधित व्यक्तियों के सामने 165 रुपये वार्षिकी के बदले 4743.75 रूपये की एकमुश्त राशि देने का प्रस्ताव रखा गया था । उन व्यक्तियों ने इसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, और सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है, जिसकी पैरवी हो रही है । मामला कानूनी कार्रवाई के अधीन है ।

### नेहरू स्मारक निधि के लिये मनीऑर्डर

***600. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे आदेश दिये गये हैं कि सेक्रेटरी, नेहरू स्मारक निधि को भेजे गये मनीआर्डरों पर मनीआर्डर कमीशन न लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) एक अत्यन्त ही सराहनीय कार्य के लिए अंशदान देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से।

### पाकिस्तान द्वारा अमरीकी हथियारों का प्रयोग

***601. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा पर अमरीकी हथियारों का प्रयोग किये जाने के विरुद्ध भारत सरकार ने अमरीका सरकार को विरोध पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा यदि कोई उत्तर मिला है तो वह क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जी हां। संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे राजदूत ने ज़बानी तौर पर और लिखा-पढ़ी के द्वारा भी अमरीका सरकार के साथ इस मामले को उठाया है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

### नागालैंड में युद्ध विश्रांति

***602.** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या नागालैंड शांति मिशन ने नागालैंड में तथाकथित युद्ध विश्रान्ति अवधि को और आगे बढ़ाने के लिये सरकार से कहा है ; यदि हां, तो कितनी ;

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या नागा विद्रोहियों के साथ वार्ता के दूसरे दौर के लिये तिथि निश्चित की जा चुकी है ?

**वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) 8 जनवरी, 1965 के बाद लड़ाई-बंदी की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शांति मिशन से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस महीने के आखिर में अगली मीटिंग होने की आशा है।

### राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन (1964)

*603. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में हुए राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या ब्रिटेन की नई लेबर गवर्नमेंट ने राष्ट्रमंडल के सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिये कोई नये प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ग) यदि कोई ऐसे प्रस्ताव हैं तो वह क्या हैं और हमारी उन पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ इस विषय पर चर्चा की है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी 3684/64**]

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

### टेलीफोन प्रशुल्क

*604. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने टेलीफोन प्रशुल्क ढांचे का पुनरीक्षण करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) अन्तिम पुनरीक्षण कब किया गया था ; और

(ग) सब्सक्राइबरों से टेलीफोन लगाने के लिये कितना धन लिया जाता है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) स्थानीय टेलोफोन सेवाओं के प्रशुल्क का पिछली बार 1960 में पुनरीक्षण किया गया था और संशोधित शुल्क-दरें 1 अप्रैल, 1960 से लागू की गई थीं।

(ग) प्रत्येक टेलीफोन कनेक्शन पर टेलीफोन लगाने के शुल्क के रूप में एकमुश्त 40 रुपये का एक विशेष शुल्क लिया जाता है।

### Annual Radio Week and Sangeet Sammelan

*605. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Bade :**
**Shri Y. D. Singh :**
**Shri Kashi Ram Gupta :**
**Shri Gauri Shankar Kakkar :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Annual Radio Week and Sangeet Sammelan has been suspended this year ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the expenditure incurred on it annually and the estimated saving to be made by its suspension this year ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) Yes, Sir.

(b) At a time when the public was facing an acute food shortage, it was not considered proper to go in for an ambitious music festival.

(c) The expenditure incurred in connection with the Sangeet Sammelan 1963, and Radio Week 1962 were :

| | |
|---|---|
| (i) Sangeet Sammelan 1963 | Rs. 87,175·68 P. |
| (ii) Radio Week, 1962 | Rs. 1,89,536·03 P. |

The estimated saving will be approximately the same.

### पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाना

*607. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोमवार, 7 दिसम्बर, 1964 को टिथवाल क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर मशीनगनों से गोली चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो दोनों ओर के कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) चार पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर सैनिकों के घायल होने की शंका है। हमारी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) इस घटना के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों को सूचित कर दिया गया है। पाकिस्तानियों द्वारा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए, हमारी सुरक्षा सेनाओं द्वारा आवश्यक प्रतिरक्षा-उपाय किए जाते हैं।

### Cease-Fire Line Violations

*608. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** :
**Shri Vishram Prasad** :
**Shri Jashvant Mehta** :
**Shri Y. D. Singh** :
**Shri Sivamurthi Swamy** :
**Shri N. C. Chatterjee** :
**Shri Onkar Lal Berwa** :
**Dr. M. S. Aney** :
**Shri Shinkre** :
**Shri Kashi Ram Gupta** :
**Shri Bade** :
**Shri P. C. Borooah** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Pakistanis crossed the cease-fire line in Jammu and Kashmir 20 times during four days from the 4th to 7th December, 1964 ; and

(b) if so, the action taken by the Government of India in this regard ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) No, Sir. During this period, the Pakistanis crossed the Cease-fire line 6 times and then resorted to firing. In addition, on 29 occasions, the Pakistanis fired from across the Cease-fire line during the same period.

(b) The intruders were expelled by our security forces. Wherever necessary our security forces returned the fire. In addition, U. N. Observers were also informed about these incidents.

### चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार

***609. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर 1964 में काहिरा में हुए तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन के बाद से चीन ने भारत विरोधी कार्य तथा प्रचार बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या तरीका अपनाया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का विरोध करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) से (ग) 1962 में भारत पर आक्रमण करने के बाद से चीनी बराबर भारत के विरुद्ध जबर्दस्त प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने काहिरा में हुए गुटों से अलग देशों के सम्मेलन में शांतिपूर्ण सह-जीवन और चीन के परमाणु विस्फोट पर हमारे दृष्टिकोण की विशेष रूप से आलोचना की है। हैंडआउट, रेडियो प्रसारण और प्रकाशन जैसे सामान्य माध्यमों से ही चीनी लोग प्रचार करते हैं। विदेशों में हमारी सूचना सेवाएं चीनी प्रचार का प्रतिकार करने के लिए समाचार बुलेटिन, ब्रोशर, पुस्तिकाएं और अन्य प्रचार सामग्री जारी करती हैं। आल इंडिया रेडियो भी चीनी प्रचार का प्रतिकार करता है।

### सैनिक सहकारी आवास समितियां

**1610. श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी सैनिक सहकारी आवास समितियां काम कर रही हैं ;

(ख) क्या 1963-64 और 1964-65 में इन समितियों के विकास के लिये कोई वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई अथवा मंजूर करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) सैनिक सहकारी गृह निर्माण समिति (दिल्ली) एक बहु-एकक समिति है जिसे प्रतिरक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय के करने पर स्थापित किया गया है और इस समय दिल्ली से बाहर इसकी दो शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सैनिक सहकारी गृह निर्माण समितियां हैं जो अन्य स्थानों पर काम कर रही हैं और सैनिक सहकारी गृह निर्माण समिति (दिल्ली) के अधीन नहीं हैं। इन समितियों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है और न हीं वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

## उड़ीसा में सैनिकों के लिये भूमि

**1611. श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने सैनिकों को कृषियोग्य भूमि दी गई है और 30 अक्तूबर, 1964 को कितने आवेदन पत्र विचाराधीन थे ; और

(ख) उनको भूमि मिलने की क्या संभावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) और (ख) : जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## आकाशवाणी के कटक तथा संबलपुर केन्द्रों में कर्मचारी तथा स्टाफ आर्टिस्टस्

**1612. श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कटक और संबलपुर (उड़ीसा) केन्द्रों में कुल कितने कर्मचारी और स्टाफ आर्टिस्टस् काम करते हैं ; और

(ख) 30 अक्तूबर, 1964 को उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने कर्मचारी और स्टाफ आर्टिस्ट्स थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :**

| | केन्द्र | स्टाफ आर्टिस्ट्स | कर्मचारी | कुल |
|---|---|---|---|---|
| (क) | कटक | 51 | 114 | 165 |
| | संबलपुर | | 39 | 39 |

| | केन्द्र | स्टाफ आर्टिस्टों और कर्मचारियों की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जातियों के | अनुसूचित आदिम जातियों के |
| (ख) | कटक | 25 | 2 |
| | संबलपुर | 12 | |

**जवानों की सेवाओं की समाप्ति**

1613. { **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिकूल पुलिस सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर जिन जवानों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं, क्या उनको अपील, पुर्नविलोकन अथवा पुनरीक्षण का कोई अधिकार प्राप्त है ;

(ख) क्या नौकरी से बर्खास्ती के अन्तिम आदेश दिये जाने से पहले जवानों को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का कोई अवसर दिया जाता है ;

(ग) संविधान में दिये गये स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तो को वर्तमान नियम कहां तक पूरा करते हैं ; और

(घ) क्या संबंधित जवानों को आदेश की प्रति दी जाती है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द०स० राजू) :** (क) और (ख) व्यक्तियों को सशस्त्र सेना में इस शर्त पर अस्थायी रूप से भर्ती किया जाता है कि बाद में प्राप्त होने वाले सत्यापन प्रतिवेदन संतोषजनक हों। यदि प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं होता तो उस व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। प्रभावित व्यक्ति को अपनी अस्थायी सेवा से बर्खास्ती के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने की स्वतन्त्रता है।

(ग) इस प्रक्रिया में स्वाभाविक न्याय के विरुद्ध कोई बात नहीं है क्योंकि इस में अनुशासनिक कार्यवाही का प्रश्न है। सरकार को सरकारी नौकरी के लिये प्रत्येक उम्मीदवार की उपयुक्तता के संबंध अपने आप को संतुष्ट करना होता है।

(घ) उस व्यक्ति को नौकरी से बर्खास्ती का प्रमाण पत्र दिया जाता है।

**भारत और ऊगांडा के बीच संयुक्त उपक्रम**

1614. { **श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगांडा सरकार ने तकनीकी और आर्थिक योजनाओं पर मंत्रणा देने के लिये योजना आयोग के डा० वी० के आर० वी० राव को आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है जिसमें दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रम तथा सहयोग के उपाय सुझायें गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनका क्या व्योरा है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) डा० वी० के० आर० वी० राव ने नवम्बर, 1964 में उगांडा सरकार के निमंत्रण पर वहां की सरकार को उनकी चालू पंच वर्षीय योजना की क्रियान्विति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के बारे में मंत्रणा देने के लिये लगभग एक पखवाड़े तक उगांडा का दौरा किया था।

(ख) और (ग) : डा० राव ने उगांडा के अपने दौरे के संबंध में अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है।

## केन्द्रीय नाटक मंडली

**1615. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :**

**क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय नाटक मण्डली निकट भविष्य में जयपुर में प्रतिरक्षा तथा योजना प्रचार से संबंधित 3 नाटक प्रदर्शित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो नाटकों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसमें कितना अनुमानित व्यय होगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) केन्द्रीय नाटक मण्डली ने अपने सामान्य कार्य के अन्तर्गत हाल ही में राजस्थान के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और अन्य बातों के साथ साथ 6 से 13 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में जयपुर में इन इन नाटकों को प्रदर्शित किया :—

(एक) 'चौराहे पार' और 'आराम राज्य' ।

(दो) 'कोहिनूर का लुटेरा' ।

(तीन) 'आराम' ।

(चार) 'धर्मशाला' ।

(ख) नाटकों के विषय के ब्योरे, इस प्रकार हैं :—

**"चौराहे पार"**

औद्योगिक मजदूरों के द्वेष तथा झगड़ों की पृष्ठभूमि में उनके जीवन पर आधारित एक एकांकी नाटक जिसमें छोटी बचतों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है ।

**"आराम राज्य"**

लोक वेशभूशा में दिखाया गया एकांकी नाटक जिसमें राष्ट्रीय बचत योजना, खेती के अच्छे तरीके और करअपवंचन तथा चोर बाजारी के विरुद्ध प्रचार को शामिल किया गया है ।

**"कोहीनूर का लूटेरा"**

दिल्ली पर नादिरशाह के आक्रमण तथा इसके परिणामस्वरूप भारत से कोहिनर के छिन जाने की पृष्ठभूमि में एक पूरा तीन अंक का नाटक जिसमें हिन्दु-मुस्लिम एकता और विदेशी आक्रमण से बचने के लिये देश की अखण्डता को कायम रखने की आवश्यकता को दिखाया गया है।

**"आराम"**

यह एक हास्यरस का तीन अंकों का नाटक है जिसमें कार्य न करने वाले धनी तथा निराश निर्धन को यह संदेश दिया गया है कि केवल श्रम में ही नहीं वरन कठोर परिश्रम में ही जीवन का सार है ।

**"धर्मशाला"**

यह तीन अंकों का हास्यरस का एक सामाजिक नाटक है । इसमें विभिन्नतायें एकता में दिखायी गयी हैं । इस नाटक में यह दिखाया गया है कि देश के भिन्न भिन्न भागों के लोगों के पहनावे, रहनसहन के ढंग तथा अन्य बिना महत्व के विषयों की किस प्रकार आलोचना की जाती है और ऐसी बातें मनुष्य के चरित्र तथा गुणों से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं ।

(ग) स्थूल रूप से तीन हजार रु० खर्च होने का अनुमान है ।

## भारतीय नेताओं के जीवन पर चलचित्र

**1616. श्री ई० मधुसुदन राय :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, तथा स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के जीवन पर चलचित्र बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) तथा (ख) गांधी स्मारक निधि संस्था फिल्म्स डिविजन के सहयोग से 20–22 रील की एक समाचार फिल्म गांधीजी के जीवन पर बना रही है। 14 रीलें जिनमें 1931 तक की घटनायें हैं पूरी हो चुकी हैं। 1965 के अन्त तक फिल्म पूरी होने की आशा है ।

इंगलैंड की इन्डो ब्रिटिश फिल्मस लिमिटेड के श्री रिचर्ड एटिनबरो महात्मा गांधी पर एक पूरी रंगीन फिल्म बना रहे हैं। यह लूई फ़िशर की पुस्तक पर आधारित होगी तथा गीराल्ड हेनल चित्रपट काय करेंगे। यह भारत, अफ्रीका तथा ब्रिटन के स्टुडियो में बनाई जायगी तथा अनुमान है कि इस पर 60 लाख पौंड खर्च होंगे।

ऐसा पता चला है कि कलकत्ता के मैसर्स भारती चित्रण (प्राईवेट) लिमिटेड नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जीवन पर एक चलचित्र बना रहे हैं। सरकार की ओर से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल तथा स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० राजेद्र प्रसाद की जीवतियों पर चलचित्र बनाये जाने का अभी कोई प्रस्ताव नही है।

## आंध्र प्रदेश में रोजगार कार्यालय

**1617. श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1964 को आंध्र प्रदेश में रोजगार के कितने कार्यालय काम कर रहे थे;

(ख) उपरोक्त अवधि में हर एक कार्यालय में वर्गवार कितने व्यक्ति पंजीकृत किये गये ; तथा

(ग) अक्तूबर 1963 से अक्तूबर 1964 तक ऐसे व्यक्तियों की वर्गवार संख्या कितनी थी जिन्हें इन कार्यालयों से रोजगार दिलाया गया ?

**श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) 22 (इनमें विकलांगों के लिये विशेष कार्यालय शामिल नहीं है।)

(ख) तथा (ग) हर साल जून तथा दिसम्बर को समाप्त छमाही के लिये पढ़े लिखे आवेदकों के आंकड़े एकत्र किये जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध जानकारी का एक विवरण पुस्तकालय में रखा गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3685/64।]**

## आंध्र प्रदेश में डाकघर

**1618. श्री ई० मधुसुदन राव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 31 अक्तूबर 1964 को मुख्य, शाखा तथा उप डाकघरों तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनके नाम क्या थे तथा वे कहां कहां पर स्थित थे ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क)

| | |
|---|---|
| मुख्य कार्यालय | 31 |
| शाखा कार्यालय | 10,728 |
| उप कार्यालय | 1,217 |
| सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय | |
| (लम्बी दूरी के) | 108 |
| स्थानीय | 429 |

(ख) डाकघरों के नाम तथा स्थान डाकघर गाइड (भाग III) में दिये हुए हैं।

## Relations between Jawans and Officers

1619. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether any attempts have been made to bring the Jawans and the officers of the army closer ;

(*b*) whether any plan has been framed to bring about closeness in treatment apart from the salary ; and

(*c*) if so, the details thereof ?

**The Minister of Defence Shri Yeshwantrao B. Chavan :** (*a*) and (*b*) : The relations between officers and Other Ranks have always been and are as close as possible. In certain respects Other Ranks enjoy even more facilities than the officers. Arrangements for giving necessary advice on this subject exist and the position is considered to be satisfactory.

(*c*) Does not arise.

## दिल्ली में दूकान कर्मचारियों के लिये उपदान तथा भविष्य निधि

1620. { **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री हुकमचन्द कछवाय:**

क्या **श्रम** तथा **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दूकान कर्मचारियों को उपदान तथा भविष्य निधि के दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने एक समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

**श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) दिल्ली प्रशासन के श्रम सलाहकार बोर्ड ने इस विषय के लिये एक उपसमिति की नियुक्ति की है।

(ख) उपसमिति ने 8 अक्तूबर 1964 को श्रम सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

**उपभोक्ता मूल्य देशनांक**

**1621. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **श्रम** तथा **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1964 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य देशनांक क्या थे ?

**श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** सितम्बर, 1964 तथा अक्तूबर, 1964 के लिये अखिल भारतीय (अन्तरिम) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य देशनांक (आधार 1949–100) क्रमशः 159 तथा 163 था। यह नवम्बर 1964 के लिये अभी तैयार नहीं हुआ है।

**Building for West Delhi H.P.O.**

**1622. Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(*a*) whether Posts and Telegraphs Department have sanctioned the construction of a building in West Delhi for use as Head Post Office ;

(*b*) if so, the location thereof ; and

(*c*) the estimated expenditure to be incurred thereon ?

**Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) :** (*a*) No Sir.

(*b*) and (*c*) Do not arise.

**भारत भू-संचालक**

**1623.** { **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत भू-संचालक के एक एकक पर कितना व्यय होता है तथा उसकी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** भारत भू संचालक नाम का कोई विशेष साज सामान नहीं है । प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत 11–5–1964 को "भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड" नाम के एक समवाय की स्थापना की गई है। यह भू-संचालन के लिये भारी साज-सामान तैयार करेगी। जब तक इसका मैसूर में कोलार स्वर्ण क्षेत्र में अपना कारखाना नहीं बनता, इसका संयोजन कार्य "हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड" बंगलौर के रेल डिब्बा विभाग में हो रहा है। 1964-65 में 57 'सी' माडल की मोटरों की प्रकार की खुरचनियां बनाने का कार्यक्रम है। चालू वर्ष में अब तक यह 23 की संख्या में बन चुकी है ।

एक खुरचनी का अनुमानित विक्रय मूल्य 3.10 लाख रु० है।

**नागालैंड में साधुओं का प्रवेश**

**1624. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में साधुओं के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) क्या भारत के किसी अन्य राज्य में भी उन के प्रवेश पर प्रतिबन्ध है; तथा

(ग) उन को नागालैंड में न जाने देने के कारण क्या हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह ) :** (क) साधुओं के नागालैंड में प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं। सरकारी कार्य पर जाने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों वहां की 'अन्दर की रेखा' से आगे जाने वालों को आज्ञा-पत्र लेना होता है।

(ख) जी नही।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**सन्त फतेह सिंह को पार पत्र दिया जाना**

1625. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन्त फतेह सिंह ने सिंगापुर तथा मलेशिया में अकाली दल के लिए धन एकत्र करने के लिये पारपत्र के लिये आवेदन दिया था;

(ख) किन कारणों से यह पारपत्र अस्वीकार कर दिया गया है ; तथा

(ग) क्या यह अस्वीकृति वर्तमान के लिये है अथवा सदैव के लिये ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सन्त फतेह सिंह ने अकाली दल के लिये धन एकत्र करने के लिये नहीं बल्कि मलेशिया में सिख धर्म प्रचार के प्रयोजन से जाने के लिये पारपत्र सुविधाओं के लिये आवेदन दिया है। उन को 26-10-64 को पारपत्र दे दिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**भारतीय तथा अमरीकी प्रतिरक्षा पदाधिकारियों के पारस्परिक दौरे**

1626. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार से भारत के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के विद्यार्थियों के तथा वहां इस कालेज के विद्यार्थियों के पारस्परिक दौरे के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; तथा

(ग) सरकार की इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू ):** (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के विद्यार्थी एक ओर से तथा संयुक्त राज्य राष्ट्रीय युद्ध कालेज के विद्यार्थी तथा वहाँ के सैनिक बल औद्योगिक कालेज के विद्यार्थी दूसरी ओर से एक दूसरे देश मे जायें।

(2) अमरीका सरकार इंडियन नेशनल डिफन्स कालेज के विद्यार्थी दल का खर्च उठायेगी तथा भारत अमरीकी विद्यार्थी दलों का खर्च देगा।

(3) राष्ट्रीय युद्ध कालेज के 35 विद्यार्थी भारत में 2 दिन तक तथा सनिक बल औद्योगिक कालेज के 7 विद्यार्थी 12 दिन तक भारत में रहेंगे। इसी अनुसार भारतीय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज के लगभग 20 विद्यार्थी 10 दिन तक अमरीका में रहेंगे।

(ग) विदेशी मुद्रा की कठीनस्थिति तथा कम खर्च करने के आन्दोलन के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया जा सका।

**अवध के राजकुमार यूसफ़ मिर्ज़ा**

1627. { **श्री पं० वेंकटसुबय्या :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवध के राजकुमार यूसफ़ मिर्ज़ा भारत से पाकिस्तान को देशान्तरण कर गये है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस देशान्तरण के लिये उन्हो ने सरकार से अनुमति ली थी ; और

(ग) उन की भारत में सम्पदा का क्या बन्दोबस्त है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) भारत सरकार की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के कलकत्ता मिशन द्वारा जारी किये गये आपात प्रमाण पत्र पर वह अपने परिवार के साथ पाकिस्तान गये थे । वह भारत नहीं लौटे है ।

(ख) पाकिस्तान जाने की आज्ञा नहीं ली गयी थी । ऐसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती ।

(ग) राजकुमार यूसफ़ मिर्ज़ा की भारत में कोई भू-सम्पत्ति नहीं थी । वह अपनी चल सम्पत्ति भारत से जाने से पहले बेच कर गये थे ।

**उत्तरखण्ड (उत्तर प्रदेश) में बेतार के तार के स्टेशन**

1628. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना** तथा **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से उत्तर खंड डिविज़न जो तिब्त के सीमा पर है में एक शक्तिशाली ट्रांसमिटर लगानें का अनुरोध किया है ताकी सीमान्त क्षेत्रो के लोगों को सुरक्षा तथा निर्माण कार्य के बारे में शिक्षित किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने उत्तर खंड में मीडियम वेव ट्रांसमिटर को शक्तिशालि बनाने की आवश्यकता बतायी है । यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । यह निर्णय किया गया है कि जो शक्तिशालि ट्रांसमिटर लगाये जाने हैं वे तिब्त के लिये भी होंगे ।

**Mandalay Jail, Burma**

1629. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Government of Burma have been requested not to convert that cell of the Mandalay Jail in Burma into a godown in which the late Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was detained for seven years; and

(*b*) if so, the reaction of the Burmese Government thereto ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) :** (*a*) The original cell in which Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was detained does not exist. The Government of Burma have constructed a memorial hall on the site at the entrance of which a marble plaque mentioning that Lokmanya Tilak was detained in the Mandalay jail has been fixed. The Memorial is well looked after by the Mandalay Jail authorities.

(*b*) Does not arise.

**बर्लिन सम्बन्धी प्रदर्शनी**

1630. **श्री फ० गो० सेन :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री राम सेवक :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरु के पिछले जन्म दिवस पर बर्लिन में भारत के बारे में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी की मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) प्रदर्शनी इन विषयों के बारे में थी :--

(1) स्वर्गीय प्रधान मंत्री का जीवन तथा कार्य ।

(2) भारत में सार्वजनिक जीवन ।

(3) भारत का स्वतंत्रता संग्राम ।

(4) भारत में आर्थिक जीवन ।

(5) पंचवर्षीय योजनायें ।

(6) भारत की नई परियोजनायें ।

(7) कला, नृत्य, वस्त्र तथा आभूषण इत्यादि ।

**Air Crash in Eastern Sector**

1631. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Bade :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that an I.A.F. Trainer aircraft was involved in an accident in the Eastern Sector on the 13th November, 1964, resulting in the death of two IAF Officers ;

(*b*) if so, the names of those officers ; and

(*c*) the causes of the accident ?

**The Deputy Minister of Defence (Dr. D. S. Raju) :** (*a*) Yes, Sir.

(*b*) Flying Officer D. O. Roach and Flying Officer A. K. Sarin.

(*c*) A Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. The cause of the accident will be known when the report of the Court of Inquiry is received.

### ब्रिटिश गियाना के प्रधान मंत्री की अपील

1632. डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश गियाना के प्रधान मंत्री डा० जगन ने भारत सरकार से अपील की है कि भारत ब्रिटिश सरकार से ब्रिटिश गियाना की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करे ताकि इस कालोनी में बहुमत का राज सुनिश्चित किया जा सके; तथा

(ख) यदि हां, तो इस अपील का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) डा० जगन ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्र मंडल इस उपनिवेश की समस्या का हल ढूंढे। उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि ब्रिटिश गियाना के प्रश्न को राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यसूची में रखा जाय तथा उन को और श्री बर्नहाम को लन्दन में आवश्यक चर्चा के लिये आमंत्रित किया जाय। ऐसा महसूस किया गया था कि सम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वयं ही इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा। यह भारत सरकार के लिए ठीक होगा कि वह ब्रिटिश गियाना के भारतीय जिन में भारत वंश के लोग अधिक मात्रा के है विशेष कार्यवाही न करे। ब्रिटिश गियाना में हाल ही में चुनाव हुए थे तथा ब्रिटिश सरकार एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाने वाली है तथा स्वतंत्रता की निथि नियत करने वाली है।

### Employees in the Ministry of External Affairs

1633. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Kishen Pattanayak :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(*a*) the number of Class I, II, III and IV employees working in the Ministry of External Affairs and its attached offices who continued to be temporary till the end of 1963 and the number out of them who were confirmed by the end of October, 1964 ;

(*b*) whether it is a fact that in the other Ministries the employees especially Class III and IV appointed after 1955 have been confirmed but the Ministry of External Affairs has not done so ; and

(*c*) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) :** (*a*) The information is given below in respect of the Ministry and its subordinate offices (except NEFA) :

| Category of employees | No. of temporary employees at the end of 1963 | No. of employees confirmed by 31-10-1964 |
|---|---|---|
| Class I . . . . . | 164 | 15 |
| Class II . . . . . | 797 | 36 |
| Class III . . . . . | 629 | 1 |
| Class IV . . . . . | 374 | 36 |



4—14 Lok Sabha/65

The information in respect of North East Frontier Agency is being collected and will be laid on the Table of the House.

(*b*) The information whether in other Ministries, employees appointed after 1955 have all been confirmed, is not available with us. However, it is not a fact that the Ministry of External Affairs have not confirmed anybody appointed after 1955.

(*c*) Does not arise.

**पूर्वी पाकिस्तान में नागा विद्रोहियों का प्रशिक्षण**

1634. **श्रीमती रेणुका बडकटकी :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने नागा विद्रोहियों को गुरीला युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में काक्स बाजार में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकार को समाचार पत्रों से पता चला है कि पूर्वी पाकिस्तान के एक प्रशिक्षण स्कूल में नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण की सुविधायें दी जा रही हैं।

(ख) मई, 1964 में पाकिस्तान सरकार को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा गया था। उसने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधायें दी हैं।

**श्रमिक शिक्षा केन्द्र, भीलवाडा (राजस्थान)**

1635. **श्री शिव चरण माथुर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि भीलवाड़ा (राजस्थान) में श्रमिक शिक्षा के लिए उप-प्रादेशिक केन्द्र के स्तर को बढ़ा कर प्रादेशिक केन्द्र बना दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र की स्थापना हो चुकी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड आफ गवर्नर्ज ने 21 मार्च, 1964 को हुई 18वीं बैठक में भीलवाड़ा के उप-प्रादेशिक केन्द्र को पूर्णरूप से प्रादेशिक रिहायशी केन्द्र में परिवर्तित करने का निर्णय किया है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) प्रादेशिक निदेशक का चुनाव विचाराधीन है।

**भीलवाड़ा अभ्रक खनन क्षेत्रों में औषधालय**

1636. **श्री शिव चरण माथुर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भीलवाड़ा अभ्रक खनन क्षेत्र में अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, राजस्थान, द्वारा चलाये जा रहे औषधालयों में पिछले कई वर्षों से चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारी नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और उन औषधालयों में योग्यता प्राप्त चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या)** : (क) चिकित्सकों के अतिरिक्त कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। चिकित्सा अधिकारियों की कमी के कारण कठिनाई अनुभव की जा रही है। चिकित्सा अधिकारियों के 12 स्वीकृत पदों में से 7 अभी भी रिक्त हैं।

(ख) इन स्थानों की पूर्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने दो बार उम्मीदवार चुनने के लिए प्रयत्न किये थे। उन्होंने मई, 1962 में 5 उम्मीदवारों को चुना और अप्रैल, 1963 में 6 और उम्मीदवार चुने परन्तु केवल 2 काम पर आये। काम दिलाऊ दफ्तरों और समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा भी प्रयत्न किये परन्तु कोई परिणाम न निकला। यह पद अब केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का अंग है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 2 उम्मीदवार भेजे थे जिन में से एक काम पर लग गया है। आशा की जाती है कि शेष पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की जा रही व्यापक भर्ती से भरे जायेंगे।

**Closure of Asalatpur-Faraknagar Main Road near Ghaziabad**

1637. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Asalatpur-Faraknagar main road has been closed near the Tata Factory because a new I.A.F. aerodrome is being constructed near Ghaziabad (U.P.) ;

(*b*) if so, the reasons for closing that road without constructing an alternative road ; and

(*c*) when the new road would be constructed and whether the old road would be kept open for the public upto that time ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju)** : (*a*) to (*c*) : A small portion of the Asalatpur-Faraknagar Road, taking off from the main Loni Road, has been closed from its junction with Loni Road near Kalu-ka-Bagh. The road had to be closed as it was coming in the operational area of the new Air Force aerodrome being constructed at Hindan (near Ghaziabad). Pucca perimeter road constructed inside the boundary of the aerodrome has been permitted to be used temporarily by the civil traffic proceeding to Asalatpur till alternative road is built. The alternative katcha road will be built by the C.P.W.D. in 3 to 4 months time.

**Acquisition of Land near Ghaziabad for I.A.F. Airport**

1638. **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Bade :**
**Shri S. L. Verma :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(*a*) whether compensation has been paid to the persons whose lands have been acquired for the new I.A.F. aerodrome being constructed near Ghaziabad ;

(*b*) if so, whether there is any difference between the rates of compensation payable for the cultivable land and that bearing orchards and, if so, the extent thereof ; and

(*c*) if the compensation for this land has not been paid so far, the reasons therefor and when it would be paid ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Dr. D. S. Raju) :** (*a*) to (*c*) The required land was requisitioned under the Defence of India Act, 1962 and possession was taken over on various dates between September and December 1963. Action to acquire the land permanently is in progress. As a result of the requisitioning of the land, 'on account' payment of Rs. 2 lakhs has been made to the interested persons. In making the 'on account' payment, no distinction has been made by the Revenue authorities for the cultivable land and that bearing orchards. The amount of compensation payable to the land owners on the basis of acquisition has not yet been determined as the Revenue authorities are collecting material for computing market price of the land. The rates payable for cultivable land and that bearing orchards are likely to be different and will be assessed in accordance with the rules. The work is expected to be completed in four months' time.

**जालंधर रेडिओ स्टेशन के कार्यक्रम में गड़बड़**

1639. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी अज्ञात रेडियो स्टेशन ने 25 और 26 नवम्बर, 1964 की रात को जालंधर रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम में गड़बड़ डाली थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**आकाशवाणी में चीनी भाषा अनुभाग**

1640. **श्री कपूर सिंह :**
**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
**श्री नरसिम्ह रेड्डी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के चीनी भाषा अनुभाग में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन का क्या ब्योरा है; और

(ख) क्या हाल में चीनी भाषा के कार्यक्रम में कोई कमी की गई हैं, और यदि हां, तो क्यों ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) दो चीनी और एक चीनी भाषा जानने वाला भारतीय।

(ख) 24-10-1964 से चीनी भाषा कार्यक्रम की अवधि डेढ़ घंटे प्रति दिन से घटाकर एक घंटा कर दी गयी है और कार्यक्रम में यथोचित परिवर्तन कर दिया गया है। योग्यता प्राप्त कर्मचारियों की कमी के कारण समय कम करना आवश्यक हो गया है।

**महिला अधिकारियों के लिये राष्ट्रीय सेनाछात्र दल कालिज**

1641. **श्री अ० व० राघवन :**
**श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में महिला अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय सेनाछात्र दल कालिज स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) उस कालिज में प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारियों की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि क्या है; और

(ग) कालिज कब से चालू होगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) :** (क) जी हां।

(ख) उस कालिज में प्रति वर्ष राष्ट्रीय सेनाछात्र दल की 500 महिला अधिकारियों को निम्नलिखित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**1. 3 मास के पाठ्यक्रम :**

वरिष्ठ पक्ष महिला अधिकारी छात्रसैनिकों कालिजों के प्रोफेसरों अध्यापकों के लिए कमीशन से पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

**2. 2 मास के पाठ्यक्रम क्रम :**

कनिष्ठ पक्ष महिला अधिकारी छात्रसैनिकों (स्कूल अध्यापकों) के लिए कमीशन से पूर्व पाठ्यक्रम।

**3. 1 मास के पाठ्यक्रम :**

(क) पूरे समय के लिए रखी गई महिला अधिकारियों के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(ख) वरिष्ठ पक्ष महिला अधिकारियों के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(ग) कनिष्ठ पक्ष महिला अधिकारियों के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ।

(घ) उन कनिष्ठ पक्ष महिला अधिकारियों के लिए, जिन्होंने पूरे समय के लिए वरिष्ठ पक्ष में काम करने की इच्छा प्रकट की है, नये पाठ्यक्रम ।

(ङ) भूतपूर्व सहायक-छात्रसैनिक-दल के अध्यापकों के लिए जो कनिष्ठ पक्ष महिला अधिकारियों के तौरपर अपनी सेवा प्रस्तुत करने हैं, परिवर्तन पाठ्यक्रम ।

(ग) मार्च-अप्रैल, 1965 में ।

## सी०ओ०डी० दिल्ली छावनी के कर्मचारियों के लिये अधिक समय काम करने का भत्ता

1642. **श्री हेम बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी के गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को अधिक समय तक काम करने के लिए दिये जाने वाले भत्ते की बड़ी राशि का भुगतान पिछले चार वर्षों से अधिक समय से नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया और किन परिस्थितियों में भुगतान नहीं किया गया; और

(ग) इस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० स० राजू) :** (क) से (ग) सी० ओ० डी०, दिल्ली छावनी के 280 गर-औद्योगिक कर्मचारियों के 1957, 1958 और 1959 के वर्षों के अधिक समय तक काम करने के लिए भत्ते के दावे लेखापरीक्षकों ने इस आधार पर अभी स्वीकार नहीं किये कि कारखाना अधिनियम के अधीन दी जाने वाली दरों पर उन्हें अधिक समय काम करने का भत्ता नहीं दिया जा सकता । मामले पर और विचार किया जा रहा है ।

## विदेशों के लिए प्रसारण

1643. **श्री रा० बरुआ :** क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान शार्ट-वेव रीसीवर से हमारी वैदेशिक प्रसारणों की प्रभाविकता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) पश्चिमी एशिया और पड़ौसी देशों के लिए वैदेशिक प्रसारणों के हेतु शक्तिशाली मीडियम वेव प्रसारण को अपनाये जाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) जी हां । परन्तु अच्छी तरह सुना जा सके इस के लिए यह निर्णय किया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में लगाने के लिए 2 × 250 किलोवाट शार्ट-वेव और 1 × 100 किलोवाट शार्ट-वेव ट्रांसमिटर प्राप्त किये जायें ।

(ख) उपर्युक्त शार्ट-वेव ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त भारत के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी देशों के लिए कलकत्ता में स्थापित करने के लिए एक उत्तम कोटि का अधिक शक्तिशाली मीडियम-वेव ट्रांसमीटर प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। यदि पश्चिमी एशिया के देशों के लिए प्रसारण के लिए इसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हुई तो बम्बई अथवा भुज में लगाने के लिए एक और ट्रांसमीटर ज़रूरी होगा।

## केरल सर्किल में डाक तथा तार क्वार्टर

1644. { श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये केरल सर्किल में, विशेषतया एरनाकुलम् तथा पालघाट में, क्वार्टरों का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

एरनाकुलम् में भूमि अर्जित कर ली गई है। पालघाट में भूमि की खोज की जा रही है।

(ख) ब्योरा इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| (1) एरनाकुलम् . . . | 136 क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए 5 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। |
| (2) पालघाट . . . | स्थान की खोज की जा रही है। |
| (3) क्विलोन . . .<br>(4) मूनार . . .<br>(5) पीरमेद . . .<br>(6) मतानचेरी . . .<br>(7) देवीकुलम . . .<br>(8) पिरावम . . .<br>(9) क्विलांडी . . . | उपलब्ध स्थानों पर कुछ क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है। |
| (10) एलेप्पी . . .<br>(11) कोट्टयम् . . .<br>(12) त्रिचूर . . .<br>(13) कन्ननूर . . .<br>(14) मावेलिक्करा . . | स्थानों के अर्जन के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और अर्जन के मामले राजस्व अधिकारियों के पास पड़े हुए हैं। |

## केरल में सैनिक स्कूल

**1645. श्री प० कुन्हन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये चुने गये हरिजन विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या इन स्कूलों में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कोई रियायत दी जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) :** (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) सैनिक स्कूलों में प्रवेश अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता है। उस परीक्षा में उम्मीदवारों को अर्हता प्राप्त करनी होती है। साधारणतया प्रवेश योग्यता के आधार पर बनाई गई सूची में उम्मीदवार के स्थान के आधार पर होता है। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को जो विशेष रियायत दी जाती है वह यह है कि पास होने के लिए निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रवेश मिल जाता है चाहे अर्हता सूची में उनका कोई भी स्थान हो।

## उचित मूल्य वाली दुकानें

1646. **श्री प० कुन्हन :** क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट, कन्ननूर, कालीकट और एलेप्पी जिलों जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में 150 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में चावल तथा अन्य अत्यावश्यक पदार्थों के सम्भरण के लिए कोई उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन से स्थानों पर हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) 300 या अधिक श्रमिकों वाले संस्थानों में उचित मूल्य वाली दूकानें तथा सहकारी भंडार खोलनें की श्रम मंत्रालय की योजना है। केरल सरकार ने सूचना दी है कि उस राज्य के औद्योगिक एककों में 6 उचित मूल्यों वाली दुकानें और 47 सहकारी भंडार है।

(ख) 6 उचित मूल्यों वाली दुकानें सेन्टीनल रोक इस्टेट, मेपद्दी; पुथूमल इस्टेट, पुथूमल (2 दुकानें) एकीकृत कॉफी इस्टेट, नेमारा और किनालूर इस्टेट, बालसेरी (2 दुकानें) में हैं। 47 सहकारी स्टोर क्विलोन, कोट्टयम, ऐलेप्पी, एरनाकुलम, त्रिचूर, पालघाट, कोजीकोडे और कन्ननूर जिलों में खोली जा रही हैं। उनमें से 17 सहकारी स्टोअर उचित मूल्य वाली दुकानों के रुप में भी काम करते हैं।

(ग) कुछ संस्थानों ने बताया है कि उनकी भारी वित्तीय तथा अन्य जिम्मेवारीयों के कारण उचित मूल्य वाली दुकानों को संगठित करना उन की क्षमता से बाहर है।

## Underground Drainage in Delhi Cantt.

1647. **Shri Bade :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 914 on the 2nd December, 1963 and state :

(a) the present position regarding the scheme to construct underground drainage in the Delhi Cantonment ;

(b) the probable date by which the work is expected to begin ; and

(c) the reasons for the delay in starting the work ?

**The Minister of Defence (Shri Yashwantrao Chavan) :** (a) to (c) There has been some delay in finalising this scheme, because of the decision

taken in April, 1963 to defer its consideration on account of the Emergency. This decision was reviewed in January, 1964 and the scheme has been under consideration since then. It is at present not possible to indicate the date by which the work may be expected to be taken up in hand.

### Licence for Hoarding in Delhi Cantonment

1648. **Shri Bade :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in pursuance of a Resolution passed by the Delhi Cantonment Board, it is levying hoarding-licence fee from the advertising agencies and firms which have put-up advertisement boards in the Cantonment area ;

(b) if so, the rates at which the aforesaid fee is being levied; and

(c) whether the levying of this fee is in consonance with the provisions of the Cantonment Boards Act, 1924 or any bye-laws framed thereunder ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 25 per annum per hoarding.

(c) Yes, Sir.

### Scavenging Fee Charged by Delhi Cantt. Board

1649. **Shri Bade :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Y. S. Chaudhary :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Cantonment Board is charging Scavenging fee from the rural areas in its jurisdiction;

(b) if so, whether it is also a fact that the levy of the aforesaid fee contravenes the provisions of Section 98 of the Cantonment Boards Act, 1924 ; and

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the action Government propose to take in the matter ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

### Functioning of Cantonment Boards

1650. **Shri Y. S. Chaudhary :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Bade :**

Will the Minisiter of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by the Ministry of Defence or the various Army Commands against the Executives of the Cantonment Boards in

India from the elected members of the respective cantonment Boards during the last five years ;

(b) the nature of such complaints ; and

(c) Government's reaction thereto ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

### Michael Scott's Book on Nagaland

1651. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri S. M. Banerjee :**
**Shri Kashi Ram Gupta :**
**Shri Sivamurthi Swamy :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri Bade :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any information regarding a book written or proposed to be written by Rev. Michael Scott on Nagaland ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

### Military Training Centre in Kotah

1652. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a Military Training Centre in Kotah, Rajasthan ;

(b) whether Government propose to shift it to some other place ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Deputy Minister of Defence (Dr. D. S. Raju) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c) At present, the Brigade of the Guards Training Centre and Records Office is located at Kotah. As the existing accommodation at Kotah is not adequate to house this Centre and ancillary Units and also as this station has no capacity of further expansion, it has been decided to shift the Centre to some other station where accommodation and defence land are available. The accommodation released in Kotah will be utilised by other military units.

### भारत सरकार मुद्रणालय में लिनो आप्रेटर

1653. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जं० ब० सिं० विष्ट :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के लिनो आप्रेटरों के वेतन-क्रमों पर पुनर्विचार करने के प्रश्न को समझोता अधिकारी (केन्द्रीय) दिल्ली को समझौते के लिये सौंपा गया था और इस अधिकारी ने अपना निष्फलता प्रतिवेदन 17 नवम्बर, 1962 को श्रम और रोज़गार मंत्रालय को दे दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह विवाद न्याय निर्णयन को नहीं सौंपा गया; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि लिनो आप्रेटरों का एक कथन यह भी था कि गैरसरकारी मुद्रणालयों में अधिक अच्छे वेतन-क्रम होते है इसलिये इस मामले की सविस्तर जांच प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से करायी जाने के लिये वहां के वेतन-क्रम, दूसरी वित्तीय सहायता, न्यूनतम सम्भावित काम तथा पद वृद्धि के मार्ग आदि भारत सरकार तथा दूसरे सुविख्यात मुद्रणालयों का व्यापक अध्ययन करने के बाद यह सूचना इकटठी की गई। इसी दौरान नवम्बर 1963 में निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारियों के वर्गीकरण के लिये एक समिति बनायी। चूंकि इस समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी के वेतन-क्रम से है, इसलिये इस मामलेकी इस समिति के प्रतिवेदन के प्रकाश में और आगे जांच हो रही है और यह सुझाव दिसम्बर 1964 के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है।

### इसाई धर्म पर प्रकाशन

**1654. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इसाई धर्म सम्मेलन के अवसर पर इसाई धर्म पर कोई प्रकाशन निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने और इनमें इसाई धर्म के किन पहलुओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) और (ख) जी हां। **बम्बई** के इसाई धर्म सम्मेलन के अवसर पर इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने एक पुस्तिका की जिसका नाम "भारत में इसाई धर्म" था, 75,000 प्रतियां प्रकाशित की थीं जिसमें देश के सद्भावपूर्ण वातावरण में इसाई धर्म के विकास के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें इसाइयों की कुल जन संख्या, उनका राज्य-वार बटवारा और देश के जीवन में उनके स्थान के बारे में भी लिखा है। संविधान के अधीन इसाई समुदाय द्वारा शिक्षा के और दूसरे क्षेत्रों में उन्हें प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया है तथा शिक्षा और समाज सेवा में उनके द्वारा दिये गये योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है।

### बर्मा से आये भारतीय प्रत्यावासित

**1655.** { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर के पहिले-दूसरे सप्ताह के दौरान बर्मा से भारतीय प्रत्यावासितों को लेकर एक जहाज आया है ;

(ख) यदि हां तो, इस जहाज में कितने प्रत्यावासित आये तथा औसतन प्रति व्यक्ति कितना सामान लाया गया ; और

(ग) वहां कितने और भारतीय प्रत्यावासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) बच्चों को मिलाकर उस जहाज में कुल 1,773 यात्री आये । उनके पास केवल सीमित मात्रा में व्यक्तिगत सामान था । औसतन हर व्यक्ति ने लगभग 500 रुपये का सामान लाया ।

(ग) लगभग 1,20,000 भारतीय नागरिक भारत में प्रत्यावासित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

## Propagation of Christianity in Indian Army or Navy

**1656 Shri Bade :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether permission has been given to some missionaries to propagate Christianity in the Indian Army or Navy;

(b) whether any other religious denominations have also been given similar permission;

(c) the names of the Naval Training Centres in the country where Christian Missionaries are working at present; and

(d) whether he has received any complaints regarding conversions to Christianity ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) and (b) : No, Sir, In the Army, however, religious teachers are provided. at the rate of one per religious denomination if the strength of army personnel other than officers in any unit is not less than 120. In the case of Padres, they are provided in the Army on a station basis also for all the units in the station. The work of these religious teachers is to attend funerals, minister to the sick in hospital, read prayers with convalescents, visit soldiers under sentence in military prisons or detention barracks periodically, give talks on spiritual welfare to their respective class of troops, etc.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

## वारंगल में डाक-तार कर्मचारियों के क्वार्टर

**1657. श्री ई० मधुसुदन राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वारंगल, हनामकोंडा तथा काज़ीपेट में डाक-तार कर्मचारियों के भिन्न भिन्न वर्गों के लिये बनाये गये क्वार्टरों की संख्या क्या है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1963 को कितने लोगों को आवास नहीं दिया गया ; और

(ग) इन स्थानों पर कितने कर्मचारी-क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :**

| (क) | वारंगल | हनामकोण्डा | काज़ीपेट |
|---|---|---|---|
| टाइप—I . . . . | 2 | .. | .. |
| टाइप—II . . . . | 5 | 3 | 1 |
| (ख) . . . . | 63 | 59 | 104 |

(ग) 20 क्वार्टरों के निर्माण के लिये 3720 वर्ग गज़ भूमि काज़ीपेट में अर्जित की जा रही है।

**चीन के नाभिकीय हथयारों का प्रभाव**

1658. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हमारी प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में चीन के नाभिकीय हथयारों के प्रभाव तथा तात्पर्य का मूल्यांकन करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) सेनाध्यक्षों को चीनी नाभिकीय धमाके के प्रभाव का मूल्यांकन करने को कहा गया था और उनकी अन्तरिम रिपोर्ट मिल गई है। फिर भी इस प्रश्न पर निरन्तर विचार की आवश्यकता है।

(ख) प्रधान मंत्री जी ने इस पर सरकार के दृष्टिकोण सभा को समझा दिये हैं।

**भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव पर गोली चलाया जाना**

1659. **श्री संझियान :** क्या वैदेशिक कार्य मंत्री 20 मार्च 1964 को लंका के नौ सेना पहरिओं द्वारा मछली पकड़ने वाली नाव पर गोली चलाने के बारे में 7 सितम्बर 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका सरकार से कोई उत्तर आया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**बंगलौर के भारतीय टेलिफोन कारखाने द्वारा माइक्रो-वेव उपकरणों का निर्माण**

1660. { **श्री रा० बरुआ :**
**श्री ल० ना० भंजदेव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर के भारतीय टेलीफोन कारखाने ने क्या माइक्रो-वेव उपकरणों का निर्माण करने की कोई योजना अपने हाथ में ली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक उत्पादन आरम्भ कर देगा ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) कारखाना वर्ष 1965–66 में उत्पादन आरम्भ कर देगा।

### अमरीका-कम्बोडिया वार्ता

1661. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में इन दो देशों के आपसी झगड़ों को हल करने के लिये क्या नई दिल्ली में अमरीका-कम्बोड़िया वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत को कैसी सहायता देने को कहा गया ;

(ग) क्या भारत ने भी इस वार्ता में भाग लिया था ; और

(घ) भारत ने उनके मतभेद दूर करने में किस प्रकार सहायता की ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां। कम्बोडिया की शाही सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच वार्ता नई दिल्ली में 8 से 17 दिसम्बर, 1964 के बीच हुई।

(ख) दोनों सरकारों के कहने पर भारत सरकार ने इस वार्ता के लिये सुविधायें प्रदान कीं और हैदराबाद भवन का एक भाग दोनों प्रतिनिधि मंडलों के लिये अलग रखा गया।

(ग) और (घ) भारत ने इस वार्ता में भाग नहीं लिया।

### साइप्रस

1662. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइप्रस सरकार ने भारतीय समर्थन की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ; और

(ग) यदि हां, तो साइप्रस के प्रश्न पर जो संयुक्त राष्ट्र महा सभा के सामने फरवरी 1965 में आ रहा है क्या उसको भारत ने समर्थन का आश्वासन दे दिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां। 4 से 7 दिसम्बर, 1964 में एक तीन सदस्यों का प्रतिनिधि-मंडल भारत आया था।

(ग) जी हां।

### भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन दरें

1663. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के बाद पाकिस्तान से कितने भूतपूर्व सैनिक भारत आये ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली पैन्शन में अस्थायी वृद्धि पाकिस्तान से आये भूतपूर्व सैनिकों को नहीं दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं। भारतीय भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली पैन्शन वृद्धि की दरें 1 जून, 1963 से उन विस्थापित भूतपूर्व सैनिकों पर लागू की गई हैं जो अब भारत में रह रहे हैं और जिन्हें भारत में पाकिस्तान सरकार की ओर से भारत में पैन्शन दी जाती है और जो 30 जून 1955 तक भारत में आ गये थे। 1 सितम्बर 1964 से पैन्शन की तदर्थ वृद्धि जो भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ इन विस्थापित भूतपूर्व सैनिकों को भी दी जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**डाक तथा तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी गण**

**1664. श्री प० कुन्हन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग के बहुत से कर्मचारी पिछले दस वर्षों से अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के तौर पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन कर्मचारियों में से योग्य लोगों को स्थायी बनाने के लिये अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ग) क्या ऐसा भी कोई प्रस्ताव है कि चतुर्थ श्रेणी वर्ग के लिये सीधी भर्ती के बजाय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को ही अधिमान दी जाय ?

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) बाहर के उम्मीदवारों के लिये निर्धारित न्यूनतम शिक्षा की योग्यता रखने वाले अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) चतुर्थ-श्रेणी वर्ग के लिये बाहर से भर्ती की बजाये कुछ शर्तों को पूरा करने वाले अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को पहले ही अधिमान दिया जा रहा है।

**कोयला खनिकों के लिये आवास योजना**

**1665.** { **श्री उमा नाथ :**
**श्री लक्ष्मी दास :**
**श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री प० कुन्हन :** }

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनिकों के लिये कोयला खान मजदूर कल्याण निधि ने अपनी "अपने घर स्वयं बनाओ" योजना में कितनी प्रगति की है ;

(ख) क्या कुछ कोयला क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित नहीं की गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) और (ख) दिसम्बर, 1962 में इस योजना के अन्तर्गत एक हजार घरों के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी। इसके लिये आवेदन मांगे गये थे परन्तु बहुत कम लोगों ने आवेदन दिये हैं। केवल 31 मकान ही बांटे गये जिनमें से एक बन गया है और 3 बन रहे हैं।

(ग) यह मांग की गयी है कि योजना के अधीन दी जाने वाली सहायता याने 325 रुपयें कुछ कम है। सहायता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

**सिंगरैनी कोयला खनिकों के लिये 'सेफटी बूट'**

1666. { **श्री उमानाथ :**
**श्री लक्ष्मी दास :**
**श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री प० कुन्हन :** }

क्या **श्रम** और **रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 के दौरान सिंगरैनी की कोयला खानों में काम करने वाले खनिकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने खनिकों को सुरक्षा जूते दिये गये ?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) :** (क) कुल 31,982 खनिकों में से 19,329 सुरक्षा जूतों के पात्र हैं ।

(ख) 19,329 जोड़ जूतों के बनाने के आदेश दिये गये थे और 8,997 जूते अब तक प्राप्त हो चुके हैं और 1,900 खनिकों को पहले ही यह जूते दे दिये गये हैं ।

**प्रसारण केन्द्र**

1667. **श्री रामपुरे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के दौरान कितने प्रसारण तथा पुन: प्रसारण केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है ; और

(ख) इनमें से कितने केन्द्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और यह केन्द्र कहां कहां स्थापित किये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) तीसरी योजना में मूल धारा को पुन: प्रसारित करने के लिए 20 केन्द्र, विविध भारती कार्यक्रमों को पुन: प्रसारित करने के लिये 30 केन्द्र तथा 6 पूर्णरूपेण प्रसारण केन्द्रों की पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है ।

(ख) मूल धारा के पुन: प्रसारण के लिये 12 केन्द्र, विविध भारती कार्यक्रमों का पुन: प्रसारण करने के लिये 18 केन्द्र तथा 4 प्रसारण केन्द्र पहले ही प्रसारण कार्य कर रहे हैं । एक विवरण भी सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 3686/64]

**जंजीबार से आये पेन्शनर**

1668. **श्री दिघे :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि जंजीबार की भूतपूर्व सरकार के पैन्शन पाने वाले जो अब भारत में रह रहे हैं, उन्हें तंजानिया सरकार से गत कुछ मास से पैन्शन नहीं मिली ?

(ख) क्या सरकार को इन भारतीय कर्मचारियों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने तंजानिया सरकार से इस मामले पर बातचीत की है और यदि हां तो इसका क्या परिणाम हुआ ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत सरकार ने इन्सानियत के नाते इस मामलेपर तंजानिया तथा ब्रिटिश सरकारों से इस मामले पर बातचीत की है । ब्रिटिश सरकार, जिस पर इन पैंशनों की अदायगी का अन्तिम

भार है ने पता चला है कि तंजानिया सरकार को सहायता-अनुदान देना स्वीकार कर लिया है ताकि तंजानीया सरकार पैन्शन तथा सम्बद्ध दायित्वों को पूरा कर सके। आशा है कि यह राशि भारत निवासियो के पैन्शन दावों को भी पूरा करेगी।

**नेफा का विकास**

1669. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्री मुरली मनोहर :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के समुचित विकास के लिये नेफा प्रशासन ने 14 करोड़ रुपये की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) ठीक स्थिति यह है कि नेफा प्रशासन इस समय चौथी पंच-वर्षीय योजना के प्रारुप को अन्तिम रूप देने में लगा हुआ है। नेफा प्रशासन ने 17 करोड़ से अधिक रुपये की कुल राशि के प्रस्ताव का अनुमान है। चौथी योजना के प्रारूप में विकास कार्यक्रमों पर बल दिया जाएगा जैसे खेती, पशुपालन, संचार तथा लोकहित सेवायें आदि।

**देहू रोड का प्रतिरक्षा भंडार**

1670. **श्री बड़े :**
**श्री हुकमचन्द कछवाय :**
**श्री लैहरी सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहू रोड के प्रतिरक्षा भंडार में चोरी के कितने मामले सामने आये;

(ख) क्या यह सच है कि 1 दिसम्बर, 1964 को सनिक प्रहरीओं पर बम फैंक कर आक्रमण किया गया था;

(ग) इस भंडार से कितने बम चुराये गये अथवा गुम पाये गये; और

(घ) क्या देहू रोड शिविर के प्रभावशाली निवासियों से इन चोरियों के बारे में ऐसी शिकायत आई है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का इसमें हाथ था ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी कोई नहीं।

(ख) जी नहीं। फिर भी 26 नवम्बर, 1964 के प्रातः 4 बजकर 5 मिनट पर एक डी-एस-सी प्रहरी जब गश्त लगा रहा था तो सीमा के पास ही उसने दो पेटियां पड़ी हुई देखीं। इस घटना के कुछ देर बाद उसने गोला बारूद तकनीकी क्षत्र के वसूली शेड से जो उसकी सीमा से करीब 6 गज़ दूर है एक आवाज़ सूनी। उसके शोर करने पर दो डी-एस-सी कर्मचारी घटना स्थल पर आ गये इन में से एक ने टार्च की सहायता से एक व्यक्ति को वसूली शेड के अन्दर बठा देखा और उसे तीन बार ललकारा परन्तु उस व्यक्ति ने ललकार का उत्तर देने के बजाय संत्री पर जला हुआ फ्यूज़ फैंका और धमकाने के लिये गुराया। संत्री सीधे वार से बच गया। इस स्थिति में संत्री ने उस पर गोली चलाई और वह बाद में मर गया।

अर्दली अधिकारी तत्काल वहां आया और स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। उसने उस व्यक्ति को बेहोश पाकर तुरन्त देहू छावनी के जेनरल अस्पताल में भेज दिया और देहू के पुलिस इन्सपेक्टर को भी सूचित कर दिया। पुलीस सब इन्सपेक्टर ने अस्पताल में उस व्यक्ति को पहचाना और ज्ञात हुआ कि उसने इससे पूर्व 32 बार दण्ड भोगा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार को ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है।

**Invitation Card Bearing "Pakistan Chowk"**

**1671. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an employee of the E.M.E. Workshop, Kirki had got a printed invitation card bearing the name of a chowk upon it as 'Pakistan Chowk";

(b) whether it is also a fact that the name of the said chowk was Nana Chowk uptil now ;

(c) if so, the reasons for getting printed the name of the chowk as 'Pakistan Chowk'; and

(d) the action taken against the person concerned ?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan) :** (a) No, Sir. It was the brother of a civilian employee of this Workshop that had got such an invitation card printed, showing the employee's name as one, in the list of 12 persons extending compliments to the invitees.

(b) The chowk continues to be called Nana Chowk.

(c) and (d) No action could be taken against the employee as the responsibility was that of his brother. The employee offered his apologies on behalf of his brother for this fault.

**मौसमी राकेट का छोड़ा जाना**

1672. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपरी वायुमंडल में वायु की स्थिति के बारे में ब्योरा एकत्र करने के लिये भारत ने एक और मौसमी राकेट छोड़ा है;

(ख) यदि हां तो कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख) जी हां। एक जूडी-डार्ट ऋतु विज्ञान सम्बन्धी राकेट जिसका भार पृथक पृथक होने वाला था 5 दिसम्बर, 1964 को थुम्बा के भूमध्यरेखीय राकेट छोड़ने के अड्डे से सफलता पूर्व छोड़ा गया। राकेट और इससे अलग होने वाला भार का प्रदर्शन संतोषजनक था। "चफ" को राडार द्वारा ढूंढ़ा गया। विर्वणात्मक वैज्ञानिक तथ्य बाद में उपलब्ध हों सकेंगे।

(ग) संयुक्तराष्ट्र विशेष निधि का अनुदान जो भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग को दिया गया था यह राकेट उस अनुदान से खरीदा गया था। 'चैफ' भार अमरीका द्वारा दिया गया था।

### Max Mueller Bhavans

**1672-A. Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Max Mueller Bhavans in the country and the locations thereof ;

(b) their objects and programmes ;

(c) the names of Bhavans out of them which have been given Government grants ; and

(d) the details of such grants given so far ?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) :** (a) There are six Max Mueller Bhavans in India. They are situated in Delhi, Calcutta, Madras, Rourkela, Bangalore and Hyderabad. There is also an Indian Institute of German Studies in Poona.

(b) The above institutions are branches of the Goethe Institute of Munich, the Federal Republic of Germany. The aim of these organisations is to further the cultural ties between India and the Federal Republic of Germany by teaching German language to people here and by organising cultural activities.

(c) No grants have been given.

(d) The question does not arise.

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### गुजरात में गम्भीर खाद्य स्थिति के समाचार

**श्री स० मो० बानर्जी** (कानपुर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय सरकार द्वारा आनाज के अपर्याप्त सम्भरण के कारण गुजरात में उत्पन्न गम्भीर खाद्य स्थिति का समाचार"

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : गुजरात में 1963–64 में खाद्यान्नों की उपज काफी सन्तोषजनक रही है। 1961–62 में 24.02 लाख मीट्रिक टन और 1962–63 में 22.64 लाख मीट्रिक टन उपज के मुकाबले में 1963–64 में खाद्यान्नों की उपज 25.24 लाख मीट्रिक टन या गत वर्ष की तुलना में 2.3 लाख मीट्रिक टन अधिक थी। तथापि, अन्य राज्यों से व्यापारिक मार्ग से खाद्यान्नों की सप्लाई में कमी हुई क्योंकि उन राज्यों ने कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए थे। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय भण्डारों से गुजरात को गेहूं और चावल की सप्लाई बढ़ा दी। जनवरी से नवम्बर, 1964 के इन 11 महीनों

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

में केन्द्रीय भण्डारों से गुजरात को 4.18 लाख मीट्रिक टन गेहूं दिया गया जबकि गत वर्ष 1.05 लाख मीट्रिक टन दिया गया था। इसी ही अवधि में 81,000 मीट्रिक टन चावल की सप्लाई की गयी जबकि 1963 में 74,000 मीट्रिक टन चावल दिया गया था। गुजरात को दिसम्बर, 1964 के लिए मूलत: 49,000 मीट्रिक टन गेहूं का कोटा अलाट किया गया था लेकिन गुजरात की कठिनाइयों को देखते हुए उनका गेहूं का कोटा 10,000 मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार गुजरात को 8,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त चावल अलाट किया गया है।

2. अन्य राज्य से मोटे अनाज दिलाने के लिए भी कार्यवाही की गयी है। राजस्थान सरकार ने 3,000 मीट्रिक टन चना और 1,000 मीट्रिक टन ज्वार देनी पहले ही मान ली है। उन्होंने वचन दिया है कि बाजारों में आमद अच्छी हो जाने के पश्चात् वे गुजरात को मोटे आनाजों की कुछ उपयुक्त अतिरिक्त मात्रा भी सुलभ करेंगे। इसी प्रकार अगले महीने या इसके आस पास मध्य प्रदेश से ज्वार की अच्छी खासी मात्रा सुलभ की जाएगी।

3. गुजरात को दी जाने वाली खाद्यान्नों की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 1965 में भी केन्द्रीय भण्डारों से गेहूं और चावल की काफी मात्राएं सप्लाई की जाएंगी और मोटे अनाज पैदा करने वाले प्रमुख राज्यों से मोटे अनाज दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि श्री इन्दू लाल याज्ञिक इस महीने की 25 तारीख से इस कारण भूख हड़ताल करेंगे कि गुजरात में विशेषकर अहमदाबाद में खाद्य का मूल्य मोटे अनाज के मूल्य से भी अधिक है? यदि हां तो सरकार वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या उपाय कर रही है ताकि वहां खाद्य के मूल्य और अधिक न बढ़ें?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम उन्हें तेज़ी से चावल और गेहूं और मोटा अनाज भेज रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार इन खाद्यान्नों का वितरण उचित तरीके से करेगी ताकि मूल्य कम हों।

**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि गुजरात में चावल की इतनी कमी है कि वहां इस के लिये बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं और वहां पर इसके फलस्वरूप कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो गई है?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : गुजरात में आजकल चावल की फसल का मौका है और गुजरात सरकार ने खाद्य क्रय करने का एक नया तरीका निकाला है। मुझे बताया गया है कि इसके कारण अनाज के स्टाक छिपा लिये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां कुछ कठिनाईयां पैदा हुई हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि हाल ही में स्थिति में सुधार हुआ है।

**Shri Maurya** (Aligarh) : May I know whether it is fact that the food situation in Gujarat has deteriorated so much that the people there have started eating dead animals ?

**Shri C. Subramaniam** : I am not aware of that.

**Shri Yashpal Singh** ( Kairana ) : May I know whether the profiteers in Gujarat knew for the last one month that the price of rice would be increased by 10 paise and they earned a profit of Rs. 10 per maund because of this ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : नहीं श्रीमान्, मूल्य बढ़ाये जाने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Shri Kashi Ram Gupta** (Alwar) : May I know whether the hon. Minister is aware that there is more famine in the villages of Gujarat State and foodgrains are not available there at any cash ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जिन-जिन देहाती क्षेत्रों में कमी है वहां अनाज वितरित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो खाद्यान्न अब उनके पास उपलब्ध हैं उसे देखते हुये गुजरात सरकार बहुत कमी वाले क्षेत्रों को इसका सम्भरण करेगी।

**श्री हिम्मतसिंहजी** (कच्छ) : इस वर्ष की बाजरे और दूसरे मोटे अनाज की फसल गुजरात से बाहर चले गई है और इसी कारण वहां कठिनाइयां उत्पन्न हो गई है। क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस गम्भीर स्थिति की ओर दिलाया गया है जिसकी वहां उत्पन्न होने की सम्भावना है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मुझे यह मालूम नहीं कि गुजरात से मोटा अनाज बाहर भेजा गया था। परन्तु गुजरात की गम्भीर खाद्य स्थिति के बारे में मुझे मालूम है और मैं केन्द्रीय स्टाक से वहां यथासम्भव मात्रा में चावल और गेहूं भेजने का प्रबन्ध कर रहा हूं।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : गुजरात सरकार ने एक शुल्क लगाया है और लोग इसे स्वेच्छा से दे रहे हैं। परन्तु चावल और दूसरे उत्पादों पर शुल्क लगाये जाने के कारण लोग यह राशि शीघ्र हीं नकद रुप में नहीं दे रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस बारे में क्या सलाह दी है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मेरे पास इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में सूचना चाहता हूं।

**श्री प० ह० भील** (दोहद) : वहां की ग़रीब जनता को भूखों मरने से बचाने के लिये सरकार ने जवार, बाजरा, मक्का और चावल के बफर-स्टाक बनाने के बारे में क्या उपाय किये हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जो उपाय किये गये हैं उन्हे मैं बता चुका हूं। उसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई सूचना नहीं है।

**Shri Tan Singh** (Barmer) : May I know the demand made by the Government of Gujarat and the extent it was met by the Centre ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जहां तक चावल और गेहूं का सम्बन्ध है, केन्द्र से ठीक ठीक सम्भरण किया जा रहा है, मोटे आनाज के सम्भरण में कठिनाई आ रहीं है और इसके लिये मध्य प्रदेश और राजस्थान से यथासम्भव मात्रा में मोटा अनाज भेजने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

## REGARDING CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : श्रीमान्, मेरा एक निवेदन है। पिछले शुक्रवार मैं ने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस समय उसका उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं और अविलम्बनीय लोक महत्व के होते हैं। हावड़ा में 9 घंटे तक गाडियों का आना जाना बन्द रहा परन्तु मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार नहीं हुई।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बैठ जायें। इस तरीके से चर्चा की अनुमती नहीं दी जा सकती।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** मैं यही बताना चाहता हूं कि हड़ताल की गई है और 10,000 कर्मचारी बेकार हैं। टेलको में हड़ताल हो गई है और इंडियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस के दो दल आपस में लड़ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को हानि हो रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि वह अपने स्थान पर बैठने के लिये तैयार नहीं. . .

**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** मैं हमेशा आप के फैसले पर चलता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** फिर वह बैठ जायें और इस प्रकार व्यवहार न करें, यह बहुत आपत्तिजनक है।

---

## सदस्य का निलम्बन

### (डा० राम मनोहर लोहिया)

## SUSPENSION OF MEMBER

### (Dr. Ram Manohar Lohia)

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) **:** Mr. Speaker. . .

**Mr. Speaker :** No please, it is not permissible in this way.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Then I am constrained to say that the business of the House is being conducted against the rules. Any discussion here will have no meaning until the motion regarding self-contradictory statement by the Prime Minister is not discussed here.

Moreover you know that the Minister of Parliamentary Affairs. . .

**Mr. Speaker** : I shall also not permit you to flout the rules. It is not your right to speak on any matter at any time and in the fashion you like. Had you written to me in the morning, I might have considered whether to give you the permission or not. I have not permitted Shri Dinen Bhattacharya who was speaking just now. How can I permit you to raise any matter in this way?

**Dr. Ram Manohar Lohia :** If you permit any other business here at this time that will be against the rules.

**Mr. Speaker:** I would say that you are going against the rules. You cannot raise this matter at this time.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Is it your opinion, my opinion or the opinion of the House ?

**Mr. Speaker :** The difficulty is that only my opinion will be considered as correct here.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : I have bowed to the Chair many times but I cannot participate in this business which is being conducted against the rules.

**Mr. Speaker** : If you refuse to yield then it will be very difficult.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : I agree. ..

**Mr. Speaker** : You cannot have your say in this manner.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : In this House the Minister of Parliamentary Affairs...

**Mr. Speaker** : You cannot raise the matter in this way.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : Then I will not let any other business to proceed further.

**Mr. Speaker** : It is very objectionable for you to say that you will not let the business proceed further.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : You want that I should not raise my voice because. . .

**Shri Madhu Limaye** - Sir, I would like to invite your attention to the proceedings of 4th.

**Mr. Speaker** : We are not going to discuss about it. You resume your seat.

**Shri Madhu Limaye** : I would resume my seat. But I would like to invite your attention to the fact that the Minister of Parliamentary Affairs has committed the Contempt of the House by not carrying out the promises he had made.

**Mr. Speaker** : The hon. Member goes on speaking without my permission and he is obstructing the proceedings of the House. I would also request Dr. Ram Manohar Lohia who is standing and is not allowing the proceedings of the House to be conducted, to resume his seat.

Now I ask Dr. Saheb whether he will permit me to proceed with the business of the House or he would go on obstructing the proceedings.

**Dr. Ram Manohar Lohia** : Sir, you may take it as you please but I always like to see that the proceedings of the House are canducted in proper manner. The point which I want to raise and for which I have been trying for about a month, relates to the statement made by the hon. Prime Minister. And assurances were given by you, Sir, as well as by the Minister of Parliamentary Affairs regarding a discussion to be held on this motion. Now I want to make it clear that it would not be possible for me to participate in the business of the House ahead until and unless the assurances given are not carried out.

**Mr. Speaker** : I do not want to enter into arguments. You have repeatedly said that he was not prepared to allow the House to proceed.

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : यदि इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा डाली जाती है तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकेगी, और उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर तो आप ही को विचार करना है। किन्तु यहां प्रत्यक्ष रुप से जो कुछ हुआ है, वह एक प्रहार है जो व्यक्तिगत रूप से केवल आप पर ही नहीं अपितु अध्यक्ष पीठ पर भी किया गया है। वास्तव में यह प्रहार सम्पूर्ण

[श्री कपूर सिंह]

सदन की गरिमा पर हुआ है जो कि क्षम्य नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की गरिमा पर भी एक प्रहार है। अतः इस प्रकार चल रही कार्यवाही पर हमें बहुत आपत्ति है।

**Shri Madhu Limaye :** Sir, this attack has been mounted against you by nobody else but by the Minister of Parliamentary Affairs.

**Mr. Speaker :** Dr. Saheb, he may please resume his seat. I request him not to put obstructions in the proceedings or he may withdraw from the House.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Sir, I may venture to submit that I will not leave the House of my own accord. The rules are not being followed. You will have to oust me forcibly.

**Mr. Speaker :** I have permitted as much latitude as I could and exercised patience to the extent possible. I ask him to withdraw from the House but he is not prepared to do so. He is challenging my orders. Now it is left to a Member or the House to suggest suitable steps in this regard.

**श्री विद्या चरण शुक्ल** (महासंमद) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि डा० राम मनोहर लोहिया को अधिवेशन की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Sir, I may also be given an opportunity to speak on the motion.

**Mr. Speaker :** Now discussion cannot be permitted on the motion. I will put it before the House.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya** (Dewas) : Sir, I oppose this motion. I request you that he may be suspended for the rest of the day, that is sufficient.

**Mr. Speaker :** The hon. Member has perhaps not heard him saying that he would not leave the House.

**श्री स० मो० बनर्जी** : सदन को विदित है कि डा० राम मनोहर लोहिया इस प्रश्न को समय-समय पर उठा रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि क्या संसद-कार्य मंत्री महोदय इस बात के लिये तैयार हैं कि इस विषय पर चर्चा की जाये।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Sir, while you are ousting me from the House, I would like to say that I may be permitted to speak on it.

**श्री नाथ पाई** : संसद कार्य मंत्री महोदय ने कुछ अश्वासन दिये थे। पहिला आश्वासन यह था कि चूंकि इस प्रस्ताव पर आपने स्वीकृति दे दी है अतः वह इस मामले को प्रधान मंत्री महोदय के वापिस आने पर इस मामले के बारे में कार्यवाही करेंगे और दूसरा आश्वासन यह था कि वह इस मामले को कार्य यंत्रणा समिति के समक्ष रखेंगे। मुझे खेद है कि उन्होंने इन दो वचनों में किसी को भी पूरा नहीं किया। मुझे मालूम है कि वह आज फ्लू से अस्वस्थ हैं और घर पर हैं किन्तु उन्हें सभा का अभिप्राय के बारे में मालूम होना चाहिए। मैं डा० लोहिया द्वारा सदन के कार्य में बाधा डालने तथा आपके आदेश का उल्लंघन किये जाने की बात पर सहमत नहीं हूं।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : प्रश्न केवल वही है।

**श्री नाथ पाई** : चूंकि मैं डा० लोहिया की बाधा डालने वाली नीति से सहमत नहीं हूं तथापि सदन से मेरा अनुरोध है कि उस प्रस्ताव पर हमें चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाये।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं इस कार्यवाही को अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूं तथापि इसकी गम्भीरता को देखते हुये ऐसा अनुमान लगता है कि इस प्रस्ताव में, जिसके बारे में डा० लोहिया कई दिनों से चर्चा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अवश्य कुछ सार है। यहां पर सरकार के सभी प्रतिनिधि हैं, सभा के कार्यवाहक नेता भी अवश्य होगें, बावजूत इसके एक साधारण सदस्य उन्हें निलम्बित करने का...... (**अन्तर्बाधायें**)

**Mr. Speaker :** I would like to tell the House and for the information of Shri Mukerjee also that I do not want to stop any one but when a member says that he will not allow the proceedings to be conducted and if no action is taken or cannot be taken by the House against him ; alright, then I have no objection.

**Shri Prakash Vir Shastri :** Sir, the motion on which you are going to have decision is very serious one. It will have adverse effect and possibly some new conventions may come up, if a hasty decision is taken thereon with a mood of indignation. I think this situation would not have arisen if either the Minister of Parliament Affairs or the Prime Minister had been present here. This motion relating to Prime Minister's statement is coming up before the Private Members Business Advisory Committee at 3-30 p.m. to day. Most probably the committee may decide the fate of the motion. What I request is that Dr. Lohia may be heard fully and the Committe may be given an opportunity to take their decision on the Motion ; thereafter you may give your ruling. And the next business of the House may be taken up.

**Mr. Speaker :** The hon. Member says that we may proceed with the business of the House whereas Dr. Lohia asserts that he will not allow the proceedings to be conducted.

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Mr. Speaker, Sir . . .

**अध्यक्ष महोदय** : एक अविश्वास प्रस्ताव है। यदि इसकी पूर्व सूचना दी जाये तो उसे प्राथमिकता मिलेगी जिसकी, एक विशेष अवधि के भीतर ही चर्चा किये जाने के बारे में शीघ्र ही निर्णय लेना होता है। दूसरा किसी विशेष अधिनियम के बारे में सेंसार प्रस्ताव है। इसको 'अनियत तिथि वाले प्रस्ताव' की श्रेणी में रखे जाने के अतिरिक्त और कोई उपबन्ध नहीं है। कुछ दिन पहले इंगलैंड में भी ऐसा हुआ है। मुझे यह देखना होता है कि आया प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है अथवा नहीं। वह मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। इसके बाद इन प्रस्तावों के लिये समय निकालना सरकार के हाथ में है। इन पर विचार करने के लिए हमारी एक उप-समिति भी है, जिसकी, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी के कथनानुसार, आज 3.30 म० प० बजे बैठक भी हो रही है। उसका इस बारे में क्या निर्णय होगा अथवा उस निर्णय का सरकार पर क्या प्रति-क्रिया होगी, मैं कुछ नहीं जानता। किन्तु मुझसे यह बात कहने का क्या मतलब है कि सदन की कार्यवाही बन्द की जायें अथवा वह इस कार्यवाही को आगे नहीं चलने देंगे।

मैंने कुछ माननीय सदस्यों से, जो मेरे पास इस मामले के बारे में बातचीत करने पहुंचे थे, कहा था कि डा० लोहिया उपसमिति की बैठक में जाकर अपना दृष्टिकोण समिति के सामने रखकर उन्हें मना सकते हैं। केवल यही एक रास्ता था। यदि वह इस प्रकार सदन की कार्यवाही में बाधा डालें तो फिर लोकतंत्र कैसे चल सकता है और वह जानबूझ कर मेरी आज्ञा का उलंघन कर रहे हैं।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : अध्यक्ष महोदय, आपने स्थिति को अच्छी प्रकार समझा दिया है। यदि सदस्य महोदय को कोई आपत्ति हो, तो उसके अन्य मार्ग हैं जिनसे कि इस मामले में चर्चा

[श्री नन्दा]

उठायी जा सकती है। कुछ दिन पूर्व संसद-कार्य मंत्री महोदय ने कहा था कि इस बारे में एक प्रस्ताव है और उसके लिए तिथि नियत करने की बात पर विचार हो रहा है।

आपने सदस्यों की बातों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया है और उन्हें महत्व भी दिया है। उनके साथ उदारता भी बरत रहे हैं, मेरे विचार में अब यह बात आपकी और इस सदन की सहनशक्ति से बाहर हो गयी है। अतः प्रस्ताव पर अब आगे विचार किया जाना चाहिए।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Sir, will you not allow the man to speak on the matter concerned even when action is being taken against him ?

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि डा० राम मनोहर लोहिया को अधिवेशन की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलंबित किया जाये।"

**Dr. Ram Manohar Lohia :** The motion should not be adopted by a voice vote. There should be division on the motion and the result of voting should be recorded.

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**The Lok Sabha was divided.**

पक्ष मे 179 : विपक्ष मे 32

Ayes : 179 : Noes : 32

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**(डा० राम मनोहर लोहिया सदन त्यागकर बाहर चले गये।)**

(**Dr. Ram Manohar Lohia left the House.**)

**Sri Ram Sewak Yadav :** It is a most disgraceful action taken as a result of the negligence on the part of the Government in carrying out their assurances given and promises made. It runs quite contrary to the principles of democracy. As a protest we all stage a walk-out.

**(इसके पश्चात श्री राम सेवक यादव, श्री किशन पटनायक और श्री मधु लिमये सदन त्याग कर चले गये)**

---

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

# PAPERS LAID ON THE TABLE

**अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 48वें अधिवेशन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन**

**Report of Indian Delegation to 48th Session of I.L.O.**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** मैं श्री संजीवय्या की ओर से; 17 जून से 9 जुलाय, 1964 तक जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अड़तालीसवें अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3679/64]**

**लोकऋण (दूसरा संशोधन) नियम**

**Public Debt (Second Amendment) Rules**

**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं लोकऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 7 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1614 प्रकाशित लोक-ऋण (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3680/64।**]

**चाय वित्त समिति का प्रतिवेदन**

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : मैं चाय वित्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3681/64।**]

**अत्यावश्य पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाये**

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : मैं श्री दा० रा० चह्वान की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) दिनांक 7 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1741 में प्रकाशित, मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964।

(दो) दिनांक 5 फरवरी, 1953 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 278 में प्रकाशित, राजस्थान चना और चने से बनी हुई चीजें (नियंत्रण) हटाना आदेश, 1953 को रद्द करने वाली, दिनांक 7 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1742 और दिनांक 1 जनवरी, 1954 की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 55 में प्रकाशित, मोटा अनाज (नियंत्रण हटाना) आदेश, 1954।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 3682/64**]

**प्रत्यर्पण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: मैं (5) प्रत्यर्पण अधिनियम, 1963 की धारा 35 के अन्तर्गत दिनांक 1 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1739 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय मे रखी गई। देखीये संख्या एल० टी० 3683/64।**]

**Shri Bagri** (Hissar) : Sir,

**Mr. Speaker :** Do not obstruct now and permit the proceedings to be conducted. The matter has ended.

**Shri Bagri :** Sir, one minute. I would like to say one thing that in Punjab when Jora Singh and Fateh Singh were sentenced to death
(**Interruptions**)

**Mr. Speaker :** Shri Bagri is obstructing the proceedings, I told him that I would not hear anything more at this moment.

**Shri Bagri :** Alright. I leave the House.

**(श्री बागड़ी सदन से बाहर चले गये।)**

(**Shri Bagri left the House.**)

## राज्य सभा से सन्देश

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्निलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 127 के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश मिला है कि राज्य-सभा अपनी 17 दिसम्बर, 1964 की बैठक में खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, 1964 से, जो लोक-सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1964 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

(दो) कि राज्य-सभा अपनी 17 दिसम्बर, 1964 की बैठक में अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक, 1964 से, जो लोक-सभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1964 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।

---

## विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

## PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

**सचिव** : मैं चालू अधिवेशन में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा 17 नवम्बर, 1964 को सभा में गत प्रतिवेदन पेश किये जाने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, 1964 को सभा पटल पर रखता हूं।

---

## इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रिज, बंगलौर के औद्योगिक विवाद के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: INDUSTRIAL DISPUTE IN INDIAN TELEPHONE INDUSTRIES, BANGALORE

**संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से निम्न-लिखित वक्तव्य देता हूं :

"मैंने सर्वश्री नाथ पाई और यशपाल सिंह की ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में, इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर, की हड़ताल के विषय में, 4 दिसम्बर, 1964 को एक वक्तव्य इस सदन में दिया था। उसमें मैंने उल्लेख किया था कि कर्मचारियों की यूनियन द्वारा पेश किये गये मांग-पत्र के बारे में, इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटड के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच विवाद को सुलझाने की, मैसूर सरकार की समझौता-कार्यवाही असफल हो गयी है।

इसके बाद कारीगरों ने 12 दिसम्बर, 1964 से इस प्रकार की हड़ताल जारी करने का फैसला किया जिसमें फैक्ट्री में उपस्थित रहा जाय मगर औज़ारों को हाथ न लगाया जाय।

इस हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर प्रबन्धकों और कारीगरों के प्रतिनिधियों ने चर्चा की और मैसूर सरकार की सहायता भी मांगी गयी। मैसूर सरकार के श्रम-मंत्री के सुझाव पर मैंने इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के प्रबन्धकों और उनके कारीगरों के बीच उठे विवादों में मध्यस्थ बनना स्वीकार कर लिया है। कारीगरों ने इसका स्वागत किया है और वे

15 दिसम्बर से हड़ताल समाप्त करने के लिये राजी हो गये हैं। इस बात पर भी सहमति हो गयी है कि मध्यस्थता निम्नलिखित दो मामलों तक सीमित रहेगी :—

(1) कारीगरों को अन्तरिम रूप से चुकायी जाने वाली सहायता की मात्रा; और

(2) कारीगरों को मकान-किराया भत्ता।

मध्यस्थ का फैसला प्राप्त होने तक कारीगरों को कोई अन्तरिम सहायता नहीं दी जायेगी।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हमें वक्तव्य सुनने के बहुत से टेलीग्राम इस आशय के मिले हैं कि मंत्री महोदय का वक्तव्य किसी निश्चित तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो यथार्थ स्थिति क्या है; और क्या कर्मचारी लोग इस मध्यस्थता प्रस्ताव से सन्तुष्ट हैं अथवा अभी वहां कुछ गड़बड़ चल रही है?

**श्री भगवती :** कर्मचारी लोग इस बात पर सन्तुष्ट हैं कि माननीय संचार मंत्री महोदय ने विवादों को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेज दिया है।

---

## अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अभिसमय व सिफारिशों पर की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE : DELAY IN LAYING STATEMENT SHOWING ACTION TAKEN ON CONVENTIONS AND RECOMMENDATIONS OF INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) :** माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने 7 दिसम्बर को इस सदन की सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखा था जिसमें जून 1963 में जनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 47 वें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिशों और अभिसमय के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण दिया गया था। कुछ सदस्यों ने उक्त वक्तव्य को देरी से रखने के बारे में आपत्ति की थी और मैंने इस सम्बन्ध में जांच करने तथा सदन को स्थिति से अवगत कराने का वायदा किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमयों और सिफारिशों की जांच सम्बन्धी प्रक्रिया यह है कि इन अभिसमयों और सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण तैयार करने और उसे केन्द्रीय मंत्री मंडल की स्वीकृति के साथ संसद में रखने से पूर्व राज्य सरकारों, सम्बंधित नियोजक मंत्रालयों और मालिकों तथा मजदूरों के संगठनों आदि से परामर्श करना होता है। इस कार्यवाही में सामान्यतः समय लगता है और यथार्थतः इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के संविधान में भारत जैसे देशों के लिए यह कार्यवाही पूरी करने के लिए 18 मास के समय की व्यवस्था है। जहां तक जून 1963 में हुए 47 वें अधिवेशन में स्वीकृत सिफारिशों और अभिसमय का सम्बन्ध है, यह समयावधि 26 दिसम्बर, 1964 को समाप्त होती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि उक्त वक्तव्य संसद के सामने स्वीकृत समयावधि से कुछ सप्ताह पहले रख दिया गया था।

---

# समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक---जारी

## COMPANIES (SECOND AMENDMENT) BILL—*Contd.*

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सपुर्द किये जाने के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे।

**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : इस देश के लोग प्रायः शांति प्रिय हैं और कानून की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। वैसे तो लोग प्रायः ईमानदार हैं परन्तु कुछ लोग अपने स्वार्थी हितों के लिए अनुचित ढंगों का प्रयोग कर धन इकट्ठा कर लेते हैं। दालमिया जैन कम्पनी की श्री विवियन बोस आयोग तथा दफ्तरी-शास्त्री समिति ने जांच की है। इस विधेयक का उद्देश्य विवियन बोस आयोग तथा दफ्तरी शास्त्री समिति की सिफारिशों को कार्य रूप में लाना है। इससे जनहित में काफी लाभ होने की आशा है। इसके द्वारा समवायों में होने वाले धोखेबाजी के कृत्यों की जांच सम्बन्धी उपबन्धों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस समय जो निर्धारित अपेक्षित है वे काफी जटिल हैं। उन्हें सरल और साधारण बनाने का यत्न किया गया है।

एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अनाम हस्तांतरणों की प्रणाली में काफी अधिक कुनीतियों की गुंजाइश है। जो मालिक लोग वास्तव में लाभ उठा रहे हैं, वे अपने नाम को तो छिपा लेते हैं और अपने मनोनीत व्यक्तियों के नाम दिखा कर अपने नामों को छिपाना, अनाम हस्तांतरणों पर अंशों के रूप में लगी पूंजी के गुप्त लाभों को छिपा कर कर-अपनयन करना तथा इस ग्रुप के समवायों के बीच अनाम हस्तांतरणों के सभी अंशों में हेर फेर करके समवाय के सन्तुलन पत्रों का बाहरी रूप ठीक बना देना। प्रस्तावित प्रतिबन्ध इन्हीं कुनीतियों को रोकने के लिए किया गया है।

इसके अतिरिक्त मेरा एक मत यह भी है कि यह तर्क देना ठीक नहीं है कि क्योंकि अमरीका में अनाम हस्तांतरणों की अनुमति है इस लिए भारत में भी उसी तरह की व्यवस्था की जाय। यह समझ लेना चाहिए कि यहां के हालात अमरीका से भिन्न हैं। अमरीका में इस पद्धति का प्रयोग छोटे छोटे विनियोजकों के हितों का संरक्षण है। इसके अतिरिक्त, वहां पर इसके लाभों के लिए निदेशक उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त अमरीका में एक बात यह भी है कि वहां के अधिकतर समवाय हर तीन मास के बाद अपने लाभांशों की घोषणा करते हैं जिसमें अनाम हस्तांतरणों पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगी रहती है। कई ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें एक समवाय द्वारा दूसरे समवाय की प्रदत्त पूंजी एवं अधिकृत पूंजी से भी कहीं अधिक ऋण दिये गये हैं जो कि स्पष्टतया ऋण देने वाले समवाय के लिये हानिकारक हैं। अतः, एक समवाय द्वारा दूसरे समवाय को ऋण देने के मामले में खंड 46 में कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षित लेखे में समवाय की कार्य-कुशलता अच्छी तरह प्रतिबिम्बित नहीं होती। लेखा परीक्षक कुछ कदाचारों का पता लगाने में असफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि यह वर्तमान अधिनियम में कुछ विशेष सौदों की जांच करने के लिए कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है। यद्यपि समवाय के मालिकों को लाभ होता है किन्तु झूठी हानि पैदा करने के लिए अनेक प्रकार के हेर फेर किये जाते हैं। यही कारण है कि खंड 21 में लेखा परीक्षकों के कर्त्तव्यों का विशिष्ट उपबन्ध किया गया है। कई एक सदोष कारणों को कम करने के लिए खंडों को सरल बनाया गया है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। मेरा विचार यह है कि यदि इस विधेयक को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया गया तो निगमित क्षेत्रों का वातावरण काफी स्वस्थ हो जायेगा।

**श्री काशी राम गुप्ता** (अलवर) : वित्त मंत्री कहते हैं कि हालात बदल रहे हैं इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता महसूस हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये हालात सरकार के कारण बदले हैं अथवा कई अन्य सूत्र भी हैं जिनके कारण हालात बदल रहे हैं। मेरे विचार में समाजवाद के बारे में सरकार का दृष्टिकोण गलत है। एक ओर तो देश में एकाधिकार चालू है दूसरी ओर छोटे और लघु उद्योगों पर कानून

लागू हो रहे हैं। और आज देश में जो परिस्थिति है इसका कारण यही है। और इसका कोई उपचार नहीं किया जा रहा।

मेरे विचार में विधेयक के कुछ उपबन्ध तो ऐसे हैं कि उनका तो स्वागत किया ही जायेगा। कुछ ऐसे भी हैं कि जिससे काफी परेशानी भी हो सकती है। यह प्रबन्ध अधिकरण की प्रणाली समाप्त होनी चाहिए। यह भी तथ्य की बात है कि कानूनों के जटिल होने के कारण भी निदेशकों को कदाचार करने का अवसर मिलता है। यह बात भी बड़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छोटे और मध्यम श्रेणी के समवायों के साथ नरमी का व्यवहार किया जाना चाहिए। खंड 21 और 24 का मुख्य उद्देश्य तो एक ही है कि कर अपवंचन को रोका जाय। पर यह भी है कि यह कानून छोटी और मध्यम श्रेणी के समवायों के लिए परेशानी पैदा करेगा।

मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लागत लेखापाल अथवा लेखा परीक्षक भरसक प्रयत्न करके भी दूर नहीं कर सकते। जो वस्तुयें दुर्लभ हैं उनके उत्पादन करने वाली मिलों के प्रबन्धक माल की एक कीमत तय करते हैं। परन्तु इस पर भी उन वस्तुओं को अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है। मेरी समझ में तो यही आता है कि वर्तमान विधेयक इस प्रकार की बातों को दूर नहीं कर सकता। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। बहुत विचार करने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जब तक सरकार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में फैले हुए भ्रम को दूर नहीं करती, तब तक स्थिति लगातार खराब ही होती चली जायेगी। इसके लिए प्रधान मंत्री का उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा है कि कपड़ा उद्योग को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। कपड़ों के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के डिजाइन इत्यादि तैयार किये जाते हैं। कई किस्मों का कपड़ा तैयार होता है। कठिनाई यह है कि सरकार इतनी संख्या में डिजाइन और किस्मों का निर्माण नहीं कर सकेगी। यदि सरकार ने सारे ही कपड़ा उद्योग को अपने हाथ में ले लिया तो बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो जायेगी। सरकार को सारा उद्योग ही अपने हाथ में लेना होगा।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]**

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]**

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि खंड 26 के अन्तर्गत निरीक्षक खाते और बहियां जब्त कर सकते हैं किन्तु बहियों को वापस लौटाने की कोई अवधि नियत नहीं की गयी। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अवधि नियत कर दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध कार्यकर्ताओं को प्रतिकर दिये जाने के बारे में यह बात स्पष्ट नहीं की गयी है कि इसे राजस्व परिव्यय समझा जायेगा अथवा पूंजी परिव्यय। मामला अस्पष्ट है। मेरा निवेदन यह है कि इस मामले को स्पष्ट करना बड़ा आवश्यक है। कठिनाई यह है कि यदि इसे पूंजी परिव्यय समझ लिया जायेगा तो पक्षों को काफी हानि उठानी पड़ेगी।

इसके बाद निदेशक की आयु के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि 75 वर्ष का कोई व्यक्ति पूर्ण क्षमता तथा योग्यता से कार्य कर सकेगा। उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी 65 वर्ष की आयु के बाद काम पर नहीं रहने दिया जाता। मेरे विचार में यह सीमा 65 तक रखी जाय तो ठीक ही है।

अन्त में मेरा आग्रह इस बात पर है कि जो समवाय कार्य कर रहे हैं उनका बड़ा व्यापक अध्ययन करना चाहिए। उसका कारण यह है कि इस विधेयक का आधार विवियन बोस आयोग और दफ्तरी—शास्त्री समिति का प्रतिवेदन है। छोटे उपक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। और बड़े उद्योगों के सम्बन्ध में भी समाजवाद की दृष्टि से ही निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगाव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विवियन बोस आयोग का प्रतिवेदन काफी लेट हो गया था। इसके कारण जांच में भी देरी हो गयी। आयोग की किताबें तथा

[श्री मा० ल० जाधव]

सम्बद्ध कागज-पत्र प्राप्त करने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। समवायों के लोगों ने काफी कठिनाइयां पैदा कीं। अतः इस प्रकार के विधान की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी। इसमें अंशदायी लोगों के हित की रक्षा का प्रश्न भी हल होता है।

विधेयक में गैर सरकारी क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सरकार यह चाहती भी है और यह सरकारी नीति भी है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों का साथ साथ विकास हो। क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों को देश के विकास के लिए सहायक सिद्ध होना है। प्रस्तुत विधान रजिस्ट्रार के द्वारा उत्तम तारीख से लेखा परीक्षा करवाने और निरीक्षण करवाने में सहायक सिद्ध होगा। विधेयक में एक उपबन्ध है, जिसके अनुसार रजिस्ट्रार को बिना पूर्व सूचना दिये किसी समवाय के लेखों अथवा पुस्तकों का निरीक्षण एवं उनकी लेखा परीक्षा कर सकेगा। इस मतलब का संशोधन भी मेरे विचार में उपयोगी ही सिद्ध होगा। कोई समवाय बिना अपने अंशधारियों की अनुमति के कोई अन्य कार्य नहीं कर सकेगा।

सब बातों का ध्यान रखते हुए मेरे विचार में यह विधेयक ठीक ही है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जो कुछ इस मामले में माननीय सदस्यों ने कहा है वह मैंने बड़ा ध्यान से सुना है। जिस उपबन्ध की बहुत कटु आलोचना हुई है, मेरे विचार में उस पर संयुक्त समिति विचार करेगी, यदि यह प्रस्तुत किया हुआ प्रस्ताव सदन ने स्वीकार कर लिया। सरकार सारी जानकारी संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देगी और उसे इस सम्बन्ध में परिवर्तन करने का पूरा अवसर देगी।

इस पर भी मैं आलोचना के समय कहे गये कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। स्वतन्त्र दल के एक माननीय सदस्य ने कहा है सरकार गैर सरकारी उपक्रमों में खामखां हस्तक्षेप कर रही है। खेद है कि सरकार को कुकृत्य रोकने के लिए कार्यवाही करनी ही पड़ती है। सरकार का समवाय अधिनियम में उन विनिमयों का उपबन्ध करने का उद्देश्य यही है कि उसे उन विनिमयों के अधीन रहते हुए काम करने की स्वतन्त्रता है। स्वभावतः इससे किसी भी व्यक्ति को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो ठीक काम करता है उसे डर क्यों हो। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि जनता से प्राप्त किये हुए धन का ठीक ढंग से प्रयोग होता है अथवा नहीं। यह देखना भी सरकार का कर्तव्य है कि समवायों का काम ठीक ढंग से चलता है अथवा नहीं। समवाय अधिनियम काफी अच्छा है या इसमें संशोधन की आवश्यकता है जिस से इसकी रुकावटों को कम कर दिया जावे, एक ऐसी बात है जिसका भिन्न भिन्न प्रकार के विचार हैं। मुझे याद है जब 1955-56 में यह अधिनियम लागू हुआ तब भी इन बातों का जिक्र किया गया था। अभी एक माननीय सदस्य ने जो कम्पनियों के कानून तथा कम्पनी व्यवस्थापन के बारे में माहिर हैं जैनकिन्स कमिटी रिपोर्ट का जिक्र किया। जब 1913 के अधिनियम द्वारा कम्पनी कानून को लागू करने के बारे में रिपोर्ट पेश हुई हो श्री भाभा की अध्यक्षता में एक समिति ने इस पर विचार किया और उन्हों ने भी ब्रिटिश प्रथा की पूरी तरह नकल नहीं की। इस लिये जैनकिन्स कमिटी भी यही ब्यौरा दे सकी कि उस समय ब्रिटेन में इस के बारे में वास्तविकता क्या थी न कि भारत में कानून क्या था। इन में कोई समानता नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि आपके यहां अंशधारियों का एक जागृत समूह हो फिर तो केवल इतना करना बाकी होगा कि यहां भी इंग्लैंड जैसा कानून हो जिससे इसका प्रचार पूरी तरह हो सके और बाकी सारा काम अंशधारियों के उपर छोड़ दो। परन्तु यहां तो बात ही उल्टी है यानी यहां के अंशधारी तो गूंगे बने हुए हैं और इस लिये कोई ऐसा होना चाहिये जो उनके लिये बोले।

मैं तो एक बार एक ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी का एक शेयर खरीदा था ताकि उनकी बैठक में भाग ले सकूं। उस एक बैठक में भाग लेने के पश्चात मेरी इस में रुचि ही नहीं रही। वैसे कुछ मनुष्य इस लिये भी

शेयर खरीदते हैं ताकि कुछ लाभदायक काम कर सकें और कुछ वहां परेशान करने के लिये भी शेयर खरीदते हैं।

इस लिये हमें यह प्रयत्न करना चाहिये जिस से कम्पनियों के प्रशासन में सुधार हो और आज इसी आशय से मैं कम्पनीज़ अधिनियम में संशोधन लेकर यहां आया हूं।

अभी एक विरोधी सदस्य ने कहा है कि हमें विवयन बोस कमीटी की रिपोर्ट का उद्धरण नहीं देना चाहिय क्योंकि उसकी पहली रिपोर्ट उन कारणों पर आधारित थी जो समवाय अधिनियम का 1956 में संशोधन करने से पहले निगाह में आये थे। इस समय भी उस कानन में संशोधन इस लिये कर रहे हैं क्योंकि वह पहले ध्यान में नहीं आय थ।

मुझे संशोधन प्रस्तुत करने में कोई हर्ष नहीं है परन्तु जब यह बिल्कुल आवश्यक हो जाता है तभी हम ऐसा करते हैं।

अभी विरोधी दल के सदस्य ने मेरे उस भाषण का उल्लेख किया जो मैंने क्षेत्रीय कानून अधिकारियों के सम्मुख दिया। यह मैंने इस लिये किया क्योंकि अगस्त 1965 में इस क्षेत्र में कुछ घटनायें घटती हैं और सरकार का उसमें कुछ उत्तरदायित्व है। कानन के अनुसार 1965 में, यदि कोई और बात हो जावे तो दूसरी बात है, वरना प्रबंध अभिकरण (मैनेजिंग एजेंटस) की प्रथा समाप्त होनी है।

**श्री मी० स० मसानी**: एसी बात नहीं है। यहां तो लिखा है कि एक समिति इस पर विचार करेगी।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हां, यदि इन चीजों को एक ठीक गति के अनुकूल चलाना है और आवश्यकता हुई तो एक समिति होनी चाहिय। जो लोग मैनेजिंग एजेंटस हैं उन्हें पता है कि 1960 में अधिनियम में संशोधन हुआ था। इस लिये मैं तो एक सेवा कर रहा हूं कि इन लोगों को यह सब बताऊं ताकि यह कोई मसौदा तय्यार करें। हो सकता है कि समिति ही इन्की गवाही चाहे। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार इस में किसी को कोई धमकी नहीं दे रही है। यह तो मैं इस लिये कह रहा हूं कि कुछ चीजें होने वाली हैं और उसके लिये लोगों को तय्यार रहना चाहिय।

अभी कहा गया है कि मैंने 1957 में कुछ इस दिशा में किया था और वह बाद में समाप्त कर दिया गया। मुझ से पूछा गया है कि क्या उसी तरह की कोई बात अब होगी। हां, मैं कहता हूं कि कुछ कम्पनियां एसी हैं जिन में बढ़ावे के लिय कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वह पहले ही बहुत बढ़ चुकी हैं। इस लिये उनके साधनों के बारे में अब क्या करें? इस लिये या तो आप उन्हें दूसरी कम्पनियों में रुपया लगाने की अनुमति दो या फिर उन्हें कोई और सलाह दो जिससे उनका रुपया प्रयोग में आ सके।

माननीय सदस्य ने अनाम हस्तान्तरण के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य दोबारा वह पढ़ें जो मैंने आरम्भ में कहा था। इस प्रश्न पर दो विचारधारायें हैं उनमें एक तो हमारे कार्य की भर्त्सना करते हैं और दूसरे यह बुराई करते हैं कि हम इस ओर थोड़े ढ़ीले चल रहे हैं और कहते हैं कि अनाम हस्तान्तरण तो केवल मान्यता प्रदान किये गये अनाथालयों को शैयर देने के लिये ही करना चाहिये अन्यथा नहीं। इस लिये मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस ओर ध्यान दे। मेरा अपना विचार अनाम हस्तान्त्रणों के बारे में यह है कि चाहे इससे कुछ सुविधा हो पर यह दुरुपयोग का तरीका है। अनाम हस्तान्तरण तो वाहक बन्ध के सदृश हैं। मुझे कई बार कहा है कि यदि सरकार बन्ध जारी कर दे तो सारा रुपया जो छुपा हुआ है वह बाहर आ जावेगा। परन्तु यह बात हमें अच्छी नहीं लगती क्यों इसका मतलब यह होगा कि भले आदमी तो करों से दंडित हों और बेईमान मनुष्य अपने काले धन से बांड खरीदें और उस पर सूद कमावें। मेरे माननीय मित्र के सरकार से कितने ही मतभेद हों पर वह भी यह नहीं चाहेंगे कि जो लोग सरकार को लूटें उन्हें प्रोत्साहन मिले। वह भी यह चाहते होंगे कि सब मनुष्य कर की राशि दें जिस से भले आदमियों का बोझ कम हो। वैसे तो मैं दलों का नाम बता सकता हूं जिन्हों ने स्टाक और शयरों में बहुत रुपया है परन्तु कोई कर नहीं दे रहे क्योंकि उनके



6—14 Lok Sabha/65

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

डिविडेंड दूसरों के नाम पर हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि पहले जैसा ढ़ंग अपना ले कि पहले तो अधिक से अधिक कर वसूल कर लें और बाद में वे इसे वापिस लेने के लिये लिखा पढ़ी करते रहें।

**श्री नम्बियार** : अनाम हस्तान्तरणों पर प्रतिबंध पाबंदी लगाने में क्या हर्ज है ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : हम कतई तो पाबंदी नहीं लगा सकते क्योंकि जिस किसी ने भी शेयर खरीदे हुए हैं वह कुछ लाभ चाहता है। मैं तो केवल यह प्रश्न कर रहा हूं कि हम इसमें कुछ अधिक पाबंदिया लगा दें।

एक और प्रश्न मेरे मित्र मूरारका ने उठाया और वह था कारोबार को प्रारंभ करने के बारे में। मैं यदि कोई संशोधन प्रस्तुत किया गया तो उस पर विचार करने को तैयार हूं। यह तथ्य है कि इस बात के होते हुए भी कि कम्पनियों को उनके विधान के अन्दर काफी अधिकार दे दिये हैं परन्तु अंशधारी भी यह जानना चाहते हैं कि उनके हितों के बारे क्या हो रहा है। यह नहीं कि पहली बैठक होने के पश्चात उन्हें कोई पूछे ही नहीं। इस लिये मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति इस प्रश्न पर विचार करे और यदि वह चाहे तो यह भी प्रस्ताव कर दे कि कम्पनी के अधिकारों को सीमित कर दें जिससे यदि कम्पनी अपने मुख्य उद्देश्यों से विचलित होना चाहे तो वह एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा अथवा किसी बड़े प्रस्ताव के द्वारा ही ऐसा कर सके। यदि ऐसा कोई सुझाव आया तो मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा।

पर मेरे मित्र श्री मुरारका मुझे क्षमा करेंगे कि उन्हों ने संस्था के नियमों में से जब कुछ पढ़ कर सुनाया तो सरकार की स्थिति को बहुत उपहास जनक बना दिया।

**श्री मुरारका** : मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि सरकार की स्थिति उपहास जनक बना दूं। मैं ने तो केवल यह कहा था कि इस खण्ड की सामान्य योजना प्रभावी सिद्ध हुई है और इसके पीछे ऐतिहासिक तजरबा है। वैसे तो इसकी निन्दा हाऊस आफ लार्डस (House of Lords) में हुई थी परन्तु इसके प्रभाव को उन्हों ने भी माना है।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे भ्रम को दूर कर दिया। मैं तो केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि यदि इस्पात की कम्पनी को यदि कोई रैस्टोरेंट आरम्भ करें तो इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें ऐसा करने के लिये और अधिक अधिकार चाहिये। वैसे कई उन्नत देशों में इस्पात की कम्पनियां रैस्टोरेंट भी चला रही हैं।

मैं तो वास्तव में प्रशासकों से कहता रहा हूं कि यदि आवश्यक हो तो वे अधिनियम में संशोधन भी कर दें जिस से कम्पनियों के बारे में अधिक से अधिक सूचना जो उपलब्ध हो सके उनकी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर दी जावे। अब भी हमें ऐसी सूचना लेने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रारों के पास जाना पड़ता है। कई बार वे क्षेत्रीय रजिस्ट्रारों के पास इन्हें भेज देते हैं तब हमें इनके बारे में ब्यौरा प्राप्त करना कठिन हो जाता है और केवल अनुसंधान विभाग से ही उपलब्ध हो पाती हैं। इस लिये अच्छा यही हैं कि ऐसी सूचना वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर दें और हमें एक ही स्थान पर यह सब मिल जावे।

एक और मामला जिस पर विरोध प्रकट किया गया है वह है लागत लेखा परीक्षा। मेरे विचार में हमें यह प्रयास करना चाहिये कि इस बारे में एक कम्पनी के भेद किसी दूसरी प्रतियोगी कम्पनी को नहीं पहुंच जानी चाहिये। खैर उस हालत में तो इसे सहन किया जा सकता है कि कोई कम्पनी ग़लत काम कर रही है और उसकी सूचना मिल जावे। इस लिये मैं चाहता हूं कि यदि इस प्रकार के दंड के लिये ऐसी सूचना देनी पड़े तब तो और बात है वरना ऐसी सूचना गुप्त रखनी चाहिये। संयुक्त समिति इस ओर भी ध्यान दे।

एक और मामला जिसका जिक्र किया गया है, वह है व्यापार-मंडल (चैम्बर ऑफ कॉमर्स) से परामर्श लेना। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि यह विधेयक पिछले सत्र में पुरःस्थापित किया था।

यह सारी जनता के सामने था और व्यापार-मंडल तो बहुत ही सक्रिय हैं, उनके अनुसंधान विभाग भी है। इस लिये उन्हों ने इसे खूब जांचा है और शायद संयुक्त समिति के लिये एक ज्ञापन भी भजा है। इस लिये हम ने इस में कोई जल्दी का काम नहीं किया है। हम तो बहुत आराम से बढ़े हैं। हम तो चाहते हैं कि व्यापार-मंडल के अनुमोदन ही नहीं अपितु समनुमोदन से इस ओर काम करें।

मेरे माननीय मित्र श्री बनर्जी ने वैयक्तिक कम्पनियों का उल्लेख किया है परन्तु उसका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं है। उन्हों ने पहले भी यह प्रश्न उठाया था और उन्हें उत्तर भी मिल गया होगा। जब मैंने इस प्रश्न के बारे में उत्तर दिया था। वैसे मैं श्री मसानी से इस बात में सहमत हूं कि हमारे पास कोई मापक नहीं है जिस से हम यह कह सके कि किसी व्यक्ति का वेतन 4000 रुपया नहीं अपितु 2500 रुपया होना चाहिये। मैं ने अपने कर्मचारियों से कह भी रखा है कि हमें यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि किसी मनुष्य को वे 5000 रु० मासिक वेतन क्यों दे रहे है और वह केवल 4000 रु० मासिक देने ही योग्य है।

अभी अन्तर्समवाय ऋणों के बारे में भी जिक्र किया। इस पर संयुक्त समिति विचार करेगी। वैसे इसके बारे में मेरे माननीय मित्र श्री मुरारका ने प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा लिये गये ऋणों के बारे में था। मेरे विचार में निजी कम्पनियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी अन्तर्समवाय ऋणों की कुछ न कुछ जांच पड़ताल तो करनी होगी।

मेरे मित्र श्री मुरारका ने कम्पनी कानून की अनिमिता के बारे में कहा कि वे राजकोषीय युक्ति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। बात यह है कि राजकोषीय युक्ति द्वारा हम कई बार अन्तर्निगमीय विनियोजन के लिये कुछ रियायतें देते हैं जिसकी कम्पनी कानून अनुमति नहीं देता। मैं मानता हूं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और अन्तर्निगमीय विनियोजन किसी विशेष एजेंसी द्वारा करवाया जावे। यदि संयुक्त समिति ने इसके बारे में कोई सुझाव दिया तो सरकार इस पर पूरा ध्यान देगी।

मैं श्री द्विवेदी की इस मामले में हिमायत के लिये कृतज्ञ हूं और उनके साथ सहमत हूं कि विधेयक पास करने से ही काम नहीं होगा अपितु उन्हें कार्यरूप देना होगा। मैं कुछ महिला सदस्यों का भी कृतज्ञ हूं जिन्हों ने हमारी इस विधेयक का समर्थन किया है।

मेरे माननीय मित्र श्री गांधी और दूसरे सदस्यों ने जो कहा है मैं उसे संयुक्त समिति के सामने रखूंगा।

मैं अपने माननीय सदस्यों के लिये कृतज्ञ हूं जिन्हों ने बहुत से सुझाव दिये हैं। मैं इन सब सुझावों को संयुक्त समिति के पास भेज दूंगा और आशा करता हूं कि जब यह विधेयक इस समिति से वापस आवेगा तो यह ऐसी हालत में होगा कि सदन के अधिकांश सदस्यों को अच्छा लगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि समवाय अधिनियम 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् :—

श्री कृष्णमूर्ति राव, सेठ अचल सिंह, श्री अ० शंकर आल्वा, श्री रामचंद्र विट्ठल बड़े, श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री बलीराम भगत, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री नि० चं० चटर्जी, श्री सचीन्द्र चौधरी, श्री नारायण दाण्डेकर, राजा पू० चं० देवभंज, श्री भास्कर नारायण दिघे, श्री गो० ना० दीक्षित, श्री गजराज सिंहराव, श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका, श्री चरियान ज० केप्पन, श्री रा० ना० यादव

[उपाध्यक्ष महोदय]
लोनीकार, श्री मधु लिमये, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री शिवराम रंगो राने, श्री जु० रमापति राव, श्री र० वें० रेड्डियार, श्री ईरा सेझियान, स्वामी रामानन्द शास्त्री, श्री दिग्वीजय नारायण सिंह, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री राधेलाल व्यास, श्री कृ० क० वारियर, श्री नगेन्द्र प्रसाद यादव, और श्री ति० त० कृष्णमाचारी और राज्य सभा के 15 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के पहिले सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जानेवाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

# भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक

## INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 की पहली अनुसूची का संशोधन करना है ताकि प्रशुल्क आयोग की कुछ सिफारिशों के बारे में जो सरकार के निर्णय है उन्हें कार्यान्वित किया जा सके। माननीय सदस्यों ने विधेयक के उद्देश्य तथा कारण विवरण में देखा होगा कि विधेयक के दो मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(क) 31 दिसम्बर 1964 के बाद भी अलूमिनियम और रंग के उद्योगों का रक्षण करते रहना;

(ख) पहली जनवरी 1965 के बाद सोडा ऐश, कैलशियम कारबाइड, कास्टिक सोडा और टीटानियम डाइऑक्साइड उद्योगों को दिये जाने वाले रक्षण को समाप्त करना ।

इन उद्योगों के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्टों की कापियां और सरकार ने जो इन रिपोर्टों के बारे में प्रस्ताव जारी किये हैं वह पहले ही सभा पटल पर रख दिये गये हैं और इन उद्योगों में से हर एक के बारे में टिप्पणियां भी संसद सदस्यों को भेज दिये गये हैं। उन टिप्पणियों में जो सदस्यों को भेजे हैं प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों का निचोड़ दिया हुआ है। माननीय सदस्यों ने उन सबको पढ़ा होगा इस लिये मुझे उनके बारे में बहुत कहने की अवश्यकता नहीं है।

अब मैं उन उद्योगों के बारे में बोलूंगा जिन्हें इस वर्ष के बाद भी रक्षण दिया जाता रहेगा। पहले मैं अलुमीनियम उद्योग के बारे में कहूंगा। इस उद्योग को सब से पहले 1949 में रक्षण दिया

गया था और उसके बाद समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाते रहे और अब यह 31 दिसम्बर 1964 को समाप्त होने वाली है। इस उद्योग में इस समय तीन इकाईयां हैं की पिण्डक (इनगौट) क्षमता जो 1960 में 17,800 टन थी, से बढ़कर 1964 में 53,800 टन हो गई है 60,000 टन की सामूहिक क्षमता के लिये मद्रास अलूमिनियम कम्पनी (सालेम कारखाना) को लाईसेंस दे दिया गया है जिसमें अगले वर्ष से उत्पादन आरम्भ हो जावेगा। तन्डूलकर इन्डस्टरीज़ (प्राईवेट) लिमिटिड जिसे 20,000 टन की क्षमता के लिये लाईसेंस दिया गया था उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि वह कुछ प्रगति न कर सकी। इस उद्योग की सामूहिक क्षमता 1967 के अन्त तक 113,800 टन हो जावेगी जब इस में यह फालतु सामर्थ शामिल कर दी जावेंगी। 11 इकाईयों की मिलकर क्षमता इस में 27,100 टन है जबकि यह 1960 में केवल 19,000 टन थी।

जब यह सारे लाइसेंस कार्यान्वित कर दिये जावेंगे तो यह 27,100 टन से बढ़ कर 56,960 टन हो जावेगी।

कुछ कारखानों को पर्ण (फौइल) बनाने के लाइसेंस भी दे दियें गयें हैं। जब बढ़ाने की यह सारी योजनायें कार्यान्वित हो जावेंगी तो पर्णों (फौइलस) की क्षमता 1967 तक 8,400 टन हो जावेगी।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोग की सिफ़ारिश मान ली है जिस में उस ने कहा है कि यह रक्षण 4 वर्ष तक और बढ़ा दिया जावे अर्थात 31 दिसम्बर 1968 तक के लिये।

अब मैं रजंक द्रव्य (डाईस्टफ) उद्योग के बारे में कहूंगा जिसके एक भाग को 1955 में 10 वर्ष तक के लिये रक्षण दिया गया था। प्रशुल्क आयोग ने 1962 में इस उद्योग के बारे में पुनर्विलोकन किया और उसने सिफारिश की कि रक्षण के बारे में कोई तबदीली नहीं होनी चाहिये।

इस समय संघटित क्षेत्र में 21 इकाईयां हैं और लघुक्षेत्र में 120 इकाईयां हैं। दोनों क्षेत्रों की क्षमता जो कि 1954 में 2,022 टन थी से बढ़कर 1962 में 13,628 टन हो गई थी और 1964 में यह 22,892 टन हो गई है। यह बढ़ोतरी अधिक तर लघु क्षेत्र की बढ़ी क्षमता के कारण है।

मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि सोडियम नाईट्राट और कास्टिक पोटाश को छोड़ कर बाकी सारे अकार्बनिक रसायन अब हमारे देश में ही मिल जाते हैं। परन्तु रजंक बनाने की मध्यवर्ती मांगे अब भी हम आयात द्वारा ही पूरी करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में 47 मध्यवर्ती वस्तुओं को उत्पादन की एक योजना है जो कि बम्बई के निकट पावेल में स्थापित की जावेगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र को भी लाइसेंस दिये गये हैं।

रजंक द्रव्यों के गुण संतोशजनक हैं यद्यपि उस में सुधार की गुंजाइश है। आयोग ने जो सिफारिशें रक्षण के बारे में दी हैं वे सरकार ने मान ली हैं।

आयोग ने निम्नलिखित चिजों को 31-12-1967 तक रक्षण देनें के बारे में मान ली है :--

(क) नफथोल को यथा मूल्य का 50 प्रतिशत की दर से

(ख) गहरे रंग को 100 प्रतिशत यथा मूल्य पर

अब मैं उन उद्योगों का उल्लेख करूंगा जिन पर 1-1-1965 से रक्षण हटा दिया जावेगा। वे हैं सोडा ऐश, कैलशियम कारबाइड, कास्टिक सोडा और टिटानियम डायऔक्साइड के उद्योग। प्रशुल्क आयोग ने तो इन उद्योगों को दिये गये रक्षण को जारी रखने की सिफ़ारिश की थी और इसके बारे में पूरा विवरण सदस्यों को पहले ही भेज दिया गया है। बात यह है कि इन उद्योगों ने इतनी प्रगती कर ली है कि इन्हें रक्षण देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इस लिये सरकार का विचार है कि 31-12-1964 के बाद इसे रक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी सरकार का विचार है कि रक्षण समाप्त करने के पश्चात भी ऊपर बताई गई चारों वस्तुओं की शुल्क दर वही रहेगी जो

[श्री सें० वें० रामस्वामी]

अब है। यह इस लिये किया गया है क्योंकि कास्टिक सोडा एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और यदि इसकी शुल्क दर बढ़ा दी तो उद्योग के लिये कठिनाइ हो जावेगी।

मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं।

**श्री सोलंकी** (कैरा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट को देख कर मैं कहूंगा कि आयोग ने बहुत शान्दार काम किया है।

जिन पदार्थों से रक्षण हटा लिया गया है वे हैं : सोडा ऐश, कैलशियम कारबाइड, कास्टिक सोडा और टिटानियम डाइऑक्साइड। प्रशुल्क आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि इन चारों का रक्षण जारी रखना चाहिये लेकिन वह बात नहीं मानी गई। खैर सोडा ऐश पर से रक्षण हटा देना तो कोई अनुचित नहीं है परन्तु बाकी तीन वस्तुओं को तो इतने दिन तक रक्षण नहीं मिला जितने दिन तक सोडा एश को मिला है। टिटानियम डाइऑक्साइड की हमारे देश में कमी है। अत: मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसे रक्षण दिया जाना जारी रखा जावे। बाकी दो पदार्थों के बारे में भी मैं कहूंगा कि उन्हें कम से कम इतने वर्ष तक रक्षण दिया जावे जितने वर्ष तक सोडा ऐश को दिया गया था। सरकारने रक्षण हटाने का जो कारण दिया है वह है कि अब इनका बाहर वालोंसे कोई अस्वास्थ्यप्रद मुकाबला नहीं है इस लिये हटा लिया गया है। मैं चाहूंगा कि हर एक पदार्थ के बारे में उसके गुणदोष देखकर निर्णय किया जावे।

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि प्रशुल्क आयोग ने टिटानियम डाइऑक्साइड की कमी के बारे में कहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस से रक्षण क्यों हटाया जा रहा है ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इस समय इस पदार्थ की कोई कमी नहीं हैं। यदि कमी हुई तो फिर पुनर्विलोकन किया जावेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adooted.**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 2 was added to the Bill**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**Clause 1, the Enacting Formula and the title were Added to the Bill**

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

---

## सरकारी प्रन्यासी (संशोधन) विधेयक

## OFFICIAL TRUSTEES (AMENDMENT) BILL

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी प्रन्यासी अधिनियम, 1913 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाय।"

यह विधेयक विधि आयोग द्वारा उसकी सोलहवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिये है। भारत पहला देश या जहां सरकारी न्यासी 1864 में नियुक्त किया गया। इसके बाद 1913 में सरकारी प्रन्यासी अधिनियम बना और 45 वर्ष के बाद विधि आयोग ने जांच करके अपनी सोलहवी रिपोर्ट में लिखा है "कि यह कानून भली प्रकार बनाया गया है और इससे महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है" अधिनियम के उपबन्धों के अर्थ निकालने में कोई कठिनाई न होते हुए भी विधि आयोग ने कुछ औपचारिक संशोधन करने के सुझाव दिये हैं, इसीलिये यह विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत होकर पारित हुआ।

विधेयक के खण्ड-2 के द्वारा मुख्य अधिनियम की प्रस्तावना को समाप्त किया जा रहा है क्योंकि आजकल विधेयकों में प्रस्तावनाएं नहीं होती विधेयक के खण्ड-3 में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (2) को हटाने की व्यवस्था है। इस में "उच्च न्यायालय" की परिभाषा दी गई है जो पहले ही 1897 के समान्य खण्ड अधिनियम में दी है इसलिये इस अधिनियम में यह अनावश्यक है।

खण्ड-4 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 को रखा जा रहा है जिसे 1956 के कानून अनुकूलन आदेश द्वारा हटा दिया गया था। व्यवहारिक रूप में यह कठिनाई रही है कि सरकारी न्यासी के अधीन प्रशासित सम्पत्तियां राज्य के कई स्थानों में होने के कारण हमें कई जिला न्यायालयों में जाना पडता था इसलिये अब जिला न्यायालयो के साथ साथ उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की जा रही है।

[श्री जगन्नाथराव]

**खण्ड** 5 एक महत्वपूर्ण खण्ड है जो सरकारी न्यासी (आफिशियल ट्रस्टी) की कम से कम योग्यताओं का निर्धारण करता है। इस खण्ड की आवश्यकता बहुत से राज्यों में उसी व्यक्ति के महाप्रशासक और सरकारी न्यासी के होने के कारण पड़ी।

**खण्ड** 6 उप सरकारी न्यासी (डिप्टी आफिश्यल ट्रस्टी) की योग्यताओं का निर्धारण करता है जैसे 1963 के महाप्रशासक अधिनियम में उप महाप्रशासक के बारे में दी गई हैं।

शेष खण्ड केवल औपचारिक हैं। खण्ड 13 में "सूद" शब्द को हटा कर "आय" लगाया गया है क्योंकि यह शब्द अधिक व्यापक है। खण्ड 14 साधारण खण्ड है जिस में कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इसके लिये एक घंटे का समय नियत किया जाता है।

**श्री सोलंकी** (कैरा) : विधेयक का स्वागत करने के साथ साथ मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह यह कि न्यासी बनने के लिये उप सरकारी न्यासी की अर्हताओं के बारे में जो कहा गया है कि वह तीन वर्ष तक अधिवक्ता रहने के साथ साथ पांच वर्ष का अनुभवी होना भी आवश्यक है जब कि इस पद के लिये सात लर्ष के अनुभव वाला अधिवक्ता भी रखा जा सकता है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि उप सरकारी न्यासी के लिये एक वर्ष का अधिक अनुभव क्यों आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि खण्ड 5 और 6 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के भी इस पद के लिये नियुक्ति के बारे में कहा गया है। मेरा सुझाव है कि कोई भी अधिवक्ता या न्यायाधीश जो किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित है इस पद पर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिये। और अंत में उन लेखों के बारे में जो सरकारी न्यासी के पास भेजे जाते हैं वह देर से भेजे जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से इस विभाग की कार्यपटुता बढ़ेगी और सरकारी न्यासी या सारे न्यास अपने अधिकारों का अपव्यय न कर सकेंगे।

**श्री म० प० स्वामी** (टंकासी) : जैसा मेरे से पहले वक्ता ने कहा कि सरकारी न्यासी की अर्हता में त्रुटि है इसलिये मंत्री महोदय कृपया इस पर प्रकाश डालते हुये इसकी व्याख्या करेंगे।

विधेयक के खण्ड 14 से एक नया नियम बनाने को कहा गया है? परन्तु अब संसद को इस पर विचार करके इसमें सुधार करने का अधिकार दिया गया है जिस से हम उन व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रख सकते हैं।

इन बातों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री जगन्नाथ राव** : मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि 1913 के मूल अधिनियम में उप सरकारी न्यासी को सरकारी न्यासी बनाने का कोई उपबन्ध नहीं है यह अवसर उसे अब मिलने लगेगा। उप सरकारी न्यासी और दूसरे बाहर वाले व्यक्ति जो सरकारी न्यासी बनना चाहें उन के कुल अनुभव में एक वर्ष का अन्तर इसी प्रकार है जैसे एक सनातक सेवा आई-ए-एस बन जाता है परन्तु दूसरा व्यक्ति जो सचिवालय सेवा में आ जाता है उसे पदोनति के लिये प्रतीक्षा करनी होती है। यह कठिनाई तो है।

एक दूसरी बात यह भी है कि राज्य न्यायिक सेवा (स्टेट जुडिशियल सर्विस) से संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त ही सरकारी न्यासी बनने के योग्य है। जबकि 5 वर्ष के अनुभवी उप सरकारी न्यासी सरकारी न्यासी बनने के योग्य हैं। इस लिये इस

खण्ड की शर्तें, खण्ड 5 की शर्तों से अधिक कड़ी नहीं हैं। इसलिये कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है।

राजनैतिक सम्बन्धों के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा के लिये लेते समय इस बात की जांच की जाती है कि उसका किसी राजनैतिक दल आदि से संबंध न हो। यह शर्त सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है जिन में सरकारी न्यासी और उप-न्यासी भी आ जाते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि सरकारी प्रन्यासी अधिनियम, 1913 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 14 विधेयक का अंग बनें"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted**

**खण्ड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clause 2 to 14 were Added to the Bill.**

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clause 1, Enacting Formula and the Title were Added to the Bill.**

**श्री जगन्नाथ राव :** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

---

# निरसन और संशोधन विधेयक

## REPEALING AND AMENDING BILL

**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अ० कु० सेन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुछ अधिनियमों का निरसन करने तथा कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में विचार किया जाय"।

[श्री जगन्नाथराव]

यह एक औपचारिक व्यवस्था है जिस से संविधि पुस्तक में नवीनतम विधियां भी सम्मिलित की जाती है क्योंकि पुराने अधिनियम जो अब उपयोगी नहीं रहे हैं उनकी आवश्यकता नहीं रही। वह अधिनियम जिन में संशोधन होने है पहली अनुसूची में दिये गये है जबकि वह अधिनियम जिनका निरसन किया जाना है वह दूसरी अनुसूची में दिये गये हैं। इन अधिनियमों के संशोधन या निरसन करने के कारण अनुसूचियों के साथ साथ लगी टिप्पणियों में दिये गये हैं। यह एक व्यवहारिक मामला है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री सोलंकी** (कैरा) : दूसरी अनुसूची के पृष्ट 9 की पंक्ति 9 में 225 के स्थान पर 226 रखने का विचार है। मुझे अधिकृत लेखपाल संस्था (चार्टड अकाउंटेंट्स असोसियेशन) से ज्ञात हुआ है कि 226 के स्थान पर 224 रखा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस में कोई गलती तो नहीं कर रही क्योंकि 224 का अंक भी इस विधेयक में नहीं है।

**Shri Swamurthi Swamy** (Koppal) **:** Since many enactments in force before independence were against our fundamental rights, we may ask the Law Commission or a special committee may be appointed to see that they are repealed. For example under Sec. 107 of Cr. Procedure Code, only a 1st Class Magistrate is competent to exercise these powers. But no even Tehsildars are using these powers resulting in contravening the fundamental rights and acting in an illegal manner. I would therefore request that the local Acts which clash with Central Acts are revised by Law Commission or a Special Committee constituted for this purpose as I said earlier.

**श्री जगन्नाथ राव :** जैसा सभा को विदित है विधि आयोग कई अधिनियमों की जांच कर चुका है और उसके 26 प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं और अब वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की जांच कर रहा है। और हम सदा ही विधि आयोग द्वारा बतलाये गये आवश्यक संशोधन लागू करने को तैयार रहते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता तो राज्य सरकारों का मामला है क्योंकि शान्ति और व्यवस्था का काम उनका है जैसा सदस्य महोदय ने बतलाया है धारा 226 गलती से लिखी गई है और हम इस में सुधार कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कुछ अधिनियमो का निरसन करने तथा कुछ दूसरे अधिनियमो में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाय"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5, अनुसूची I और अनुसूची II बिधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 से 5,** अनुसूची I और अनुसूची II **विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 2 to 5, Schedule I and Schedule II were added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

**खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.**

**श्री जगन्नाथ राव** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय" ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि "विधेयक को पारित किया जाय ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

---

## स्वर्ण नियंत्रण विधेयक

## GOLD CONTROL BILL

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आँभूषणों तथा अन्य चीजों के उत्पादन, सम्भरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में, विचार किया जाये"।

मैं पहले कई बार इस स्वर्ण नियंत्रण के मुख्य लक्ष तथा जिन परिस्थितियों में यह लागू किया गया है, बता चुका हूं और सभा के सदस्यों की जानकारी के लिये मैंने एक संक्षिप्त नोट भी परिचालित कराया है इसलिये अब उनको दोहराना ठीक नहीं है ।

5 जून 1964 को स्वर्ण नियंत्रण विधेयक 1963 को सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजा गया जिसकी कुल 13 बैठकें हुई । विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए और जनता की रूचि को देखते हुये समिति ने कई संस्थाओं आदि के विचार और सुझाव आमंत्रित किये । 1,99,678 स्मरण पत्र तथा अभ्यावेदन आये । समिति ने 47 संस्थाओं तथा संसद सदस्यों के विचार सुने और कई अधिकारियों के भी विचार सुने गये ।

संयुक्त समिति ने सभा को अपना प्रतिवेदन दे दिया है और इस में उनके द्वारा किये गये परिवर्तन कारणों सहित सविस्तार दिये गये हैं। इस सभी सुझावों को छोड़ कर मैं केवल मुख्य बातों पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा जिन में से कई विमति टिप्पणों में दिये गये हैं ।

विमति टिप्पणों में बहुदा 14 कैरट नियम की कड़ी आलोचना करते हैं । इसकी अप्रियता को छोड़ कर जब लोग 14 कैरट के आभूषणों को अपनाने लग जाएंगे तो वह अधिक मात्रा में होंगे क्योंकि लोगों की पूर्व. भावना एक निश्चित मात्रा में शुद्ध स्वर्ण रखने की है । इसलिये माननीय सदस्यों का विचार है कि शुद्धता के बजाय मात्रा पर नियंत्रण रखा जाये। सोने के मूल्यों और वितरण के नियंत्रण के लिये सुझाव दिया गया है कि एक संविहित संस्था को यह कार्य सोपा जाना चाहिये जिसके पास देश में स्वर्ण क्रयविक्रय का एकाधिकार हो ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

14 कैरट नियम का उद्देश्य वर्तमान मात्रा का अधिकाधिक वितरण है। साधारणतया लोगों में स्वर्ण की पूर्व निर्धारित मात्रा संग्रह करने की नहीं होती वह तो सामाजिक रीतियों के अनुसार आभूषण बनवाते हैं। इसलिये यदि 14-कैरट नियम का निराकरण कर दिया जाये तो स्थिति वही हो जायेगी जो स्वर्ण नियंत्रण से पहले थी। यदि 14 कैरेट के आभूषणों को लोग अपनाने लगें तो इससे सोने की मांग पर कोई अन्तर नहीं आएगा क्योंकि अधिक मात्रा में आभूषण मोल लेने पर उनकी बनवाई पर अधिक खर्च आएगा और बेचने पर अधिक घाटा रहेगा। कम आय वाले और मध्यवर्ग के लोगों में अत्याधिक आभूषण लेने की इच्छा नहीं पाई जाती। यह भी ध्यान में रखना होगा कि 14 कैरट आभूषणों के प्रति अधिक मोह न होने से अधिक आभूषण रखने वाला व्यक्ति इनको रखने के लिये अधिक इच्छुक नहीं रहेगा।

मात्रा नियंत्रण का सुझाव भी दिया गया है। यदि हर आभूषण के वज़न पर नियंत्रण लगाया जाए तो अपने पास आभूषण रखने की भावना से प्रेरित होकर लोग बहुत अधिक मात्रा में आभूषण अपने पास जमा कर लेंगे जिससे सोने की मांग में कोई कमी नहीं हो सकेगी। हर व्यक्ति के पास कुल आभूषणों पर नियंत्रण लागू करने में बहुत सी प्रशासनिक कठिनाईयां हैं और त्रास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में प्राप्त अधिकार भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाते। इस समय संविहित निगम बनाना भी व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि स्वर्णकार ही यह कार्य करेंगे और सोने के इस विकट आभाव में कदाचार बढ़ जायेंगे और निगम अपने आप को प्रभाव हीन पायेगा। सोने की शुद्धता पर से नियंत्रण हटाने का परिणाम यह होगा कि स्वर्णकार और व्यापारी अपना काम ही छोड देंगे। कुछ विमति टिप्पणों में ग्रामीणों द्वारा ऋणप्राप्ति के लिये सोने के जेवरों को गिरवी पर रखने की बात पर जोर दिया है और कहा गया है कि हमारी ग्रामीण बेंकिंग प्रणाली नाम मात्र को है और ग्रामीण लोग अपने आभूषण के बदले ऋण लेते है और कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान खाद्य संकट स्वर्ण व्यापार पर प्रतिबन्ध के कारण है क्योंकि किसान को अपने अनाज को सोने में बदलने से रोका गया है इसलिये वह अपने अतिरिक्त अनाज को दबाए रखता है। मेरे विचार में ऐसा नहीं है। गत कुछ वर्षों से बेंकिंग सुविधाओं में बहुत विस्तार हुआ है और 1958 में बैंकों की 4,605 शाखाएं थी और 1963 के अंत तक यह संख्या बढ़ कर 5,573 हो गई। 1958 में बचत बैंक सुविधाएं देने वाले डाक खानों की संख्या 15,618 थी और तब से यह संख्या बढ़ कर 42,594 हो गई। इसलिये ऐसा कहना ठीक नहीं है। छोटी बचत के सर्टिफिकेट, बीमें और एकक न्यासों आदि में भी और अधिक सुविधायें दी जाने लगी हैं। समय और लोगों के दृष्टिकोण बदल चुके हैं, लोगों की बचते प्रगतिशील कार्यक्रमों में लगाने को प्रोत्साहित करने चाहिये जिन से राष्ट्रीय विकास हो। स्वर्ण नियंत्रण और आनाज भाव में वृद्धि का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। स्वर्ण नियंत्रण से बहुत पहले ही अन्न के भाव बढ़ने लगे थे।

कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि स्वर्णकार का काम बहुत ही मजा हुआ और कलापूर्ण है और इसे बनाये रखने के लिए उनको इसी काम पर लगा कर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन करने के उपाय किये जाने चाहियें। स्वर्णकारों को दूसरे धंधों पर लगाना उचित नहीं है। सरकार इस विषय में पूरी तरह जागरूक है और पर्याप्त उपाय किये गये हैं। निर्यात के लिये आभूषण बनाने के लिये भी दो प्रकार के मार्ग खुले रखे गये हैं। कुछ व्यापारियों को 'बोंड' के आधार पर विदेशी ग्राहकों से सोना मिल सकता है जिससे उनके लिये आभूषण बनायेंगे तथा दूसरों को देश में से ही सोना प्राप्त करके 14 कैरट से अधिक मात्रा वाले आभूषण बनाने की छूट दी गई है। उद्योग मंत्रालय ने भी विदेशी मांग पूरी करने के लिये निर्यात प्रोत्साहन देने की व्यवस्था रखी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2,00,000 स्वर्णकार और 12,000 व्यापारी आभूषणों को फिर से बनाने और 14 कैरट आभूषणों को बनाने में लगे हैं। इसलिये इस कला के समाप्त हो जाने का कोई डर नहीं है पर यदि स्वर्णकारों की जन संख्या में आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उनके लिये दूसरा काम तो ढूंढ़ना ही होगा। इस विधेयक के उपबन्ध लागू करने पर भारी व्यय के बारे में भी कई सदस्यों ने कहा है कि 28,84,000 रुपये एक नई श्रेणी के अधिकारियों पर व्यय होगा

जो 14 कैरेट आभूषणों को लोकप्रिय बनाने के लिये रखे जाएंगे। यह बात विधेयक के उपबन्धों को ठीक से न समझने के कारण कही जाती है। जैसा विधेयक से लगे वित्तीय विवरण से स्पष्ट है कि 28,84,000 रुपये उन कर्मचारियों पर खर्च होंगे जो स्वर्णकारों के पुनर्वास और विधेयक के उपबन्धों को लागू करने के लिये रखे जाएंगे न कि 14 कैरेट आभूषणों को लोकप्रिय बनाने के लिये। किसी भी प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून को लागू करने के लिये प्रशासनिक खर्चे तो करने ही होंगे और इस दृष्टि से यह व्यय बिलकुल उचित ही है। स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिये दिया गया ऋण तो वृद्धिकारक विनियोग है। कुछ सदस्यों ने आयकर की हानि को बहुत बढ़ाचढ़ाकर बताया है सरकार के विचार से कोई विशेष हानि नहीं होगी। कुछ सदस्यों ने स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक को दी गई शक्तियों की भी आलोचना की है परन्तु यह अधिकार उन उपबन्धों को लागू करने के लिये न्यूनतम हैं न ही यह अधिकार मनमाने ढंग से बरतने का भी कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि अपील, प्रतिवाद और दूसरे विधि साधन उपलब्ध हैं।

श्री मसानी जी ने तो विधेयक के सिद्धान्त की ही आपत्ति की है। उनका कहना है कि लोगों में स्वर्ण को छोड़ दूसरे उपायों से अपनी सम्पत्ति की रक्षा के साधनों पर अविश्वास बना हुआ है और राष्ट्रीकरण द्वारा नियंत्रण का जाल बदले की भावना से कार्य कर रहा है। मेरा निवेदन है कि उनकी पहली आपत्ती का उत्तर राष्ट्रीय बचत योजनाएं हैं जिससे 100 रुपये 12 वर्ष में 150 बन जाते हैं और 24 वर्षों में 247 रुपये जमा करने वाले को मिल सकते हैं। इसके विपरीत स्वर्ण मूल्य 97.50 रुपये से बारह वर्षों में 119.59 रुपये हो गया है। याने छोटी बचतों की अपेक्षा बहुत कम और 50 या 60 प्रतिशत के मुकाबले में 18 प्रतिशत। इसके अलावा छोटी बचत योजनाएं कर मुक्त हैं। यदि रुपया बढ़ते हुए उद्योगों में लगाया जाय तो वार्षिक लाभ इस से भी अधिक हो सकता है। वास्तव में सोने पर धन लगाने वाले लाभ के लिये नहीं परन्तु अपना धन छिपाने के लिये लगाते हैं और मैं आशा करता हूं कि श्री मसानी ऐसे लोगों को खुली छूट देने के पक्ष में नहीं हैं जो अनुचित ढंग से प्राप्त लाभ से छिपाते हों। मैं मसानी जी से मुद्रा स्फीति को रोकने के लिये कड़े उपायों पर सहमत हूं और सरकार अब और भविष्य में भी इसके लिये प्रयत्नशील रहेगी। परन्तु यह जैसा वह चाहते हैं उद्योग का विकास रोक कर या स्थगन करने से नहीं होगा जिनमें भारी उद्योग भी हैं।

स्वर्ण आयात का सुझाव स्पष्ट तौर पर अव्यवहार्य है और उतना ही हमारा संयंत्रों का आयात करना क्योंकि हम अपने साधन मशीनों के निर्माण पर खर्च न करके स्वर्ण आयात करने में व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहते। मसानी जी ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार जनता को तो स्वर्ण संग्रह के विरुद्ध तो बड़े बड़े भाषण देती है और स्वयं उस पर एकाधिकार करना चाहती है। मैं नहीं समझ सकता कि वह इस निर्णय पर कैसे पहुंचे। इस विधेयक में व्यक्तिगत स्वर्ण सम्पत्ति को सरकारी अधिकार में लेने की कहीं व्यवस्था नहीं है। लोगों के केवल यह बताना होगा कि उनके पास सोने की कितनी मात्रा है और वह भी जब कि निर्धारित मात्रा से अधिक हो। मसानी जी ने यह भी कहा है कि स्वर्ण नियंत्रण नियमों के लागू होने के 15 मास में न तो सोने का लोभ कम हुआ है न जहां और विश्व मूल्यों के अन्तर में कमी आई है और न ही तस्कर व्यापार में कमी आई है। मैं सभा को सूचित करता हूं कि सोने की मांग में कमी आ गई है और यह कमी 27,000 से 12,000 तक की है। स्वर्ण मात्रा जो औद्योगिक कार्यों में व्यय होती थी वह भी आधी रह गई है। सोने के बदले में लिये गये ऋणों के स्तर में भी 42 करोड़ से 16 करोड़ तक की कमी आई है और अब यह स्तर 17 से 18 करोड़ तक आ गया है। मूल्यों के मामले में भी हमें कुछ सफलता मिली है और स्वर्ण नियंत्रण नियम लागू होने के बाद निम्नस्तर 1962 से पर मूल्यों में संतुलन आ गया है। यद्यपि अप्रैल–अगस्त 1964 में मूल्य कुछ बढ़ चले थे और 24 कैरेट सोना का अधिकतम मूल्य 126.71 रुपये प्रति 10 ग्राम था जब कि अगस्त 1962 में 129.90 रुपये था। अगस्त, 1964 के बाद मूल्य गिरे और इस समय भाव 112 रुपये है और सच तो यह है कि जब कि स्वर्ण मूल्य 20 प्रतिशत तक घटे, खाद्यान्न के भाव 25 प्रतिशत बढ़ गए। फिर भी जहां तक तस्कर व्यापार का सम्बन्ध है अभी से कोई निश्चित परिणाम निकालना ठीक न होगा। और इस विधेयक के उपबन्ध इस दिशा में काफी कुछ करेंगे।

स्वर्णकारों के पुनर्वास के मामले भी सरकार काफी सूझबूझ से निपटाने का प्रयास कर रही है। 1961 में कुल 4,51,000 स्वर्णकार और इस श्रेणी के दूसरे लोग थे परन्तु केवल स्वर्णकारों पर ही स्वर्ण

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

नियंत्रण का प्रभाव पड़ा है। स्वर्णकारों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु संसद द्वारा 21 सितम्बर 1963 में घोषित रियायतों के उत्तर में आए आवेदनों के आधार पर इनकी संख्या लगभग 2,70,000 कही जा सकती है। करीब 2,15,000 स्वर्णकारों ने अपना काम करने के लिये प्रमाण पत्र दिये जाने की प्रार्थना की है और इन्हें पुनर्वास सहायता भी मिल सकती है। पुनर्वास की योजना काफी व्यापक है और सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है जैसे स्वर्णकारों के बच्चों की शिक्षा, युवक स्वर्णकारों को दूसरे कामों का प्रशिक्षण आदि। इस पर व्यय का भार केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर उठायेंगी। स्वर्ण-कारों को अन्य रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी और आयु की छुट भी होगी। खेती, उद्योग धंधे और अन्य उपजाऊ कार्यक्रमों के लिये ऋण भी दिये जाएंगे और शर्तें भी काफी उदार होंगी। अब तक राज्य सरकारों को इन कार्यों के लिये 6.5 करोड़ रुपया दिया जा चुका है और उन्होंने 4 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिये हैं जिन से 35,000 से अधिक स्वर्णकारों को लाभ होगा। अन्य रोजगार और सस्ते भाव की दुकानों जैसे दूसरे उपायों से करीब 18,500 स्वर्णकारों का पुनर्वास हो चुका है। कुल मिला कर 55,000 याने प्रभावितों का 20 प्रतिशत भाग पुनर्वाससित किया जा चुका है।

संयुक्त समिति ने विधेयक में कई सुधार किये हैं। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रमाणित स्वर्ण-कार किसी भी शुद्धता के आभूषण निर्मित कर सकेंगे। पहिले के उपबन्ध में मूल सोने पर मोहर लगाना अनिवार्य था परन्तु कठिन सिद्ध होने से इसे वापिस ले लिया गया है और यह साधारण व्यक्तियों पर, जो एक या दो टुकड़े बेचते हैं, लागू नहीं होता। भारत सुरक्षा नियमों के अधीन केवल 31 मार्च 1964 तक ही प्रमाणपत्रों के लिये आवेदन दिये जा सकते थे परन्तु विशेष मामलों में प्रशासक को अधिकार दिया गया है जिससे वह प्रमाणपत्र दे सकता है। अब केन्द्र सरकार नए आभूषणों की शुद्धता और वज़न के बारे में सीमाएं निश्चित कर सकेगी जब कि पहले पुराने आभूषणों को नया बनाने पर कोई रोकटोक न थी। धार्मिक पूजा के स्थानों को प्राप्त आभूषणों की शुद्धता आदि पर कोई प्रतिबन्ध न होगा। अब किसी व्यक्ति या परिवार के पास रहने वाले आभूषणों के बारे में यदि उनका कुल मूल्य क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपये हो तो कोई घोषणा की आवश्यकता न होगी। यह उपबन्ध लागू करने में भी सामान्य न्याय के नियमों के अनुसार कार्य होगा। दण्ड सम्बन्धी खण्ड में भी संशोधन कर दिया गया है और अब न्यायालय को अधिकार है कि वह मामले की जांच करके 6 मास से कम का दण्ड भी दे सकते हैं।

सुझाव दिया गया है कि स्वर्णकारों के लेखे को भी सरल किया जाए और स्वर्णकार के काम में आने वाले सोने की मात्रा में भी वृद्धि की जाये जो इस समय 100 ग्राम है और निर्धारित मात्रा से कम सोना रखने वाले व्यक्तियों को इस सोने को बेचने आदि की अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। मैंने इन सुझावों पर विचार किया है और इन्हें मानने को तैयार हूं और इस पर जहां आवश्यक होगा औपचारिक संशोधन का प्रस्ताव कर दिया जाएगा।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तसकर व्यापार, इस विकास के समय विशेष तौर पर, कितनी तबाही ला सकता है जब कि देश के निर्माण कार्यक्रमों में हमें विदेशी मुद्रा के सारे साधनों की आवश्यकता है। श्री मसानी का कुछ सोना आयात करने का सुझाव बिलकुल अव्यवहार्य है। जब हम मित्र देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण तथा दूसरी सहायता लेकर अत्यावश्यक माल का आयात करने में लगे हों तो स्वर्ण आयात अन्तर्राष्ट्रीय हलकों में प्रतिकल प्रभाव पड़ कर हमारी विकास प्रयत्नों के लिये संकट पैदा कर सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि हम हर प्रकार सोने का तस्कर व्यापार रोकें। हमें आभूषणों सहित सोने के आवश्यक प्रयोग को भी घटाना होगा। स्वर्ण आयात पर रोक और देश में सोने के आदान प्रदान पर प्रतिबन्ध का आभाव परस्पर विरोधी बातें हैं और इसलिये स्वर्ण नियंत्रण बनाया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम 307(1) (2) (3) के अन्तर्गत मामला स्पष्ट है :—

"(1) समिति, उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निदेश दे सकेगी कि उसे परिचालित किया जाय। यदि, याचिका के परिचालित किये जाने का निदेश न दिया गया हो तो अध्यक्ष किसी भी समय निदेश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाय।

नियम 307 (3) में कहा है :—

समिति का यह कर्तव्य होगा कि, ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने के बाद जैसा कि वह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका में की गयी विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करे और विचाराधीन मामले से सम्बन्धित, ठोस रूप में या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए, प्रतिकारक उपायों का सुझाव दे।"

6 मई 1963 को भी इसी तरह का मामला प्रस्तुत हुआ था और अध्यक्ष श्री आयंगार ने चर्चा करने की अनुमति दे दी थी। उसमें यही बात थी कि विशेष मामलों के सम्बन्ध में विशेष रूप से भेजी याचिकायें थी। इस मामले में भी दोनों याचिकायें देने वालों की यही प्रार्थना है कि स्वर्ण नियन्त्रण विधेयक 1963 को समाप्त कर दिया जाय। मुझे यह भी आशा है कि एक याचिका कल भी आ जायेगी। अतः मेरा प्रस्ताव यह है कि इसे आगामी सत्र तक स्थगित कर दिया जाय। और इसका आधार नियम 307 है और इस पर अध्यक्ष श्री आयंगार का दिया हुआ आदेश है। प्रतिवेदन पर चर्चा चल सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। कोई पूर्ववादिता नहीं है, परन्तु क्या यह सदन कोई पूर्ववादिता का निर्माण नहीं कर सकता।

**श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्ली) : यदि याचिका समिति, विधेयक के अधिनियम बन जाने पर अपनी सिफारिशें बतायेगी, तो करोड़ों लोगों द्वारा जो हस्ताक्षर किये गये हैं उसका उद्देश्य तो नष्ट हो जायेगा। प्रश्न केवल इतना है कि क्या इस चर्चा को अगले सत्र के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। तब तक उस समिति की सिफारिश भी हमें उपलब्ध हो जायेगी।

**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : यदि याचिका समिति इस निर्णय पर पहुंच जाये कि विधेयक को समाप्त कर दिया जाय तो स्थिति क्या होगी। आखिर दोनों याचिकाओं को सदन ने ही तो समिति को सुपुर्द किया है। समिति को निवेदन किया जाना चाहिए कि वह शीघ्र ही अपने कार्य को समाप्त करे। मामला सरल नहीं है कठिनाई पैदा हो सकती है। अतः इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यह नया ही सुझाव है। फरवरी में मैं वित्त विधेयक प्रस्तुत करूंगा। यदि कोई याचिका आ जाये तो क्या उस विधेयक का प्रस्तुत करना रोक दिया जायेगा। माननीय सदस्य चाहते हैं कि विधेयक पर चर्चा अभी हाल रोक दिया जाय। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में आपत्ति निराधार है।

**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतहपुर) : यदि हम इस विधान पर चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम याचिका समिति के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करते हैं। यह तो लोकतंत्र की व्यवस्था को तोड़ने वाली बात होगी और संसदीय समितियों के अधिकार छीनने वाली बात होगी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या इस प्रकार की कोई पूर्ववादिता को प्रस्तुत किया जा सकता है।

**श्री गौरी शंकर कक्कड़ :** मान लो हम तो विधेयक पारित कर देते हैं और समिति का मत यह रहता कि इसे समाप्त कर दिया जाय। तो समिति के प्रतिवेदन का क्या बनेगा ?

**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : समिति संसद द्वारा बनाई गयी है, जो सर्वसत्ता सम्पन्न है। यदि उसकी राय इस विधेयक के विरुद्ध हुई तो स्थिति क्या होगी। यह संसद के इतिहास में प्रथम मामला है जब कि एक करोड़ से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर करके संसद को प्रस्तुत की है। वित्त मंत्री महोदय को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : दो बाते हमारे समक्ष आई है। माननीय सदस्य ने कोई पुर्ववादिता प्रस्तुत नहीं की। विधेयक को संयुक्त समिति के सपुर्द किया जा चुका है और संयुक्त समितिने उसे पुनः संसद के पास भेजा है। परन्तु याचिका समिति के विशेषाधिकार का प्रश्न है। यह ठीक है कि इस तरह की कोई पूर्ववादिता नहीं है, परन्तु कोई परम्परा, हमको बनाती भी पड़ती है।

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : संविधान की दृष्टि से हमें याचिका समिति की राय को सुनना ही होगा। ऐसा न करना एक गम्भीर मामला होगा। अतः इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : मेरा प्रस्ताव है कि याचिका समिति की बैठक हो और कल तक विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति, मैंने सब तर्क सुन लिये हैं। परन्तु मुझे पता चला है कि कोई याचिका आवास समिति के समक्ष निलम्बित नहीं है। दोनों याचिकाओं पर विचार किया जा चुका है और उन्हें परिचालित किया गया है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह बात नहीं है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पर वाद-विवाद अगले सत्र तक स्थगित किया जाय।"

इसी तरह का प्रस्ताव 6 मई को श्री सोनावने ने प्रस्तुत किया था। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसकी पूर्व सूचना होनी चाहिए, लोगों को आश्चर्य में नहीं डाला जा सकता। पूर्ववादिता विधेयक के बारे में नहीं है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मुझे मेरे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस पर मतदान ले लिया जाय।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उल्लेख किया गया अध्यादेश स्थगन प्रस्ताव के बारे में है, विधेयक के संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर नहीं है। आप पहिले अपना संशोधन प्रस्तुत करिये फिर विवाद के स्थगित किये जाने का प्रस्ताव करिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, जनमत जानने के लिये 1 फरवरी, 1965 तक परिचालित किया जाय।" (70)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पर वाद-विवाद अगले सत्र तक के लिए स्थगित किया जाय।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधयक पर वाद-विवाद अगले सत्र तक के लिये स्थगित किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 32 विपक्ष 93

Ayes : 32 Noes : 93

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : इस विधेयक के विरुद्ध लोगों का भारी मत है। यह विधेयक महात्मा गांधी जी की विचारधारा के प्रतिकूल है। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों से सारा सोना छीन कर रक्षित बैंक में इकट्ठा करना है। इसके द्वारा सारा सोना सरकार के हाथ में आ जायेगा। हम इस एकाधिकार के विरुद्ध हैं, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है। मुझे इस बात का खेद है कि संयुक्त समिति भी विधेयक के दोषों को दूर नहीं कर सकी।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई।]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.]

मुझे इस बात का खेद है कि लोगों का सोने के प्रति मोह कम करने, सोने का मूल्य कम करने और तस्कर व्यापार को कम करने में स्वर्ण नियन्त्रण आदेश सफलता प्राप्त नहीं कर सके। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश जारी करने के 15 महीनों के बाद भी भारत में सोने का भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव से दुगने से भी अधिक है। हमारे देश में सर्वत्र सोने की मांग पहले की तरह बनी हुई है और इसके प्रति लोगों का मोह कम नहीं हुआ है।

सारी स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि विधेयक को दो उद्देश्य सामने रख कर प्रस्तुत किया गया है। पहला उद्देश्य यह था कि देश में जो भी सोना है उसे कब्जे में किया जाय। सरकार ने देश को तो दिवालिया बना दिया है, अब उसका उद्देश्य यह है कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सोने को हथियाया जाय। इस विधेयक द्वारा वह उद्देश्य पूरा किया जा रहा है। विधेयक का दूसरा उद्देश्य लोगों को मूर्ख बनाना है। सरकार वर्तमान विधेयक को अधिनियमित करके तस्कर व्यापार को रोकने में अपनी असफलता तथा सीमा शुल्क विभाग की अयोग्यता पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रही है।

मेरा मत यह है कि प्रस्तावित विधान बड़ा खतरनाक है और इसके पारित हो जाने पर न तो सरकार को ही लाभ होगा और न संसद को ही उपयोगी सिद्ध होगा। एक बात हमें और भी समझ लेनी चाहिए कि सोने का मूल्य अधिक होने का कारण यह नहीं है कि लोगों की इसे जमा करने की इच्छा है, प्रत्युत यह है कि सरकार ने रुपये का मूल्य बहुत कम कर दिया है। आज रुपया 17 पैसों के बराबर है। रुपये का मूल्य गिर जाने से न केवल सोने का मूल्य बढ़ा है प्रत्युत सभी पदार्थों के मूल्य बढ़ गये हैं। महंगाई बड़ा भयानक रूप धारण करके सामने आई है। स्पष्ट बात है कि सरकार रुपये का मूल्य स्थायी करने के मामले में अपनी आधारभूत जिम्मेदारी को निभाने में नितान्त असफल रही है।

मेरा मत यह है कि भारत में सोने की कोई समस्या नहीं है। सोने की समस्या वास्तव में मुद्रास्फीति की समस्या है। एक ओर यह है और दूसरी ओर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में गलत प्राथमिकताओं निर्धारित करने तथा फिजूल का विनियोजन करने, विदेशी ऋणों के भार, घाटे की अर्थ व्यवस्था करने तथा गरीब लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं पर अत्याधिक कर लगाने के कारण ही मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हुई है। यह मुद्रास्फीति न केवल समाज विरोधी ही है प्रत्युत समाजवाद विरोधी भी है। इसका प्रभाव सब से अधिक निर्धन वर्ग पर पड़ता है। आप इससे अनुमान लगाइये कि "रक्षित प्रत्याभूतियों" न होने पर भी नोट जारी करते रहना, कहां तक ठीक कहा जा सकता है। परन्तु हमारी सरकार की नीति ही यही है।



7—14 Lok Sabha/65

[मी० रू० मसानी]

यह भी अध्ययन की महत्वपूर्ण बात है कि स्वर्ण नियन्त्रण के कारण अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। चांदी, भूमि, मकान, अनाजों इत्यादि सब के मूल्य बढ़ गये हैं। इससे हमारे उन किसानों को हानि पहुंची है जो अपने थोड़े से अर्जित सोने के आधार पर बीजों इत्यादि के लिए कर्जा इत्यादि ले लेते रहे हैं। इससे चोर बाजारी के सौदों में भी वृद्धि हुई है। और सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने का न तो व्यापार ही बन्द हुआ है और न ही सोने की जमाखोरी ही बन्द हुई है। इस दिशा में माननीय वित्त मंत्री के प्रयास बिलकुल असफल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त स्वर्ण नियन्त्रण से एक नई नौकरशाही, भ्रष्टाचार का एक नया तरीका तथा एक नया व्यय भी पैदा हो गया है। सरकार को इसके कारण बिक्री कर तथा आयकर से होने वाली लाखों रुपयों की आय की हानि हुई है जो उसे ईमानदार स्वर्णकारों तथा सोने के व्यापारियों की आय से हो सकती थी।

पहिली बात तो यह है कि दूसरी तथा तीसरी योजना में गलत प्राथमिकतायें दी गयी हैं। सरकारी क्षेत्र में पूंजी अधिक लगाई जाने से देश में मुद्रा-स्फीति हुई है। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन कम होता है और धन का उचित उपयोग नहीं होता है। आज हमारे सामने सोने की जो समस्या बनी हुई है उसका प्रत्यक्ष कारण पूंजी का उचित विनियोजन न किया जाना है।

दूसरा कारण यह है कि हम विदेशी ऋणों से बहुत दबे हुए हैं। इन ऋणों का भुगतान करने अथवा उनका ब्याज चुकाने के लिए सोने की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप घाटे की अर्थ-व्यवस्था का जन्म होता है और उसे हल करने के लिए सुरक्षित निधि तथा संसाधनों के अभाव में भी नोटों को चलार्थ छापा जाता है। अन्त में इसका परिणाम यह होता है कि निर्धनों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से करारोपण किया जाता है। उत्पादन शुल्क लगाया जाता है जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जाते हैं। इतनी मुद्रास्फीति किये जाने के बाद भी सरकार सन्तुष्ट नहीं है। और अब वह जनता से सोना भी खींचना चाहती है।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री मी० रु० मसानी** : मुद्रा-स्फीति केवल समाज विरोधी ही नहीं अपितु समाजवाद विरोधी तत्व भी है क्योंकि इससे निर्धन व्यक्ति का जीवन अभिशाप बन जाता है। सुरक्षित निधि तथा संसाधनों के अभाव में नोटों का परिचलन करना जालसाजी है और सरकार वही कर रही है। आज देश में एक रुपये का मूल्य केवल 17 नये पैसे के बराबर रह गया है। इन बातों के बावजूद भी सरकार फिर ऐसे विधेयक लाती है, और यह तर्क देती है कि सोने से जो बुराइयां अथवा संकट पैदा हो गया है उन्हें दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

स्वर्ण-नियंत्रण से देश में हीरे, चांदी, भूमि, मकान, खाद्यान्नों आदि सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसी कारण आज खाद्यान्नों को भी छिपाया जा रहा है।

स्वर्ण नियंत्रण के परिणाम स्वरूप देश में किसानों को अब ऋण भी नहीं मिलता है, पहिले वे खाद तथा अनाजों के लिए सोने को गिरवी रखकर ऋण लिया करते थे किन्तु अब यह साधन भी समाप्त हो गया है।

आज देश में सोने का व्यापार चोरी छिपे आम हो रहा है किन्तु वह सुनारों द्वारा नहीं अपतु अन्य लोगों द्वारा किया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह कुछ भी कर लें किन्तु सोने का व्यापार अथवा उसकी जमाखोरी को वह बन्द नहीं कर सकते।

स्वर्ण-नियंत्रण के परिणाम स्वरूप एक नई नौकरशाही का जन्म हुआ है, भ्रष्टाचार फैला है, व्यय अधिक हुआ है और देश में स्वर्णकारों तथा सोने का व्यापार करने वाले ईमानदार लोगों से जो लाखों रुपये आयकर तथा बिक्री कर के रूप में प्राप्त होते थे उस धन राशि की हानि हुई है।

इस विधेयक ने कई लोगों को बेकार कर दिया है ; उनका जीवन अभिशाप बना हुआ है । अतः हम पूर्ण शक्ति से इस विधेयक का विरोध करेंगे ।

**Shri Sinhasan Singh** (Gorakhpur) : Madam Chairman, I agree with Shri Masani who said that the purpose of the Gold Control Order could not be served. It was really not possible to change the gold holding mentality of the people simply by way of making legislation relating to the declaration of possession of gold and the manufacture of 14 carat gold ornaments instead of 22 carat gold. By and large, a change can be effected in this gold hoarding mentality if the possession of gold would have been declared as an offence.

The Gold Control Order created a new problem by way of throwing the goldsmiths out of their job. They opposed this order inch by inch, tooth and nail; some of them committed suicides. Only then the problem came before the Government.

Subsequently the other Finance Minister appeared in the scene who made some amendment in the Order. Accordingly old ornaments can be converted into new ones with the same purity. But the new ornaments can be manufactured with 14 carat gold only.

The Finance Minister subsequently announced that he was prepared to accept some amendments which related to the facilities being extended to the goldsmiths.

All this helped increase in gold smuggling and increase in price of gold. There is not yet any single law in our country to confiscate the smuggled gold. There is only a provision for a fine to this effect.

We should be very careful in bringing such a legislation before the House. It should be well armed with all the necessary measures to ensure that it is implemented fully. There should be no loopholes which require frequent amendments.

The Gold Control Bill has recently been referred to a Committee which has been requested to give their opinion thereon. I may, therefore, suggest that we should await the Report of the said committee so that we may go through the recommendations of the Committee before the Bill is passed.

Mere declaration of ornaments or gold, as provided in the Bill, does not serve the purpose of the Bill and we cannot get rid of the existing evils prevailing in connection with the smuggling of gold, the increasing tendency in its price and such other practices which help create a new form of corruption. To day there is gold worth crores of rupees in our country but it is not declared and dealing in gold is going on underground.

What I feel is that the purity of gold should not be effected. To reduce it from 22 carat to 14 carat for purposes of ornaments etc. is not a suitable measure. I suggest that the steps to effect nationalisation of gold which will be the best instrument for facing the gold menace in the country, should be taken immediately.

**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : सभापति महोदय, स्वर्ण नियंत्रण आदेश का उद्देश पूरा नहीं हुआ है । स्वर्ण तस्कर-व्यापार में भी कमी नहीं हुई है और सोने का मोह भी बना हुआ है ।

[श्री पु० र० पटेल]

14 कॅरेट सोने के नियमों के बावजूद भी 22 कैरेट सोने के आभूषण बन रहे हैं। विधान बनाये जाने के बाद यदि उसके उदेश्य की पूर्ति नहीं होती है तो उसका लाभ ही क्या है? इस आदेश का उलंघन केवल जनता ही नहीं, अपितु सरकारी कर्मचारी, मंत्रीगण, संसद-सदस्य तथा विधान मंडलों के सदस्य सभी कर रहे हैं। मेरी राय में जिस विधि को पारित किया जाता है उसको पूर्णरूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

यदि हमें देश के कल्याण अथवा अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से सोने की आवश्यकता है तो हमें उसके खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इसका क्रय-विक्रय बन्द कर देना चाहिए। मेरे विचार में इस विधेयक से किसी भी उदेश्य की अर्थात् तस्कर व्यापार को रोकना, मूल्यों में गिरावट लाना, अथवा आभूषणों के बनाने में रोक आदि की पूर्ति नहीं होती है।

यह विधेयक स्वर्ण नियंत्रण आदेश से भी अधिक कठोर है। स्वर्ण नियंत्रण आदेश में आभूषणों पर छूट दी गई थी किन्तु इस विधेयक में 50,000 रुपये मूल्य तक के आभूषणों को रखे जाने की सीमा निर्धारित कर दी गई है। कुछ भी हो, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि विधेयक में किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए जिनसे कि कोई व्यक्ति अनुचित लाभ उठा सके। देश के उत्थान करने के लिये जनता का नैतिक स्तर में सुधार करना आवश्यक होता है। यदि स्वर्ण का राष्ट्रीकरण करने की व्यवस्था की जाये तो मैं उसका भी समर्थन करूंगा।

केवल 14 कैरेट सोने के आभूषण निर्माण करने के बारे में विधान बना देने से ही देश की भलाई नहीं हो जाती है। कुछ विधान, अधिनियम आदेश ऐसे होते हैं जिन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अतः ऐसे विधानों को नहीं बनाना चाहिये।

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur) : Madam Chairman, this Bill which has been referred to the Joint Committee should be circulated to elicit public opinion thereon and it should be brought before the House by the 1st February, 1965.

Members of the opposition parties are not only opposing this Bill but the Members on the Treasury Benches have also an adverse feeling against it. Obviously it is only the Government which is determined to get it passed even if they have to issue a whip for the purpose. Let us await the decision of the Committee on Petitions before which the matter is pending. I know that the Petition before the Committee has been submitted by 17 or 18 laks of Goldsmiths, one more petition has been submitted by my friend Shri Surendranath Dwivedy, one more petition is likely to be submitted in a day or two. It is, therefore, necessary that a proper opportunity should be given to the Committee on Petitions to take their decision in the matter prior to the passing of this legislation

I know the objects and reasons of the Bill. The Bill was brought at a time when we were attacked by China and we wanted to pool all our resources for the defence of our Country. And the Gold Control Order was enforced by the former Finance Minister who stated that the purpose of the order was firstly to bring down the price of gold, secondly to fix its price on par with the International market and thirdly to stop smuggling in gold and bring all the hoarded gold out. Is it possible to stop the smuggling in gold when the son of a former. Cabinet Minister and the son of a Chief Minister indulge in the smuggling activity ? There are thousands of Walcotts in our Country who are indulging in the smuggling trade. Today there is still dealing in gold but it is underground. You will see that this trade is going on openly in various towns even today and you can get the ornaments of gold manufactured by goldsmiths. The only difference is that it cannot be done in open.

This Bill was introduced by the former Finance Minister, and efforts are being made by the present Finance Minister to get it enacted and implemented, but with some amendments. We are hearing the cries of the goldsmiths. Some of them, almost 200 or 250 persons, have committed suicides. They have been rendered jobless and no compensation has been given to them so far. I think the enactment of this Bill will not yield any good result for the Country.

Regarding mortgage the Minister has informed that he is prepared to consider an amendment if it is moved. I do not know whether such an amendment will come. But I want to tell the people of India that their wishes are being violated. The Gold Control Bill is not only against the wishes of members of the opposition but it is also against the wishes of the goldsmiths. Rather it is being brought inspite of the fact that the people of the Country have given their verdict against it. You can do so because of your majority in this House and we who are against it are in a minority. But it does not mean that the voice of the minority should not be heeded to at all. I think that if there is free whip on this issue and no instructions are issued by the whips, then all the members who are sitting here will vote against this Bill.

Can Government by getting this bill passed here successfully carry on this trade? Whenever there is a demand for nationalisation of banks, general insurance or any other business whether it is of foodgrains, gold the Government always takes the stand of its policy of mixed economy which means existence of both public & private sectors.

What are the demands of our goldsmiths ? In their petition they have clearly stated that their demands are :—

सरकार को स्वर्णशिल्प को कुटीर उद्योग के रूप में मान्यता तथा संरक्षणता देनी चाहिये तथा और इसे पूरी तरह बढ़ावा देने का दायित्व उपने उपर लेना चाहिये ।

सोने के आयात तथा स्वर्णकरों को उसके सरकारी एजेंसियों द्वारा वितरण के लिये इंतजाम करना चाहिये ।

ऐसे बंदोबस्त करने चाहिये जिससे स्वर्णशिल्प की चीजें इस देश में तथा बाहर ऐसे ही बेची जावे जैसे हस्तकला की चीजें बेची जाती है और इस दिशा में ठीक ढंग से प्रचार करना चाहियें तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर इस काम के लिये रत्नभूषण एम्पोरियम खोलने चाहियें ।

They have also indicated the manner in which this can be done. Even now there is emergency although many people are quite oblivious of it. If they have to get an amendment passed on it later on, then I would request the Minister not to rush through it at this stage. They should louder over it so that our people and goldsmiths who actually deal in this trade may be benefitted to more extent.

I have tabled many amendments on the Bill on clauses 3, 4, 7 and 9 and I will go in details when those clauses are taken up.

In the end I will tell the Government that since they cannot control the prices, they have no right to throw people out of employment. I am not opposing this bill simply because I am in the opposition but because it will do no good to the country, they will not get any gold and the gold which is hoarded by the people will not come in the market. I therefore, request the Finance Minister to withdraw this Bill as it will not diminish his prestige but will enhance it.

**Shrimati Sahodrabai Rai** (Damoh) : As a woman becomes widow when her husband dies, so is the case with Indian women without gold. When I visit my constituency I am told by people to inform the Minister that the peasants in India heep their savings in the form of gold and thus they make use of it when they give their daughter in marriage or buy land or when they repay the debt or when they want some loan.

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]**

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair.]**

Now it will create more difficulties as we cannot disloose anything about ornaments if the goldsmith give us ornaments of adulterated gold because then it would mean disclosing of the place to from where it has been purchased.

I am not speaking on behalf of my party. I can only say that we will find it difficult to win the next elections. If they want to stop smuggling then they should increase customs staff and carry out searches etc.

Personally I am against this Bill but since I am bound by party discipline, I support it.

Although all facilities have been given to goldsmiths yet they are grumbling. In fact the condition of poor goldsmiths who are only workers, is bad. The rich ones among them avail of all the amenities and again agitate.

The people are put to loss due to introduction of gold containing 14 or 10 carats. I request that gold should be sold with old content of 22 and 30 carats. All are opposed to it and Morarji Bhai was much blamed by people for it. Previously loan could be obtained by mortgaging gold but this will not be the case now.

Future of India seems bleak and people have become agitated. The rules regarding gold should be such which may be good for Government, good for women and still encourage development of the nation, prosperity of the people.

I request Shri Krishnamachari to find a way which may endear him to the people.

**श्री अल्वारेस** (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हर एक यह अनुमान लगाता था कि संयुक्त समिति में विचार होने के पश्चात यह विधेयक बहुत ठीक रूप में आवेगा परन्तु मुख्य बातों यह वैसा ही है जैसा कि पुरःस्थापन के समय था। इस लिये मेरा विरोध इस से और बढ़ गया है। सोने में जो तस्कर होता है उसके रुकवाने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु इन परिस्थितियों को देखते हुए यह काम समाप्त होता दिखाई नहीं देता । समाचार पत्रों में सोने के भाव पढ़ने से पता है कि सोने की कीमत उतनी ही है जितनी पहले थी। मेरे विचार में संयुक्त समिति ने सोने में तस्करी की ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने तो गरीब सुनार के कारोबार पर नियंत्रण लगा दिया है। सोना पहले तो कस्टम के पास आता है, फिर व्यापारियों के पास और तब कहीं अन्तमें थोड़ा बहुत गरीब सुनारों के पास ज़ेवर बनाने के लिए आता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने भाषण को कल जारी रख सकेंगे ।

---

## †पाकिस्तान में हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन

## †CONVERSION OF HINDUS IN PAKISTAN

**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चर्चा उठानी चाहती हूं जिसका संबंध 14 दिसम्बर 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 489 के उत्तर के बारे में है। वह मामला पाकिस्तान में हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन के बारे में है।

बड़े दुःख की बात है कि विदेश मंत्रालय के काम में बहुत गिरावट आ रही है और वह प्रश्नों के उत्तरों तथा उस मंत्रालय के वक्तव्यों से प्रकट है। मैं अपनी बात की पुष्टी के लिए दो तीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूं।

आज ही प्रातः एक माननीय सदस्य ने विदेश मंत्री से पूछा है कि जो बयान उन्हों ने दिया है तथा जो बयान प्रधान मंत्री ने दिया है उन दोनों में कोई मतभेद है। उन्हों ने कहा कि उन्हों ने वह बयान जो विदेशी पत्रकारों ने छापा है नहीं देखा है परन्तु उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो यह कहूंगी कि इतने बड़े मंत्रालय से तो मेरा एक मनुष्य द्वारा चलाया हुआ मंत्रालय कहीं अधिक कार्य-कुशलता रखता है। आखिर उस मंत्रालय ने इतने आई० सी० ऐस० और आई० ए० ऐस अधिकारी काम कर रहे हैं वह करते क्या हैं। क्यों नहीं उन्होंने तुरन्त ही उस बयान का स्पष्टीकरण किया और ठीक बात प्रकाशित की।

अभी पीछे जब यहां एक पाकिस्तानी अधिकारी जासूसी के अपराध में पकड़ा गया तो पाकिस्तान सरकार ने इस घोषणा को न करने के लिये 24 घंटे मांगे और उन्हों ने उसी पद का एक हमारा अधिकारी पाकिस्तान से यह कह कर निकाल दिया कि वह जासूसी कर रहा है ताकि दुनिया को यह पता चले कि हम ने तो केवल उसका बदला लिया है। और अब फिर वही काम उन्हों ने कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इन्हें कभी भी बुद्धू बना सकता है।

मैं एक और उदाहरण दे दूं जो हमारे सब के लिये सोचनीय है। सारे समाचार पत्रों ने पाकिस्तान में हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन के बारे में खूब समाचार दिये परन्तु जब इस बारे में इस सदन में मंत्री महोदय से पूछा तो उस से यह पता लगा कि उन्हें इस बारे में पता ही कुछ नहीं है। उनका उत्तर यह है कि सरकार ने यह समाचार पढ़े हैं और जो अल्प संख्यकों पर पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे है उसका भी ज्ञान है। यह नेहरू-लियाकत समझौते के विरुद्ध है जो 1950 में हुआ था और पाकिस्तान सरकार का ध्यान इसकी ओर आकर्षित कर दिया है।

फिर बाद में अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों से तो पता लगा कि हमारे पाकिस्तान स्थित दूतावास के पास भी यह सूचना नहीं है कि कितने आदमियों का धर्म परिवर्तन हुआ। विदेश मंत्रालय को यह सोचना चाहिये कि जब समाचार यहां आते हैं तो उनकी यहां प्रतिक्रया हो सकती है। इसलिये ऐसे प्रश्नों के ठीक उत्तर मिलने चाहियें। यदि ऐसे समाचार ठीक हैं तो हमें यह मामला विश्व अदालत अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिये। बीसवी शताब्दी में जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करना एक बहुत ही दुःख की बात है।

अन्त में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी आलोचना का तात्पर्य विदेश मंत्रालय में काम को सुधारने के कारण है। दूसरे इस मंत्रालय के बहुत मित्र हैं और इस लिये मैं उन्हें झंझोड़ना चाहती हूं ताकि अपने आप को इस काम के लायक बनावे।

---

†आधे घंटे की चर्चा।

†Half-an-hour discussion.

[श्रीमती सावित्री निगम]

इन शब्दों के साथ मैं पूछना चाहती हूं कि वहां के दु:खी अल्पसंख्यकों के बचाव के लिये क्या किया जा रहा है और उनके बारे में ठीक सूचना प्राप्त की जावे।

**श्री ब० कु० दास** (कंटाई) : ऐसा दिखाई देता है कि धर्म परिवर्तित लोगों की ठीक संख्या जानने के बारे में कोई ठोस प्रयत्न नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह रैड क्रास आदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया है अथवा उनसे यह जानने का प्रयत्न किया गया था।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत व्यक्तियों ने जिनका जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन किया है, उन्हों ने प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को पत्र लिखे हैं कि नेहरू-लियाकत समझौते की क्या हालत हुई है जहां तक अल्प संख्यकों के बचाव का सम्बन्ध है और उन्हों ने अनुरोध किया है कि इस मामले के बारे में पाकिस्तान में उच्चतर स्तर पर बात की जावे।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Bijnor) : After partition a large number of Hindus remained in Pakistan. Has government tried to know from the Census figures of 1961 as to how many of them have come over to India. Whether it is a fact that their number now is not as it should have been according to the ratio of new births etc. and there is decrease in that? The main reason for this seems to be that a large number of Hindus belonging to low castes have been converted to Islam. If so, has government tried to ascertain through its High Commission or through some other agency the number of persons who were forced to change their religion like this ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : महोदय, मैं बहुत मायूसी से माननीय सदस्य का भाषण सुन रही थी। दु:ख इस बात का है कि उन्हों ने अधिक प्रहार मंत्रालय पर किया बजाय धर्म परिवर्तन के विषय पर करने के। मैंने जो प्रश्न का उत्तर दिया उस में पूरी तरह इसके बारे में बता दिया था। वैसे धर्म परिवर्तन तो न केवल पाकिस्तान अपितु सारे संसार में हर समय होते रहते हैं। कुछ व्यक्ति डर के कारण धर्म परिवर्तन करते हैं, कुछ गरीबी के कारण और अन्य कुछ लोभ के कारण। हमारे संविधान में तो क्या कहीं के भी संविधान में अथवा माननीय अधिकारों के ऐलान में भी इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है कि कोई अपने धर्म का प्रचार करे। हमें यह पता लगाना भी कठिन हो जाता है कि धर्म परिवर्तन जबरी है अथवा नहीं। हां, जब बहुत से व्यक्तियों का एक ही समय पर धर्म परिवर्तन होता है तो हमें भी संदेह होने लगता है कि कहीं जबरी तो नहीं हुआ है यह काम। कुछ तो इस लिये भी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं ताकि बाद में सुरक्षित रह सकें।

दो ऐसे मामले हमारी निगाह में आये जिनका सम्बन्ध पश्चिमी पाकिस्तान से है। एक मामले में तो 600 हिन्दु भीलों ने एक गांव में इस्लाम धारण किया और दूसरी जगह 200 बाजीगरों ने इस्लाम को धारण किया। जब भी हमारी निगाह में ऐसे मामले आते हैं हम पाकिस्तान सरकार का ध्यान नेहरू-लियाकत समझौते की ओर दिलाते हैं और कहते हैं कि यह उसका उल्लंघन है।

माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाया है कि और वह उच्चतर स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है। उन्हों ने कहा है कि अल्प संख्यकों को न केवल जीवित रहने का ही अधिकार है अपितु अपने धर्म पर चलने का भी अधिकार है। हम हर सम्मेलन में अल्प संख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं।

**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह मामला गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उठाया जायेगा ?

**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन की कार्यवलि को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पूर्वी पाकिस्तान में कोई बड़े रूप में धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। हां, ऐसे मामले हुए हैं जिनमें कुछ लड़कियों को जिनमें अवयस्क भी शामिल हैं और विवाहित औरतें भी शामिल हैं, को ज़बरदस्ती उठा कर ले गये और भगाने वालों ने अपने धर्म में मिला लिया। जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो वे कह देती हैं कि वह अपना धर्म इस लिये बदल रही हैं क्योंकि वे खास व्यक्तियों से शादी करना चाहती हैं।

हमारे ऊपर लापरवाही का आरोप लगा है पर यह भी तो देखना चाहिये कि इन चीजों का पता लगाने के साधन भी तो हमारे पास बहुत सीमित हैं।

फिर एक और प्रश्न किया है कि हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं ले जाते। यह तो बहुत ही अजीब बात है कि अत: जब यहां काश्मीर के बारे में चर्चा हो रही थी तो यह मांग हो रही थी कि उस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों ले गये और अब दो पहर बाद यह मांग हो रही है कि इस धर्म परिवर्तन के मामले को वहां क्यों नहीं ले गये।

जैसा मैं पहले कह चुकी हूं कि धर्म परिवर्तन तो सारे संसार के देशों में हो रहा है। और तो और अफ्रीका के देशों में कई स्थानों पर लोग पहले ईसाई बन जाते हैं और बाद में फिर इस्लाम धारण कर लेते हैं।

हां, एक ढंग से हम इसे राष्ट्र संघ के सामने ला सकते हैं और वह यह है कि हम यह सिद्ध कर सकें कि मनुष्य जाति-विनाश का प्रयत्न किया गया है और अल्प संख्यकों की जाति को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। यदि ऐसा हुआ तो यह मामला मनुष्य जाति-विनाश अभिसमय के अन्तर्गत आ जावेगा। मैं यह निवेदन कर दूं कि धर्म परिवर्तन को मनुष्य-जाति विनाश नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जाति-विनाश तो वह है जैसा हिटलर ने हर प्रकार के ढंग से जिनमें यातना आदि से यहूदियों की सारी जाति को समाप्त करने का प्रयास किया। इस समय में भी यह तिब्बत में हो रहा है। परन्तु यह मामला मनुष्य जाति-विनाश अभिसमय के अन्तर्गत नहीं आता। इसलिये इस छोटी बहस की बहुत आवश्यकता नहीं थी।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 22 दिसंबर 1964/पौष, 1886, (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, December 22, 1964/Pausa 1, 1886 (Saka).**



भा. स. मु. ना.--वि. ५--१४ लोकसभा/६५--२३-७-६५--६००.